लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 30-12-83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 56—मंगलवार, 10 मई, 1966/20 वैशाख, 1888 (शक)

No. 56—Tuesday May 10, 1966/Vaisakha 20, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1571	कोचीन जहाज-निर्माण कारखाना	Cochin Shipyard . . .	8151–53
1572	राज्यों द्वारा धान का मूल्य निर्धारित किया जाना	Price of Paddy fixed by States .	8153–57
1573	भारत को खाद्य सामग्री का भेजा जाना	Food Shipments to India . .	8157–59
1574	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains . .	8159–63
1575	विमान निगमें	Air Corporations . . .	8163–65
1577	भू-बन्धक बैंकों द्वारा ऋणपत्र जारी किये जाना	Floating of Debentures by Land Mortgage Banks . .	8165–66
1578	इथोपिया में ऊनी कपड़ा मिल की स्थापना	Establishment of Woollen Textile Mills in Ethiopia . . .	8166-67
1580	मुसलमानों में बहुविवाह पर प्रतिबन्ध	Ban on Polygamy among Muslims	8167–68
अ० सू० प्र० सं० S. N. Q. No.			
28	मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजराथ के लिये एक खाद्य क्षेत्र	Food Zone for Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat	8168–73

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1576	एकाधिकार जांच आयोग	Monopolies Enquiry Commission .	8174
1579	तुलीहाल हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को क्षति	Damage caused to I.A.C. Dakota at Tulihal Air Port . . .	8174
1581	राज्यों में चीनी की मात्रा	Rate of Sugar of States . .	8174–75
1582	कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials . .	8175
1583	एयर इंडिया के विमानों की उड़ानों के दौरान लेन-देन में रुपयों में भुगतान स्वीकार न करना	Non-Acceptance of Rupee Payment for Transactions on Board Air-India Flights . . .	8175

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को प्रश्न सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

1—72 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1584	प्रबन्ध अभिकरण करारों की अवधि बढाना	Extension to Managing Agencies .	8175–76
1585	अन्तर्देशीय विमान सेवाएं	Internal Air Services . . .	8176
1586	केरल में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास	Development of Fishing Industry in Kerala	8176
1587	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	8177
1588	फार्म ऋण	Farm Credit	8177
1589	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के प्रशासनीक तंत्र का पुर्नठगन	Reorganisation of Administrative Machinery of Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation .	8178
1590	दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्य की जांच	Enquiry into working of D.T.U. .	8178
1591	बम्बई पत्तन	Bombay Port	8178–79
1592	प्रबन्ध अभिकरणों सम्बन्धी समिति	Committee on Managing Agencies	8179
1593	यन्त्रों की सहायता से खेती करना	Mechanized Farming . .	8179–80
1594	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम	Representation of the People Act	8180
1595	राज्य कृषि ऋण निगम	State Agricultural Credit Corporations	8180
1596	आसाम में सड़क परिवहन सम्बन्धी वस्तु भाड़ा	Transport Freights in Assam .	8180–81
1597	प्रगतिशील किसानों को मूल्य की गारन्टी	Price guarantee for progressive Farmers	8181
1598	बिहार के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Chief Minister of Bihar	8181
1599	विधान सभा के एक सदस्य का उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये चुना जाना	Election of an M.L.A. to U. P. Legislative Council . . .	8182
1600	गेहूं की बोरियों का गुम हो जाना	Loss of Wheat Bags . .	8182–83

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5036	त्रिचूर राज्य परिवहन	Trichur State Transport .	8183
5037	केरल के पंचायत कर्मचारी	Panchayat Employees of Kerala.	8183
5038	कृषि-विकास योजनायें	Agriculture Development Schemes	8183
5039	राष्ट्रीय सहकारी बैंक	National Cooperative Bank .	8184
5040	महाराष्ट्र और मद्रास में फसल ऋण प्रणाली	Crop Loan System in Maharashtra and Madras	8184
5041	सहकारी ऋण संस्थाएं	Cooperative Credit Structure .	8184

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5042	गति प्रधान करने वाली (रिवाइ-टिलाइजेशन) योजनाएं	Revitalisation Schemes	8185
5043	सूअर के मांस का कारखाना	Bacon Factory	8185
5044	सहकारी क्षेत्र	Cooperative Sect●	8185
5045	अंडों का उत्पादन	Production of Eggs . .	8186
5046	खण्ड विकास अधिकारी	Block Development Officers	8186
5047	नारियल के बागान	Coconut Plantations . . .	8187
5048	उड़ीसा में खाद्यान्न का स्टाक	Stocking of Foodgrains in Orissa .	8187
5049	महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने	Sugar Mills in Maharashtra .	8187–88
5050	चूहों की रोक थाम	Rat Control . . .	8188–89
5051	विशाखापत्तनम बन्दरगाह	Visakhapatnam Port . . .	8189
5052	सघन खेती जिला कार्यक्रम	Intensive Agricultural District Programme	8189
5053	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund . . .	8189–90
5054	आयातित ट्रैक्टरों का मूल्य	Price of Imported Tractors . .	8190
5055	निजी ठेले (प्राइवेट कैरियर्स)	Private Carriers . . .	8190
5056	पंचायती राज संस्थाओं के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Panchayati Raj Institutions . . .	8191
5057	सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सर्वेक्षण	Survey of Community Development Programme . . .	8191
5058	गाजीपुर अथवा बक्सर में गंगा पर पुल	Bridge over Ganga at Ghazipur or Buxar	8191–92
5059	वकील सभा परिषद (बार कौंसिल)	Bar Council	8192
5060	दुर्गापुर में पर्यटन कार्यालय	Tourist Office at Durgapur .	8192–93
5061	उत्तर प्रदेश में नलकूप	Tube-Wells in U.P. . . .	8193
5062	उत्तर प्रदेश को बागबानी के लिये ऋण	Loan to U. P. Horticulture	8193
5063	उत्तर प्रदेश को उर्वरकों का संभरण	Supply of Fertilisers to U.P. .	8193–94
5064	पश्चिम बंगाल में मछलियों के भाव बढ जाना	Enhanced Price of Fish in West Bengal	8194
5065	गैर-सरकारी क्षेत्र में बडे फार्मों की स्थापना	Establishment of big Farms in Private Sector . . .	8195
5066	दिल्ली में आटे की चक्कियों का बन्द होना	Closure of Flour Mills in Delhi .	8195
5067	विमान चालकों का प्रशिक्षण	Training of Pilots	8195–96
5068	शासपत्रित लेखापालों, लागत तथा उत्पादन कार्य लेखापालों और समवाय सचिवों की संस्था	Institute for Chartered Accountants, Cost and Works Accountants and Company Secretaries	8196

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5069	दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल	Inter-State Bus Terminal in Delhi	8196-97
5070	मैसूर राज्य में पत्तनों का विकास	Development of Ports in Mysore State	8197
5071	उड़ीसा के लिये सहायता	Assistance to Orissa	8197
5072	भूमि संरक्षण योजनाएं	Soil Conservation Schemes	8197-98
5073	भूमिहीन कृषि श्रमिक	Landless Agriculture Labourers	8198
5074	पटसन का उत्पादन	Jute Production	8198-8200
5075	उड़ीसा में मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र	Fisheries Research Centre in Orissa	8200-01
5076	राष्ट्रीय राजपथों के लिये केन्द्रीय अभिकरण	Central Agency for National High-ways	8201
5077	बिहार में चीनी मिलें	Sugar Mills in Bihar	8201
5078	चावल का आयात	Import of Rice	8202
5079	गन्ने की पेराई	Crushing of Sugarcane	8202
5080	पंजाब को सहायता	Assistance to Punjab	8202-03
5081	गन्ने की खेती के लिये उर्वरक	Fertilizer for Sugarcane Cultivation	8203
5082	मैदे से बने पदार्थों का परोसा जाना	Serving of *Maida* Preparations	8203-04
5083	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	8204
5084	खाद्यान्न की कमी	Scarcity of Foodgrains	8204-05
5085	जर्मन पैकेज परियोजनाएं	German Package Projects	8206
5086	रूस से चीनी का आयात	Import of Sugar from U.S.S.R.	8206
5087	कृषि सम्बन्धी विनियोजन का कार्यक्रम	Programme of Agricultural Investment	8207
5088	कुएं खोदने वाली मशीनों का आयात	Import of Well Digging Machines	8207
5089	किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम	Farmer Exchange Programme	8207-08
5091	इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड	India Belting and Cotton Mills Limited	8208
5092	कृषि विभाग में सहायकों अनुभाग अधिकारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Assistants/Section Officers in Department of Agriculture	8208-09
5093	केन्द्रीय सचिवालय सेवा का केन्द्रीकरण	Centralisation of Central Secretariat Service	8209
5094	कृषि विभाग में अनुभाग अधिकारी सहायक	Section Officers/Assistants in Department of Agriculture	8209
5095	उर्वरकों का प्रयोग	Use of Fertilizers	8209-10
5096	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies	8210

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5097	जनवरी 1966 में फ्रांस के निकट एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बारे में जांच	Enquiry into Air India Crash near France in January, 1966 .	8210
5098	अमरीकन इंटरनेशनल होटल्स के सहयोग से भारत में होटल स्थापित किया जाना	Hotels in India in Collaboration with American International Hotels	8210-11
5099	समवाय सचिव	Company Secretaries .	8211
5100	समवाय सचिव	Company Secretaries . .	8211-12
5101	राजस्थान का मरुस्थल	Rajasthan Desert	8212
5102	पश्चिमी घाट नहर	West Coast Canal .	8212
5103	राजस्थान में बीज फार्म	Seed Farms in Rajasthan . .	8212-13
5104	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company .	8213
5105	चीनी के कारखानों के लिये लाइसेंस	Licences for Sugar Factories .	8213
5106	इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमान की दुर्घटना	Accident to I.A.C. Viscount	8214
5107	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद	Indian Council of Agricultural Research	8214
5108	कलकत्ता पत्तन में अनाज गोदाम (साइलो)	Grain Silo in Calcutta Port .	8214-15
5109	राष्ट्रमण्डल के देशों के विधि मंत्रियों की बैठक	Meeting of Commonwealth Law Ministers	8215
5110	किराये की इमारतों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय	I.A.C. Officers in Rented Buildings	8216
5111	पंजाब में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in Punjab . .	8216-17
5112	मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण	Supply of Foodgrains to Mysore .	8217
5113	विदेशी पशुओं का आयात	Import of Foreign Animals . .	8217-18
5114	आसाम तक नया नदी स्टीमर मार्ग	New River Steamer Route to Assam	8218
5115	उडानों के रद्द किये जाने से हानि	Loss due to Cancellation of Flights	8218
5116	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली	I.A.R.I. New Delhi . . .	8218-19
5117	मैसूर में कृषि कार्यक्रम	Agricultural Programmes in Mysore	8219
5118	कानपुर में हवाई अड्डा	Aerodrome at Kanpur . .	8219-20
5119	कोका कोला की बोतलों की सप्लाई	Supply of Coca Cola Bottles .	8220
5120	दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi . . .	8220
5121	दिल्ली में राशन में दिया जाने वाला देसी गहूं	Indigenous Wheat Supplied under Rationing in Delhi . . .	8221

विषय	SUBJECT	PAGES
धान और चावल की वसुली के बारें में अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to J.S.Q.No. 3533 *re* : procurement of Paddy and Rice	8221
अविलम्बनिय लोल-महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
चीन द्वारा ताप नाभिकीय विस्फोट	Thermo-Nuclear Explosion by China	8221–23 8239–43
सदस्य द्वारा हिरासत के लिये आत्मसमर्पण (श्री बीरेन दत्त)	Surrender to Custody by Member (Shri Biren Dutta) . . .	8223
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	8223–24
लोक-लेखा समिती	Public Accounts Committee—	
चौवनवां प्रतिवेदन—	Fifty-fourth Report . .	8224–25
व्यापारियों को विदेश यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा के दिये जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement *re* : Release of Foreign Exchange to Businessmen for travel Abroad—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . . .	8226
भारतीय अधिनियमों के अनुवाद के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1334 पर एक अनुपरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to a Supplementary to S. Q. No. 1334 *re* : Translation of Indian Acts .	8226
सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में (श्री सरजु पडेय)	Re. Health of Member (Shri Sarjoo Pandey)	8226
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
नारियल जटा बोर्ड	Coir Board . . .	8226–27
केरल आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगे (केरल)—	Kerala Budget, 1966-67—General Discussion and Demands for Grants (Kerala)—	
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . .	8227–28
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan .	8228–29
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Verma .	8229–31
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	8231
श्री मनियंगाडन	Shri Maniyangadan .	8231–32
श्री वारियर	Shri Warior	8232–34
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	8234
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	8234–35
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . .	8236

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail . .	8236–37
श्री इम्बीचिबावा	Shri Imbichibava .	8237–38
श्री दी० चं० शर्मा	Snri D. C. Sharma . .	8238–39
भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कर्मचारिओं के बारें में आधे घंटे की चर्चा--	Half-An-Hour Discussion Re. Emloyees of Indian Agricultural Research Institute—	
श्री काशी नाथ पांडे	Shri K. N. Pande	8243
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	8243

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 10 मई, 1966/20 वैशाख, 1888 (शक)
Tuesday, May 10, 1966/Vaisakha 20, 1888(*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोचीन जहाज-निर्माण कारखाना

+
*1571. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री मणियंगाडन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोगियों ने कोचीन जहाज-निर्माण कारखाने के बारे में अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन तथा उड्डयन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। रिपोर्ट अभी 27 अप्रैल, 1966 को प्राप्त हुई है।

(ख) रिपोर्ट, जो बहुत बड़ी है, सरकार के सक्रीय परीक्षणाधीन है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has any special condition been put forward by the foreign collaborators in connection with the construction of the Cochin Shipyard? If so, what is that condition and what will be the number of ships to be built by this company?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रतिवेदन अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधिन है। तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् तथा सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर निर्णय ले लेने के पश्चात्, अग्रेतर जानकारी दी जा सकेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What amount of foreign exchange, according to Government, will be spent over this project? Will it be possible to meet the present scarcity? By when the report is expected to be placed before the House?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह बात भी विचाराधिन है क्योंकि विदेशी मुद्रा की मात्रा कुछ तकनीकि पहलुओं पर निर्भर करती है। इस मामले पर एक तकनीकी समिति जो इसी प्रयोजन के लिये विशेषरूप गठित की गई है, सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जांच के पूरा होने के बाद ही हमें यह पता चल सकेगा कि ठीक ठीक कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय होगा।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट सभा-पटल पर कब तक रख दी जायेगी?

श्री चे० मु० पुनाचा : चूंकि ये तकनीकी मामले हैं, मैं उसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। वह सभा-पटल पर यथाशीघ्र और बिना अनुचित विलम्ब के रख दी जायेगी।

Shri M. L. Dwivedi : What was the number of foreign and Indian members and who were the specialists who prepared that report? How long did it take to prepare that report and by when it should have been presented? What are the reasons for the delay?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रतिवेदन को अप्रैल 1966 तक प्रस्तुत किया जाना था। और उन्होंने रिपोर्ट समय के पहले ही दे दी है। कोई विलम्ब नहीं हुआ है। हमारी तर्क तकनीकी समिति इसकी जाँच करेगी और अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यह एक पूर्णतया विदेशी संस्था है जिसको परियोजना के अध्ययन तथा प्रतिवेदन देने का कार्य सौंपा गया था।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह देखते हुए कि इस जहाज़-निर्माण कारखाने की हमें अत्यधिक आवश्यकता है, विशेषकर इस कारण कि हमारे देश के लिये खाद्यान्न जहाज़ों द्वारा आ रहा है, क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की है अथवा इस कारखाने के निर्माण के लिये सरकार ने कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम भी बनाया हुआ है?

श्री चे० मु० पुनाचा : बिना अनुचित विलम्ब के इस मामले की जांच की जायेगी और अन्तिम निष्कर्ष प्राप्त किये जायेंगे। सरकार को जहाज़ निर्माण सम्बन्धी और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में जानती है। इस समय गोदी (डॉक) में माल ले जाने सम्बन्धी सुविधाओं की बड़ी आवश्यकता है और इस प्रश्न पर बड़ी तेज़ी से विचार किया जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि प्रारम्भीक परियोजना रिपोर्ट स्वदेशी परामर्शदाताओं ने ही तैयार की थी? यदि हां, तो क्या उसकी तुलना विदेशियों द्वारा दी गई रिपोर्ट से की जायेगी?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, नहीं। वास्तव में इसी कम्पनी ने पहले भी रिपोर्ट पेश की थी और अब उन्होंने उस से आगामी यह अन्तिम परियोजना रिपोर्ट भी निर्धारित समय में दे दी है।

श्री रा० बरुआ : विदेशी मुद्रा की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार का विचार है कि इस परियोजना को चौथी योजना के बाद लिया जाये?

श्री चे०मु० पुनाचा : जी, नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री वारियर : क्या सरकार का यह विचार है कि इस परियोजना को प्रक्रमों में पूरा किया जाये और प्रारम्भिक कार्यों को पहले किया जाये अथवा सम्पूर्ण परियोजना रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रारम्भीक परियोजना रिपोर्ट के अन्तर्गत दो प्रक्रमों में विकास का कार्यक्रम पूरा किया जाना था। इस रिपोर्ट के अन्तर्गत भी दो प्रक्रमों में विकास करने का उल्लेख है। इन मामलों पर तकनीकी समिति द्वारा अन्तिम जांच की जानी है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : दो वर्ष पूर्व उस समय के परिवहन मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस परियोजना के लिये 8.16 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। अब अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में परिवहन मंत्री महोदय कहते हैं कि वह तकनीकी समिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या अब विदेशी मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि हो गई है अथवा लगभग उतनी ही होगी जितनी कि दो वर्ष पूर्व बताई गई थी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : वह एक कच्चा प्राक्कलन था। वास्तव में विदेशी मुद्रा की मात्रा देश के अन्दर औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। यदि दो वर्ष पूर्व किन्हीं आंकड़ों के आधार पर निर्धारण किया गया था, भविष्य में विदेशी मुद्रा की मात्रा वही नहीं रह सकती क्योंकि इस काल में देश में बंदरगाह इत्यादि के बारे में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं।

श्रीमती सावित्री देवी निगम : चूंकि देश में विशेषज्ञों की कमी नहीं है, प्रारम्भीक सर्वेक्षण के लिए अपने विशषज्ञों तथा इन्जिनियरों को इस कार्य के लिये क्यों नहीं शामिल किया गया था और इस कार्य को केवल विदेशी विशेषज्ञों को ही क्यों सौंपा गया था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कोचीन के जहाज-निर्माण कार्य के लिये "ड्राई डॉकिंग" तथा मरम्मत तथा "बर्थिंग" के लिय हमें विदेशी परामर्शदाताओं की आवश्यकता है क्योंकि देश मे विदेशी परामर्श के लिये साधनों की कमी है। अत: हमें विवश होकर विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ी है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : चूंकि यह योजना काफ़ी समय से यों ही पड़ी है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि चाहे चौथी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं में कमी की जाएगी, यह योजना फिर भी जारी रहेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस समय सरकार का यही इरादा है।

राज्यों द्वारा धान का मूल्य निर्धारित किया जाना

*1572. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में राज्यों द्वारा धान के भिन्न भिन्न मूल्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के लिये समान मूल्य नीती निर्धारित करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नही। सारे क्षेत्र के लिये एक ही भाव रखना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : Is Government aware of the fact that the paddy produced by the cultivator is bought at half the price and after six months he has to buy that paddy at double the price? what action is being taken by Government to bring uniformity in price?

श्री गोविन्द मेनन : प्रत्येक राज्य में विशेष स्थितियों को देखते हुए खरीद के मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अत: सब राज्यों के लिये एकसम मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। यदि नियंत्रण नहीं भी हो तो भी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मूल्य रहते हैं।

Shri Yashpal Singh: I could not follow this. I did not get answer to my question. My own paddy was purchased by Government at rupees 15 a maund and afterwards I had to buy the same paddy at rupees 32 a maund.

Shri Hari Vishnu Kamath : Your own paddy?

Shri Yashpal Singh : Yes, my own paddy. How was it that the prices doubled after six months?

Shri Hari Vishnu Kamath : It is a great high-handedness that the Member's paddy was bought!

Mr. Speaker : Why did you also join this sport? Why did you sell it at all?

Shri Yashpal Singh : What could I do then? Sometimes the land-revenue man pounds at the doors and sometimes payment of irrigation dues is demanded.

श्री गोविन्द मेनन : मैं कुछ नहीं समझ सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : किसान की पैदावार को सस्ते मूल्य पर खरीदा जाता है और जब छ: मास बाद उसे अपने ही उपभोग के लिये आवश्यकता होती है तो वही चीज उसे दुगने मूल्य पर मिलती है।

श्री गोविन्द मेनन : प्रश्न यह था कि एक किसान ने धान को किसी मूल्य पर बेचा और छ: महीने बाद उसी धान को दुगने मूल्य पर खरीदा।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रश्न बदल दिया है क्योंकि उन्होंने प्रश्न की शुद्धि की है।

श्री गोविन्द मेनन : यह कैसे हो सकता है।

Shri Yashpal Singh : I............

Mr. Speaker : Second question has been put by you.

Shri Yashpal Singh : What was my second question? It has not been put so far.

Shri Hari Vishnu Kamath : That was a clarification.

Mr. Speaker : Please sit down. I shall call you again.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has the attention of Government been drawn to the fact that paddy is bought by Government from the cultivators during the harvest season at a vey low price? The cultivator needs money at that time. Will Government ensure that reasonable price is paid to the cultivators in future and, keeping this end in view prices will be fixed and paddy bought at those fixed prices?

Mr. Speaker : He got permission because it was his own paddy that was bought. You do not have your own paddy. This question relates to uniform price in different States. Please keep inmind the nature of the question as well.

श्री शशिरंजन : कृषि हमारे देश का सब से बड़ा उद्योग है, और प्रत्येक उद्योग के लिये उपभोग परिव्यय के बारे में विचार किये जाने से पूर्व एक परिव्यय मूल्य तथा उत्पादन-परिव्यय निर्धारित किया जाना चाहिये। क्या धान का उपभोग परिव्यय निर्धारित करने से पूर्व सरकार ने उत्पादन-परिव्यय को निश्चय करने का प्रयत्न किया है?

श्री गोविन्द मेनन : खरीद का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने से पूर्व इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री शशिरंजन : यह केवल "ध्यान में रखने" वाली बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इस बात निश्चित रूप से जानकारी चाहता हूं कि क्या किसी क्षेत्र में उत्पादन-परिव्यय के बारे में सरकार द्वारा विचार किया गया है? यदि हां, तो परिव्यय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कार्यवाही तो बाद में ही होगी। पहले तो मामले को ध्यान में ही रखा जाता है।

Shri Sheo Narain : Why does Government not keep a flat rate for paddy for the whole of the country? Government should fix an all India rate. In the eastern Uttar Pradesh, paddy is purchased at the rate of rupees fifteen or sixteen a maund and later sold at rupees thirty or thirty two. Why is there such a wide difference? What steps are being taken to resolve it?

Mr. Speaker : This question was put by Shri Yashpal Singh.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is a very important question. It is an all India problem.

Mr. Speaker : It may be an important question but it has also to be seen whether the question arises at all or not.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Paddy is sold at a rate higher than that at which it is purchased.

Shri Sheo Narain : How will things go on if a reply is not forthcoming.

Mr. Speaker : Government can answer only when I permit question. I have said that this question does not arise. You are insisting upon an answer. How can I ask Government to answer?

Shri Madhu Limaye : When the scheme regarding procurement of grain by Government was being supported, one of the arguments put forward was that the cultivators buy at cheaper rates and sell it away at higher rates. What is the difference between the price at which Government procures paddy in different States and the price at which it is sold by it? Also, what is the difference between the price at which it was being purchased by traders and sold by them? Comparative difference may kindly be given .

श्री गोविन्द मेनन : जिस मूल्य पर अनाज वसूल किया जाता है उसमें अनाज वसूली तथा वितरण का ऊपरी व्यय भी शामिल कर दिया जाता है । कोई लाभ नहीं कमाया जाता ।

Shri Madhu Limaye : The incidental expenses are too much; there is a lot of difference. Wny figures are not being supplied? The honourable Minister may lay the figures on the Table later.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I can give samples. Government buys *jower* in Madhya Pradesh at rupees 34 to 36 a quintal and sells it at rupees 54 to 56 a quintal. So much of profit is being earned.

Mr. Speaker : Shri Malhotra.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या धान के मूल्यों के निर्धारण किये जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अथवा कृषि मूल्य आयोग ने किसी समय राज्य सरकारों के विचार के लिये कोई सिफारिशें भेजी थी ?

श्री गोविन्द मेनन: राज्य सरकारें खाद्य मंत्रालय के परामर्श से मूल्य निधारण करती हैं और कृषि मूल्य आयोग सहायक मूल्यों के प्रश्न पर विचार कर रहा है । फसल के समय सहायक मूल्य निर्धारित कर दिये जाते हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी बंगाल में धान का जो मूल्य निर्धारित किया गया था उसकी तुलना में राज्य भर में सरकार द्वारा बेचे जाने वाले चावल का मूल्य बिलकुल भिन्न निर्धारित किया गया था और अब वह बढ़ा कर 94 पैसे कर दिया गया है ? इस भिन्नता के बारे में सरकार क्या स्पष्टीकरण दे सकती है ? क्या केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की राय ली गई थी ?

श्री गोविन्द मेनन : केवल राज्य सरकार ही चावल का खुदरा मूल्य निर्धारित करती है । यदि अलग प्रश्न किया जायेगा तो मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

Shri Yashpal Singh : Both in the House and outside assurance was given that these zones, would be abolished so that integrity of India may be maintained. By when these eastern and western zones expected to be abolished?

श्री गोविन्द मेनन : मैं समझता हूं कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि क्षेत्रों को तोड़ दिया जायेगा । वास्तव में यह कहा गया था कि इस बारे में जांच की जायेगी । अतः एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी गई है जो क्षेत्रों के बारे में सरकार को प्रतिवेदन देगी । इस दौरान में गेहूं के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है और दिल्ली के राशन वाले क्षेत्र को छोड़ कर उसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश शामिल हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी: माननीय मंत्री ने सभा को बताया है कि राज्य सरकारें मूल्य निर्धारण अनाज की वसूली तथा फुटकर बिक्री करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करती हैं । श्री चौधरी ने कहा था कि पश्चिमी बंगाल में धान के खरीद के मूल्य तथा चावल के फुटकर बिक्री के मूल्य में भारी असमता है, परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है । अतः क्या इस असमता के कारण मुनाफ़ा खोरी नहीं की जा रही है ?

यह कहकर की अन्य ऊपरी खर्चों की वजह से समाहार मूल्य और विक्रय-मूल्य में भारी अन्तर आ जाता है, क्या सरकार व्यापारी वर्ग को एक नया बहाना नहीं बता रही है?

श्री गोविन्द मेनन : यदि पश्चिमी बंगाल में समाहार मूल्य और विक्रय-मूल्य में बहुत बड़ी विषमता है तो सरकार इस की जांच करेगी और तत्पश्चात उत्तर देगी ।

Shri M. L. Varma : It has been just stated that fixation of price is a State subject. These days farmers are producing more cash crops, because they do not obtain reasonable profits on foodgrains yield. Is it not the duty of Central Govt. to do something about it?

श्री गोविंद मेनन : मैं यह मानता हूं कि देश में सभी ओर से किसान यह शिकायत कर रहे है कि सरकार द्वारा दिया जाने वाले समाहार मूल्य पर्याप्त नहीं हैं । इस विषय में उचित कार्यवाही करने के लिये सरकार विचार कर रही है ।

श्री कपुर सिंह : क्या यह सत्य है कि सरकार की मूल्य-नीति के फलस्वरूप धान उत्पादकों को होने वाला लाभ धान से चावल तैयार करने वालों को होने वाले लाभ से बिल्कूल आधा है, और यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविंद मेनन : मैं यह नहीं जानता है कि वह आधा है या नहीं । परन्तु कृषकों की ओर से यह शिकायत अवश्य मिली है कि उन्हे उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और व्यापारी लोगों को उनसे कहीं अधिक लाभ होता है ।

भारत को खाद्य सामग्री का भेजा जाना

***1573. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत को भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा को बढ़ाने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है,

(ख) क्या उन देशों से, जिनसे भारत ने अपनी वर्तमान संकट कालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये सहायता देने का अनुरोध किया है, समस्त सहायता विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से भेजने के लिये प्रार्थना की गई है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सम्बधित देशों की क्या अनुक्रिया रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सहायता के रूप में सुलभ किये गये लगभग 54,000 टन गेहूं और लगभग 7,300 टन दुग्ध चूर्ण के आयात सम्बधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ख) सरकार ने दूसरे देशों से अपनी सहायता विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से भेजने के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस संकट कालीन स्थिति के अतिरिक्त भी क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी अनुमानित मांग बता दी है जिसको पूरी करने के लिये भारत सम्बन्धित देशों से अपना अनुरोध करेगा ।

श्री गोविन्द मेनन : विभिन्न देशों ने स्वेच्छा से विश्व-खाद्य-कार्यक्रम के माध्यम से भारत को अनाज देने के लिये प्रस्ताव किये थे, अतः भारत की ओर से उन देशों से इनके लिये मांग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार उन शर्तें बतायेगी जिन्हें वे देश माल भेजने से पहले भारत द्वारा मनवाना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो प्राप्त किया गया है वह बेचा नहीं जा सकता। उनका आग्रह है कि इसका मुफ्त वितरण किया जाये ।

श्री सिंहासन सिंह: क्या सरकार को यह मालूम है कि इंगलैंड आदि यूरोपीय देशों में युवक लड़के भारत में व्याप्त भुखमरी के नाम पर वहां चन्दा एकत्र करते फिरते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की भिक्षावृत्ति और भारतीय स्थिति के अशोभनीय चित्रण के प्रति उन देशों से विरोध प्रकट किया है ?

श्री गोविन्द मेनन : हमें भी इस प्रकार की कुछ खबरें मिली हैं किन्तु विरोध प्रकट करने के लिये हमारे पास कोई भी आधार नहीं है। खाद्य तथा कृषि मंत्री को दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सामने भाषण देने का अवसर मिला था और उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति उन्हें भली-भाँति समझा दी थी ।

श्री हिम्मत सिंहजी : प्रारम्भ में खाद्य मंत्री ने एक बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि देश बड़े ही कठिन समय में से गुजर रहा है और भुखमरी की भी संभावना है । परन्तु बाद में प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि भारत दूसरे देशों के सामने हाथ पसारने नहीं जायेगा। क्या प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सहायता मिलने के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): हमारे यहां वर्षा कम होने के कारण उपज कम हुई और खाद्य स्थिति जटिल हो गई। किन्तु विभिन्न देशों के समाचार पत्रों मे इसे बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया और यह प्रचार किया गया कि भारत में लाखों व्यक्ति भूखे मर रहे हैं। इस झूठे प्रचार का खंडन करने के लिये प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा था। यहा पर दशा इतनी शोचनीय नहीं है और विदेशों से प्राप्त सहायता के आधार पर स्थिति काबू में कर ली गई है ।

Shri Ram Sahai Pandey : I would like to know the other food grains, apart from wheat, received from the foreign countries.

श्री गोविन्द मेनन : श्रीमन, यह एक लम्बी सूची है और मैं उसे पढने की आवश्यकता नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय : गेहूं के अतिरिक्त और क्या अनाज हमने प्राप्त किया है ?

श्री गोविन्द मेनन : गेहूं, चावल, कादो (माइलो) ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री थांट और खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक श्री बी० आर० सेन द्वारा सहायता के लिये जो विश्वव्यापी संयुक्त अपील की गई थी, उसके उत्तर में इसराइल की सरकार ने भारत को अनाज की सहायता देने का प्रस्ताव किया था ; यदि हां, तो भारतीय जनता के लिये इसराइल द्वारा दी जाने वाली सहायता को सरकार ने क्यों स्वीकार नहीं किया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मुझे याद है, उन्होंने अन्न की सहायता के लिये नहीं बल्कि उर्वरक की सहायता के लिये कहा था जिसे हम कुछ राजनैतिक कारणों से स्वीकार नहीं कर सके ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे "राजनैतिक कारणों" की व्याख्या करेंगे ? क्या सरकार की अनुचित नीति के कारण भारत की जनता को भूखा मरने दिया जायगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक तुच्छ भेंट थीं। हमें सभी पहलूओं पर ध्यान देना होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुये सरकार ने यहि उत्तम समझा कि उक्त भेंट को स्वीकार न किया जाय। **(अन्तर्बाधाएं)**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सत्य है कि इसराईल ने भारत को कृषि-कार्यक्रमों और संकट-कालीन खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर सहायता देने के लिये प्रस्ताव रखा था। यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहीं और यदि सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो क्यों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। जहां तक मुझे याद है इसराइल ने कृषि-कार्यक्रम के लिये भारी सहायता के लिये कभी नहीं कहा।

श्री रंगा : उन्होंने केवल उर्वरकों के लिये कहा था।

खाद्यान्नों का आयात

+

***1574. श्री श्रीनारायण दास :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अन्तिम रूप से तथा ठीक ठीक अनुमान लगा लिया गया है कि इस वर्ष सम्पूर्ण देश की आवश्यकता को पूरी करने के लिय विदेशों से कितनी मात्रा में खाद्यान्न मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) किन किन देशों से और कितनी कितनी मात्रा में खाद्यान्न मंगाने की अन्तिम रूप से व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई करने के मामले में केन्द्र द्वारा राज्यों की आवश्यकता के बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र ने क्या आश्वासन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : भारत जैसे विकासशील अर्थ व्यवस्था वाले देश की खाद्यान्नो की आवश्यकताओं का एक सामान्य वर्ष में भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अत्यधिक कमी वाले वर्ष जैसा कि चालू वर्ष है, में कोई ठीक ठीक अनुमान लगाना और भी अधिक मुश्किल है। तथापि, चालू वर्ष में उपज गत वर्ष की अपेक्षा 120लाख मीटरी टन से भी ज्यादा कम है और कम से कम इतनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करने में औचित्यता है।

(ग) अब तक 71 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात करने के प्रबन्ध किये जा चुके हैं। एक विवरण जिसमें विभिन्न देशों से आयात की जाने वाली मात्राएं दी गयी हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6268/66।]**

(घ) और (ङ) : समय समय पर प्रत्येक राज्य की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की जांच राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है और केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सप्लाई का विभिन्न राज्यों में यथा-सम्भव समान रूप से मासिक आधार पर वितरण किया जाता है। सभी राज्य सरकारों को विश्वास दिलाया गया है कि केन्द्र के पास उपलब्ध सप्लाई का वितरण विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और केन्द्र के पास खाद्यान्नों की समस्त उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा।
हैं।

श्री श्रीनारायण दास : इन 70 लाख टन में से, जिनका प्रबन्ध अब तक किया गया है, कितना स्थायी भंडार में रखा जायगा और कितना इस वर्ष उपयोग में लाया जायगा ?

श्री गोविन्द मेनन : फिलहाल स्थायी भंडार बनाने का कोई आशय नहीं है क्योंकि अभी हम एक नाजूक दौर में से गुजर रहे हैं। इस विषय में तो हम कुछ समय बाद ही विचार कर सकते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : आदरणीय मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि इस वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिये हमें 100 लाख या 120 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी जबकि अब तक केवल 70 लाख टन अनाज मंगाने के लिये प्रबन्ध किया गया है। आवश्यकता के शेष भाग को पूरा करने के लिय और क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री गोविन्द मेनन : और अधिक प्राप्त करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती रेणुका राय : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि देश में कुल उपज का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। मैं यह जानना चाहूंगी कि वे किस प्रकार कुल आवश्यकता अथवा कमी का अनुमान लगा लेते हैं ? यदि उन्हें यह मालूम नहीं है कि देश में कुल उपज और आवश्यक की मात्रा क्या है तो वे किस प्रकार यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें कितना आयात करना है ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरे विचार में प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं समझा गया। प्रश्न यह था कि देश की आवश्यकता पूर्ती के लिये आयात किये जाने वाले खाद्यान्न का ठीक ठीक अनुमान क्या है और इसका उत्तर यह था कि हमारे जैसे विकासोन्मुख देश में आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता **(अन्तर्बाधायें)**

श्री श्रीनारायण दास : केवल एक वर्ष की आवश्यकताओं का भी अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता ?

श्री गोविन्द मेनन : चूंकि प्रत्येक वर्ष का आवश्यकता बढ़ती जायेंगी **(अन्तर्बाधायें)**

श्री श्रीनारायण दास : प्रश्न में केवल इस वर्ष की आवश्यकता के अनुमान के विषय में पूछा गया था आगामी वर्षों के विषय में नहीं।

श्री गोविन्द मेनन : चुंकि इस वर्ष अत्पादन में 120 लाख टन की कमी हुई है। अत: यह निश्चय रूप से कहा जा सकता कि इतनी मात्रा में तो आयात करना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह है कि जो हमारे देश में पैदा होता है वह हमारे लिये काफी होता है। परन्तु इस बार 120 लाख टन कम होगा, सो हमें इतनी मात्रा की ही आवश्यकता होगी।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विचारणीय विषय तो यह है कि इस वर्ष उतनी आवश्यकता नहीं होगी जितनी एक सामान्य वर्ष में होती है। कमी के कारण हमे अपने उपभोग को कुछ हद तक सीमित करना होगा। अत: हम अनुमानित कमी को पूरा

नहीं कर सकते । मंत्री महोदय ने उस मात्रा की ओर संकेत किया था जो वर्तमान उपभोग स्तर के आधार पर आंकी गई थी क्योंकि प्रयास यह किया जाता है कि वर्तमान स्तर नीचे न गिरने पाये इससे म सहमत हूं कि यह मात्रा प्रर्याप्त नहीं है । कम उपज वाले वर्ष में भी हम वर्तमान स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहते और इसी आधार पर कि इस वर्ष विशेष की कमी को पूरा किया जाता। यह आवश्यकता वस्तुतः संतुलित खराक के अनुरुप नहीं है क्यों को प्रत्येक व्यक्ति की संतुलित खुराक तो इससे कही अधिकहै । इसी आधार पर उन्होंने यह कह दिया कि आवश्यकताओं के ठीक आंकड़े एकत्र करना सम्भव नहीं है । इन बातों को घ्यान में रखते हुये कि क्या वस्तुएं हमारे यहां पैदा होती हैं और किनकी हमारे यहीं अधिक खपत है, हम आयात करने का प्रयास करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रत्येक वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पूरी की जा रहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यकता के अनुरूप नहीं । चूंकि 120 लाख टन की कमी है इसलिय उतनी तो आवश्यकता होगी ही ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उपरोक्त आधार पर हमने अनुमान लगाया है । वास्तव में ततीय योजना के लक्ष्य इस बात को आधार बनाते हुये निर्धारित किये गये थ कि तृतीय योजना के अन्त तक हमारी क्या आवश्यकता होगी । हमने यह लक्ष्य 1000 लाख टन निर्धारित किया था जिसे हम प्राप्त करने में असफल रहे । यह तभी सम्भव था जबकि प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लेता । चूँकि हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं इसलिये हमें उपभोग के निम्नतर स्तर से ही संतुष्ट होना पड़ेगा ।

श्री लिंग रेड्डी : विदेशों से आयात किये जाने वाले खाद्यान्न की 71 लाख टन की प्रस्तावित मात्रा में से कितना प्राप्त किया जा चुका है ?

श्री गोविन्द मेनन : इसमें से लगभग 50 लाख टन प्राप्त किया जा चुका है ।

श्री भागवत झा आजाद: मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनान से 5000 टन, नीदरलैंड्स से 6000 टन और वातिकन से 2000 टन की सहायता राजनतिक अकाल या धार्मिक किस आधार पर स्वीकार की गई है ? जबकि अन्य देशों से अन्य मात्रा स्वीकार करना सम्भव नहीं तो कैसे ये वस्तुएं इन देशों से स्वीकार कर ली गई ? भूखमरी के गीत-ताल-लय के साथ गाने की छूट क्यों दी जा रही है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : केवल यही वस्तु नहीं है जो हमें इन देशों ने भेट-स्वरूप दी है इसके साथ दूध का पौऊडर तथा अन्य वस्तुएं भी इन देशों ने हमें उपहार में दी हैं। यह सब उसी सहायता के अन्तर्गत है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : म यह जानना चाहूंगा कि इनका मूल्य क्या होगा और क्या नौवहन भाड़ा डालर में भुगताना होगा ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : भाड़ा हमें डालर में ही अदा करना होगा ।

श्री रामनाथ चेट्टीयार : मूल्य क्या होगा ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जहां तक अमेरिकन गेहूं का सम्बन्ध है, हम उसका लगभग 380 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदायगी करते हैं। इस प्रकार कुल मूल्य 5,000,286 रुपय होता है । अन्य वस्तुएं जो हमने प्राप्त की हैं उनमें से गेहूं तो निःशुल्क दान कार्यक्रम के अन्तर्गत है और चावल का मूल्य 550 रुपये से 600 रुपये प्रति टन होगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : किन देशों ने यह आग्रह किया है कि खाद्यान्न उन के अपने जहाजों द्वारा आयात किया जाना चाहिये और क्या यह सच है कि उन सम्बन्धित देशों द्वारा जो भाड़ा वसूल किया गया है वह आम्तौर पर वसूल किये जाने वाले भाड़े से बहुत अधिक है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : पी० एल० 480 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत गेहूं अम्रीकी जहाजों में आयेगा। विश्व के औसत भाड़े से अम्रीकी भाड़ा काफी ज्यादा है परन्तु अतिरेक भाड़ा अम्रीकी सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It was reported lately in Press that ten ships laden with food at the Calcutta port have not been off loaded because the labour is on strike for some reasons. What is the name of the country that has sent these foodstuffs as also of that to which these vessels belong and whether these have been completely off loaded?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह जानकारी मेरे पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

श्री प० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हमारी आवश्यकता लगभग 1.2 करोड मीटरी टन होगी और आयातित मात्रा 70 लाख टन तक है ; शष मात्रा देश के अन्दर से ही प्राप्त की जायेगी ......

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : देश में से नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यदि ऐसा है तो क्या सरकार.......

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हमारी आवश्यकता 1.2 करोड़ टन होगी। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि क्योंकि कमी उस हद तक है, इसलिये हमें कम से कम उतनी मात्रा की आवश्यकता होगी

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जहां तक हमारे वर्तमान उपभोग स्तर का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा है कि कम से कम 1.2 करोड़ टन का आयात करना पड़ेगा । क्या मंत्री महोदय को पता है कि कुछ स्थानों में विशेष रूप से आन्ध्र-प्रदेश में जहां कि नई किस्म का धान पैदा किया जा रहा है, खाद्य निगम ने इसका समाहार नहीं किया है जिसके परिणामस्वरुप, यद्यपि किसान सरकार द्वारा निर्धारित सम्पर्क मूल्यों पर अनाज देने के लिये तैयार है फिर भी उनके पास अनाज बड़ी मात्रा में मौजूद हैं ? आन्तरिक समाहार उचित रूप स क्यों नहीं किया जा रहा है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे हर्ष है माननीय सदस्य ने यह जानकारी की है । मैं इसकी जांच करवाऊँगा । यह हमारी नीति है कि देश में जो भी खाद्य वस्तु उपलब्ध है खाद्य निगम उसको खरीदे ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्री अशोक मेहता हमारे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा की सहायता प्राप्त करने के लिये अमरीका और रूस गये और खाद्य तथा कृषि मंत्री भी खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये कुछ समय पूर्व अमरीका गये थे । चूंकि हमारे वर्तमान-स्टाक और आवश्यकताओं में अन्तर है, तो क्या माननीय मंत्री इस कमी को दूर करने के लिये फिर से विदेश जायेंगे ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मेरे विदेश जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शिकरे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष सरकारने देश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक अकाल की हालत और भुखमरी की दशा पैदा कर दी है, जिससे काफी संख्या में लोग मरे हैं क्या हम यह विश्वास कर सकते ह कि अगले वर्ष विदेश से खाद्य सहायता की समूची आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम होगी ?

श्री चि० सुब्रम्ह्ण्यम : वास्तव में अगले वष के लिय हमने 950 से 970 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और स्वभावतः यह काफी हद तक वर्षा पर निर्भर करेगा ।

विमान निगमें

+

*1575. **श्री मधु लिमये :** **श्री बागडी :**
श्री किशन पटनायक : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री फिरोडिया :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उडुयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली बार विमान चालकों की हड़ताल के कारण जब इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाएं बन्द कर दी गई थीं, तब इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के जनरल मैनेजर ने उद्घाटन उड़ान पर विमान द्वारा न्यूयार्क जाने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) क्या तब सरकार ने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया था;

(ग) क्या हाल में जब एयर इंडिया की विमान सेवा बन्द की गई थीं, इसके प्रधान तथा वाणिज्यिक निदेशक विदेशों में थे और उन्होंने भारत आना उचित नहीं समझा था; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के दोनों निगमों में बढ़ती हुई अनुत्तरदायित्व की भावना तथा कर्मचारी संस्थाओं तथा संघों द्वारा हाल में की गई मांग को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस मामले में सार्वजनिक जांच करने का आदेश देने का है ?

परिवहन, उडुयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) : मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं ।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक निदेशक 10 मार्च, 1966 को बम्बई से बाहर गये और 20 मार्च, 1966 की सुबह को वापस आये । वे महत्वपूर्ण सरकारी काम से लन्दन और जेनेवा गये ।

एयर इंडिया के चेयरमैन 12 मार्च, 1966 को बम्बई से बाहर गये और 24 मार्च, 1966 को वापस आये । दौरे पर जाने से पहले चेयरमैन की इंडियन फ्लाइट नेवीगेटर्स गिल्ड के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक पंचाट के कारण पैदा हुई उनकी मांगों के सम्बन्ध में बैठक हुई । 12 मार्च, 1966 को जब वे महत्वपूर्ण सरकारी काम से विदेश गये तो उस समय गिल्ड द्वारा हड़ताल के नोटिस दिये जाने का या नेवीगेटरों की अकस्मिक हड़ताल का कोई संकेत नहीं था । जिस समय से हड़ताल शुरू हुई उसी समय से चेयरमैन हड़ताल से सम्बद्ध सभी मामलों से पूर्ण परिचित रखे गये थे क्योंकि जनरल मैनेजर उनसे लगातार सम्पर्क स्थापित किये हुए थे ।

(घ) जी, नहीं । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सरकारी व्यवसायों पर संसदीय समिति ने दोनों कारपोरेशनों के कार्य पर पूण जाँच करने के बाद हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस स्थिति में जांच करना आवश्यक नहीं समझा जाता है । संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

Shri Kishan Pattnayak : I rise on a point of order. In the statement it is given that by 12th March "there was not indication of a strike notice by the guild or of an imminent striker...." Later Shri Madhu Limaye informed him in this House that the strike notice was given by 12th March.

Mr. Speaker : He may ask a supplementary. What is the point of order in that?

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में गलत तथ्य दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब वह अपना अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Has the hon. Minister received a memorandum from the Members of Parliament containing charges with proof against the General Manager of Air India International, Station Manager, Santa Cruz, Manager at Madras, Commercial Director etc. which are:

(a) Indian Aircraft Rules which prohibit carriage of arms and ammunition on passenger flights have been violated;

(b) Sea Customs Act has been violated;

(c) Foreign Exchange Regulations Act No. 2 has been violated; and

(d) AII corporation rules prohibiting use of corporation procedures for private ends also have been thrown overboard.

Was that information placed before the public undertaking Committee and did that committee decide after that that there was no need for enquiry?

श्री चे० म० पुनाचा : एयर इंण्डिया से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच सरकारी उपक्रम समिति द्वारा कर ली गई है । उसका प्रतिवेदन मिल गया है और उसकी जांच हो रही है । अन्य छोटी-छोटी बातों की जांच सम्बन्ध प्राधिकारी द्वारा की जा रही है ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir. I had asked a specific question whether the memorandum submitted by me was received before the Committee on Public undertakings finalised its report.

श्री संजीव रेड्डी : ज्ञापन बाद में मिला था ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Station Manager of Santa Cruz, who is under suspension, is getting 75 per cent pay during this period of suspension and whether the subordinate staff is also extended the same very benefit?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे जानकारी नहीं है । मैं जांच करके यह सूचना सभा-पटल पर रखूंगा ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, a letter has been addressed to the hon. Minister. I would like to ask why don't the minister come prepared to the House?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह सूचना सभा-पटल पर रखें ।

श्री संजीव रेड्डी : इसके अलावा माननीय सदस्य ने और भी आरोप लगाये हैं और उनकी जांच करनी होगी ।

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether the hon. Minister has received a complaint to the effect that an officer of Air India International wanted to go to New York in July and a telex message was fabricated for him; may I know whether this complaint has been verified?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे पास जानकारी नहीं है। यह एक आरोप है। इसकी जांच करनी होगी। यदि यह पाया गया कि अधिकारियों की गलती है तो उन्हे किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जायगा। हम इस बारे में जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत है कि एयर इंडिया के अधिकारियों ने रिज़र्व बैंक से "पी" फार्म लिये बिना 3,000 से 4,000 यात्रियों के यात्रापत्र बुक किये हैं जो कि नियमों की भारी अवहेलना है ?

श्री संजीव रेड्डी : हमारा ध्यान कुछ अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है और सम्बन्ध मंत्रालय इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस दृष्टि से कि विमान-चालकों तथा व्योम-बालाओं के झगड़े बढ़ गये हैं और इस सम्बन्ध में शिकायतें भी आई हैं क्या सरकार इस बारे में सावजनिक जांच करायेगी जसा कि प्रश्न के भाग (घ) में पूछा गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे ज्ञात है कि व्योम-बालाओं तथा विमान चालकों के बारे में शिकायतें आई हैं। दोनों निगमों के विरुद्ध सार्वजनिक जांच कराने के बारे में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आवश्यकता हुई तो जांच समिति नियुक्त की जायगी।

भू-बन्धक बकों द्वारा ऋणपत्र जारी किये जाना

*1577. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये ऋणपत्र जारी करने के मामले में भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में केन्द्रीय भू-बन्धक बैंकों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन किस प्रकार का है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भू-बन्धक बैंकों के लिये इस समय जो धन नियत किया जाता है किसानों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये वह बहुत कम होता है; और

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बकों द्वारा ऋण-पत्र जारी करने के मामले में भारत के रिज़र्व बैंक ने कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की है। तथापि, उन्होंने वर्ष 1966–67 में इन ऋण-पत्रों लिये अपने अंशदान की मात्रा को सीमित कर दिया है।

(ख) से (घ): अखिल भारतीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक संघ ने भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र कार्यक्रम की सहायतार्थ अधिक साधन सुलभ करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है। वर्ष 1966–67 में 35.65 करोड़ रुपए तक के ऋण-पत्र कार्यक्रम को सहायता देने के लिए साधन ढूंढ लिए गए हैं और उस सीमा तक का कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया गया है। एक विस्तृत कार्यक्रम की सहायता के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध करने की सम्भाव्यता का पता लगाया जा रहा है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जान सकता हूं कि रिज़र्व बैंक ने धन का अपना आनुपातिक अंश इस कार्य में लगाया है; यदि हां तो वह अनुपात कितना है ?

श्री श्यामधर मिश्र : 35 करोड़ रुपये में से इस वर्ष रिज़र्व बैंक द्वारा 4.7 करोड़ रुपये लगाये जा रहे हैं। पहले रिज़र्व बैंक ने यह स्वीकार किया था कि सारी कमी का 20 प्रतिशत धन लगाया जायेगा। वह इस वर्ष तथा पिछले वर्ष यह बात पूरी नहीं कर सका।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात की दृष्टि से कि सरकार ने कृषि-उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है और भू-बन्धक बैंकों द्वारा इस कार्य में महत्वपूर्ण भाग लिया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करायेगी ताकि यह भू-बन्धक बैंक दीर्घकालीन ऋण दे सकें ?

श्री श्यामधर मिश्र : हम इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे। हम योजना आयोग की बैठक के प्रयत्न भी कर रहे हैं और रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक तथा जीवन बीमा निगम आदि को अधिक धन उपलब्ध कराने के लिये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि दीर्घकाली ऋण पर्याप्त न होने के कारण बिहार में कृषि-उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं।

Shri K. N. Tiwary : Land Mortgage Bank was instituted to provide relief to the peasants. May I know the present indebtedness of the farmers and extent of relief provided to them by the Reserve Bank?

Shri Shyam Dhar Misra : The outstanding long term loan with the farmers by the end of fourth Plan would be about 300 crores of rupees.

श्री रंगा : क्या अनावृष्टि वाले क्षेत्रों के कृषकों को यह राहत दी जायगी कि वह ऋण की अदायगी देर से करें ?

श्री श्यामधर मिश्र : ऐसी कोई योजना नहीं है और न ही हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं हम केवल अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में बदलने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

इथोपिया में ऊनी कपड़ा मिल की स्थापना

+

***1578 श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री 18 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड ने इथोपिया में 5.25 लाख रुपये की पूँजी लगाने की स्वीकृति के लिये मेसर्स एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड के प्रार्थनापत्र पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) क्या कम्पनी के हिस्सेदारों ने ऐसी स्वीकृति देने के विरोध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) क्या सरकार ने कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की अच्छी तरह जांच कर ली है और उसे सन्तोषजनक पाया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) से (घ) : बोर्ड द्वारा बनाये गये दोनों निर्देशक सिद्धान्तों अन्तरनिगम्ति निवेश के विशेष मामलों में लागू होने वाले सिद्धान्तों और पूंजी लगाने वाली कम्पनी के हिस्सेदारों के कुछ दृष्टिकोणों, विशेष रूप से पूँजी लगाने वाली कम्पनी द्वारा भूत मे लगाई गई पूँजी और उसकी वित्तीय स्थिति पर आधारित बातों को दृष्टि में रखते हुए अभी तक नैशनल टैक्सटाइल शेयर कम्पनी, इथोपिया के हिस्सों में एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कम्पनी लिम्टिेड द्वारा पूंजी लगाने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र की परीक्षा की जा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ब्रिटिश कम्पनी है और अंशधारी द्वारा उठाई गई आपत्ति क्या है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरे विचार मे 2,70,000 एथोपियाई शिलिंगो का निवेश था । इस कार्यक्रम में डयुँकन ब्रदर्स तथा एथोपियन कम्पनी आपस में भागीदार हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पटसन कारखाने के मालिक जोकि धन की कमी के कारण कर्मचारियों को बोनस नहीं दे सकते, इथोपिया जैसे अल्प-विकासित देशों में लाखों रुपया लगा रहे हैं और वह ऐसा मजदूरों के शोषण तथा लाभ उठाने की नियत से कर रहे हैं ; यदि हां, तो सरकार उन्हें इसकी अनुमति क्यों दे रही है और इसके लिये बातचीत सरकारी स्तर पर क्यों नहीं की जाती?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसीलिये मैंने यह कहा है कि एक अंशधारी द्वारा लिखे गये पत्र के परिणामस्वरूप हम इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का यह विचार है कि एथोपिया में ऊन इकट्ठा करने के लिये ठीक वातावरण है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह कार्य तो सम्बद्ध कम्पनी करेगी । हम तो इस मामले की कानूनी बातों की जांच कर रहे हैं ।

मुसलमानों में बहुविवाह पर प्रतिबन्ध

*1580. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों में बहु-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने और इस प्रयोजन के लिये एक कानून बनाने की कोई मांग हाल ही में की गई है;

(ख) क्या इस पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) जी हां, कुछ समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टो से यह प्रतीत हुआ कि बम्बई के कुछ मुसलमानों ने मुसलमानों में प्रचलित बहुविवाह पर प्रतिबन्ध लगाने की और इस प्रयोजन के लिए एक विधि अधिनियमित करने की मांग की थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

श्री दीवान चन्द शर्मा : क्या सरकार भारत में सभी वर्गों के लिये एकसमान विवाह सम्बन्धी कानून बनाना चाहती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : एकसमान कानून बनाने की हमारी इच्छा है । परन्तु धार्मिक और नागरिक मांगों के कारण हम इस मामले में जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि भारत, पाकिस्तान, ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों में महिलाओं के संगठन इस सुधार की मांग कर रहे हैं, और जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है एक ही विवाह होना चाहिए और, यदि हां, तो हमारा देश, जो विवाह सम्बन्धी कानून के सुधार में अग्रणी रहा है, क्यों नहीं इस विषय में अग्रणी रहता ?

श्री चे० रा० पट्टाभिराम : हम चाहते हैं कि महिलाओं के ये सब संगठन मजबूत हों और हमें आशा है कि यथा समय हम एकसमान कानून बना सकेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान में यह दिया हुआ है कि सरकार को एकसमान सिविल संहिता की स्थापना के लिये प्रयत्न करना चाहिए, क्या सरकार की नीति इस सम्बन्ध में धीरे चलने की है ? प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु के पश्चात, हमने ईसाई कानून में एक भी परिवर्तन नहीं किया है और अब हम इस देश में मुस्लिम कानून को छेड़ने से भी डरते हैं । सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कुछ समय पूर्व हमें सिविल संहिता के प्रश्न पर विचार करना पड़ा था । यह सच है कि हम प्रयास कर रहे हैं । परन्तु हमें लोगों के धार्मिक विचारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है । अब तक हमारी इच्छा भारत के सभी नागरीकों के लिये एकसमान सिविल संहिता बनाने का है ।

Food Zone for Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat

+

S.N.Q.28. Shri Prakash Vir Shastri : Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Madhu Limaye : Shri Ramachandra Ulaka : Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether a proposal to form a food zone covering Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat like the one for Punjab, Uttar Pradesh and Delhi is under consideration.

(b) whether it is a fact that huge stocks of coarse grains such as gram have accumulated and are going waste in some of these States; and

(c) when a final decision is likely to be taken in the matter?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से मोटे अनाजों का स्टाक एकत्रित होने की सूचना नहीं मिली है । राजस्थान की कुछ मंडियों में कुछ चना एकत्रित हो गया है । पता चला है कि अन्य मोटे अनाजों का स्टाक भी अधिक नहीं है ।

(ग) खाद्यान्न नीति समिति वर्तमान क्षेत्रीय पद्धति को जारी रखने अथवा न रखने के प्रश्न की अभी जांच कर रही है । समिति से यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : As a result of forming a food zone of Punjab, Uttar Pradesh and Delhi, the farmers, who nad accumulated large stocks of food-grains, received fair price for them and prices in U. P. and Delhi came down. In the circumstances what is the difficulty in forming a food zone of Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan, for not taking any decision so far?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : By what time, as it is already going on for one month? Is it a fact that Government wants to do away with the zones, but because of some vested interests the Chief Ministers do not let the decisions of the Central Government be implemented and that is why there is tension between the Central Government and Chief Ministers. For how long this problem would keep hanging fire and cause difficulty to the farmers and consumers?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह सच नहीं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में तनाव चल रहा है । एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है और जैसे ही इसका प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा हम निर्णय लेंगे ।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that as a result of restrictions on import-export act regional, state and zonal level within the country, state Governments are profiteering on a large scale? According to charge No. 4 of the Charge sheet against Shri Sukhadia, he imposed restrictions on the export of maize and rice from Udaipur and collected $1\frac{1}{4}$ lakhs rupees by charging Rs. 1 per ton on the export of these items. Similarly rice and foodgrains were collected at cheap rates in Rajasthan and sold at higher prices to Madras or West Bengal. Have the Government received such complaints and whether Government propose to lift restrictions imposed at regional, state or District level?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं यह नहीं मानता कि राज्य सरकारे मुनाफाखोरी करती रही हैं, परन्तु अन्तिम निर्णय लेने से पहले माननीय सदस्य द्वारा बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखा जायेगा ।

Shri Kishan Pattnayak : The Hon. Minister has stated that there is no profiteering, but I would like to know at what price the Rajasthan Government purchased wheat and gram and at wnat price it sold them?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : उन्होंने गेहूं नहीं चना बेचा था । मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है । तथापि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Kishan Pattnayak : I have not asked for figures, I have asked for the price. At what price the gram was purchased and at what price the gram was sold.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री द्वारा जारी किये गये विभिन्न वक्तव्यों से यह पता चलता है कि अमरीका से भारी मात्रा आयात की गई गेहुं के कारण इस समय गेहूं की कोई कमी नहीं है । यदि यह सच है तो जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने का क्या लाभ है, चाहे यह उत्तर प्रदेश हो अथवा राजस्थान ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे दिया जा चुका है । कमी के समय हम हर स्थान पर कमी की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते जिससे हमें प्रत्येक स्थान पर आयातित गेहूं न भेजना पड़े । इसीलिये हम इन प्रतिबन्धों द्वारा कमी के इलाकों को वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं और आयातित खाद्यान्न द्वारा उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करते हैं ।

Shri Sheo Narain : I would like to know, that in view of the fact that wheat and gram are rotting in Punjab and rice is being smuggled into China from the Nepal border and is not being sold in the country because of these restriction, what objections the Government have in removing these restrictions, when there is a demand from every quarter that these restrictions be removed?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में मतभेद है । इसीलिये निर्णय लेने से पहले हमें इस मामले की सविस्तार जांच करनी पड़ेगी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर ध्यान दिया है जिसमें ग्राम विक्रेताओं के साथ जो कठोर और अनुचित व्यवहार हो रहा है उसका वर्णन है और 8 करोड़ रुपये का चना राजस्थान की मण्डियों में रोका हुआ है, जिसे न तो सरकार खरीद रही है और न ही किसी अन्य रीति से उसका निपटान कर रही हैं यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? मैंने स्वयं एक विस्तृत पत्र माननीय मंत्री को भेजा था जिसके साथ मैंने उच्च न्यायालय की निर्णय की प्रति भी लगा दी थी । फिर भी कुछ नहीं किया गया है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं निर्णय को ढूंढने का प्रयत्न करूंगा और उसे पढ़ूंगा ।

श्री रंगा : महोदय, उनको निर्णय की एक प्रति भेजी गई थी । उन्हें कोई निर्णय लेकर इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए था । यह केवल टालमटोल है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने गेहूं के वर्तमान स्टाक का पता लगाया है और अमरीकी गेहूं आने पर, गेहूं के मूल्यों को एक स्तर से नीचे गिरने से रोक कर किसानों को बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह सप्लाई पहले ही आनी आरम्भ हो गई है । इसके बावजूद देशी गेहूं के मूल्य काफी ऊंचे हैं और सरकार इन मूल्यों को नीचे गिरने से रोकने के लिये कार्यक्रम बना रही है, यदि इसकी मूल्य एक विशेष मूल्य से नीचे गिरा तो हम हस्तक्षेप करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पुनः क्षेत्र निर्धारित करने तथा बड़े क्षेत्र बनाने के अतिरिक्त क्या माननीय मंत्री को पता है कि राजस्थान में खाद्यान्न के लाने ले जाने के बारे में जिले से जिले पर प्रतिबन्ध है ? ऐसा क्यों है जब कि इतनी अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है और राजस्थान की आवश्यकतायें पुरी की जा रहीं है ? इस जिले से जिले के प्रतिबन्ध के सबन्ध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं मानता हूं कि जिले से जिले में भी प्रतिबन्ध हैं । हमने राज्य सरकार से कहा है कि यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जाना चाहिए, विशेषतया जबकि कोई अधिप्राप्ति कार्यक्रम नहीं है । मुझे आशा है कि वह इस पहलू पर विचार करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वास्तव में आपके समर्थन के बिना यह जिले से जिले का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है । आपके पास यह अधिनियम है और आपने इस सभा को आश्वासन दिया था कि आपके समर्थन के बिना किसी भी राज्य को ये प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार नहीं है । क्या मैं यह समझूं कि उन्होंने ये प्रतिबन्ध आपके समर्थन से लगा रखे हैं या आपके कहने के बावजूद लगा रखे हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : नियन्त्रित मतों पर समाहार करने के लिये यह आदेश काफी पहले दिया गया था । यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि इन प्रतिबन्धों के बिना समाहार असम्भव है । अब चूंकि समाहार कार्यक्रम को छोड़ दिया गया है और अधिकतम मूल्य को लागू करने की व्यवस्था भी नहीं है, हमने राज्य सरकारों से कहा है कि इन प्रतिबन्धों की आवश्यकता नहीं होगी । उनका उत्तर प्राप्त होते ही मैं निर्णय करूंगा ।

श्री रंगा : क्या मंत्री महोदय के लिये यह उचित नहीं था कि वह सीधे राजस्थान सरकार से पूछते कि उस निर्णय के सम्बन्ध में उसको क्या करना है, वह व्यापारियों को वहां पर क्यों तंग करते हैं और उस राज्य में लाखों टन अनाज को क्यों सड़ने देते हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : वह निर्णय मैंने नहीं देखा हैं । यह मूल से किसी गलत स्थान पर रखा गया है । परन्तु मैं निर्णय की एक प्रति प्राप्त करूंगा और उसकी जांच करूंगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : लगभग एक महीना पहले निर्णय की पूर्ण प्रति उस पत्र स हित मंत्री महोदय को भेजी गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही थी और यह कि इन व्यापारियों से सरकारने जो वायदा किया था उससे पीछे हट रही थी । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि नहीं मिल पाया है । पूरा महीना बीत गया है और कुछ भी नहीं किया गया है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : माननीय सदस्यों से जो पत्र प्राप्त होते हैं सामान्यत: मैं उनकी जांच करता हूं, परन्तु इस पत्र को मैंने देखा हो, यह मुझे याद नहीं है ।

श्री रंगा : मेरा एक व्यवस्था और विशेषाधिकार का प्रश्न है । एक ग्रुप के नेता ने माननीय मंत्री को उच्च न्यायालय का पूरा निर्णय भेजा था और मंत्री महोदय ने इसको देखने और राजस्थान सरकार को भेजने तक का कष्ट नहीं किया । वह स्वयं यह मानते हैं कि उनको यह भी याद नहीं है कि उन्होंने इसको देखा था ।

इस सभा के तथा विपक्ष दल के नेताओं के साथ वे इस प्रकार दायित्वहीन ढंग से व्यवहार कर रहे हैं । यह बिलकुल दायित्वहीन ढंग है ।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि संसद सदस्य के पत्रों पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिये परन्तु फिर भी ग़लतियां हो जाती हैं । उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये और जो आवश्यक कार्यवाही की जानी है वह तुरन्त की जानी चाहिये । परन्तु अब माननीय मंत्री ने यह बतलाया है कि उन्हें याद नहीं है कि...........

श्री रंगा : उनके कहने का क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह रह गया है तो हम उनसे यही कह सकते हैं कि वह अब उसको देख कर अपनी प्रतिक्रिया दें ।

श्री रंगा : उन्हें ऐसा दुबारा नहीं करना चाहिये । क्या उन्हें इस सभा से क्षमा मांगनी चाहिये । मैं ऐसा कहने के लिये क्षमा चाहता हूं परन्तु यह पर्याप्त नहीं है कि अध्यक्ष महोदय तथा सभा एक सामान्य सिद्धान्त के अभिव्यक्त किये जाने से ही संतुष्ट हो जायें । उस सिद्धान्त का प्रयोग किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । यह ऐसा मामला है जिसके बारे में सभा को पता है परन्तु माननीय मंत्री को यह याद नहीं है कि उन्हें ऐसा पत्र अथवा निर्णय मिला था । वे परवाह नहीं करते । उन्होंने फिर भी यह उत्तर दिया है कि उनकी कोई ग़लती नहीं है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : कौन चिल्ला रहा है ?

श्री रंगा : आप चिल्लाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री रंगा : उन्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He should apologise for this. He threw it into the waste paper basket.

श्री रंगा : यदि ऐसी स्थिति है तो इस सभा से क्या लाभ ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं बीच में नहीं बोलता परन्तु खाद्य आयात के मंत्री महोदय ने यह कहा था कि स्वतंत्र दल के नेता भविष्य में किसी समय उनके स्थान में प्रशासक हो कर अच्छा व्यवहार कर सकते हैं ? यह ताना उस समय कसा गया है जबकि श्री रंगा ने उनके द्वारा अपनी अक्षमता को स्वीकार करने का उल्लेख किया था । मुझे मामले से कुछ सम्बन्ध नहीं है परन्तु एक मंत्री जो विदेशों में मांगने का विशेषज्ञ है ऐसा व्यवहार............. । **(व्यवधान)**

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे इस बात पर आपत्ति है । एक सीमा होती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात कहना विषय से सम्बन्ध नहीं रखती कि वह विदेशों में........ **(व्यवधान)**

श्री ही० ना० मुकर्जी (जारी) **:** माननीय मंत्री को औचित्य तथा नम्रता का ध्यान रखना चाहिये विशेषकर जब वह एक दल के नेता के साथ व्यवहार कर रहे हों । माननीय मंत्री ने सुझाव दे कर.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या दोनों पक्षों के सदस्यों से औचित्य तथा नम्रता का व्यवहार अपेक्षित नहीं है ? जिस भाषा का माननीय मंत्री द्वारा प्रयोग किये जाने पर आपत्ति है, क्या इस प्रकार का व्यवहार न किये जाने की बात सभा के अन्य सदस्यों पर लागू नहीं होती ?

अध्यक्ष महोदय : हां, वह सब माननीय सदस्यों पर लागू होती है ।

श्री भागवत झा आजाद : जब प्रतिपक्षी दल के नेता अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं तो क्या बहुमत दल तथा मंत्रिमण्डल के मंत्री उन लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा न रखें ?

श्री राजेश्वर पटेल : इस देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए और यह भी देखते हुए की मंत्री महोदय खाद्यान्न लेने के लिए संसार के विभिन्न भागों की यात्रा कर रहे हैं, क्या एक सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में खाद्य मंत्रालय को सूचित

करे ? क्या खाद्य मंत्रालय को इस मामले की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये और 8 करोड़ रुपये चनों की बचत करनी चाहिये ?

श्री दी० चं० शर्मा : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सभा में शान्ति पुनस्थापित कर दी है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। मेरा एक निवेदन है कि किसी भी संसद सदस्य को चाहे वह कांग्रस दल का सदस्य हो अथवा प्रतिपक्षी दल का और चाहे वह किसी दल का नेता हो अथवा मंत्री हो, किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने दिया जाये। किसी व्यक्ति पर मिथ्या दोष नहीं लगाये जाने चाहिये। मुझे मंत्रियों से कोई विशेष प्रेम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनको किसी से प्रेम है ?

श्री दी० चं० शर्मा : दक्षिणपंथी साम्यवादी दल के नेता द्वारा जो दोषारोपण किये गये हैं उसे वापस लिया जाना चाहिये। वे सद्भावना पूर्ण नहीं है। और न उनसे सभा का मान ही बढ़ता है। (**व्यवधान**) वह बडे विख्यात विद्वान है। वह संसदीय प्रक्रिया के परिक्षक हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे ही बने रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के विवाद का जो अचानक ही आरम्भ हो जाता है कभी अन्त भी होना चाहिये। सभा के अन्दर भाषा सहनशीलता तथा सहिष्णुता के साथ प्रयोग की जानी चाहिये कभी कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं......

एक माननीय सदस्य : सभा के बाहर।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा दुर्भाग्य है कि प्रत्येक सदस्य ऐसा व्यवहार सभा के अन्दर करते हैं; बाहर तो वे सब बड़े भद्र पुरुष हैं। श्री मुकर्जी ने भी कुछ अनावश्यक बातें कहीं हैं जो उस समय नहीं कहीं जानी चाहिये थीं। कभी कभी गम्भीर प्रकृति वाले सदस्य भी उत्तेजित हो जाते हैं यह तो मानना ही पड़ेगा कि कभी कभी वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करने लगते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मंत्रियों के बारे में आपका क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों में मंत्री भी शामिल हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु श्रीमान, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति सदस्य न होते हुए भी मंत्री बन सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य तथा मंत्री के बारे में कह रहा हूं। मैं दोनों ही पक्षों के सदस्यों के बारे में की कह रहा हूं। जो अभ्यावेदन भेजा गया है उसमें कुछ बातों का उल्लेख है। अत: सामान्यत: मंत्री महोदय को उसका अध्ययन करने के बाद उस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये थी अथवा कुछ कहना चाहिये था.........

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मै ने उसके बारे में सामान्य रुप से कहा था। मै इस सम्बन्ध में तुरन्त जांच करूंगा। किसी कारण विषय मेरे ध्यान से उतर गया। मैं पुन: इस सम्बन्ध में कार्यवाही करुंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही स्पष्ट कर रहा था। माननीय मंत्री ने कहा है कि सामान्यतया वह ऐसे मामले की जांच उनके मिलने के तुरन्त बाद ही करते हैं। परन्तु यह मामला किसी कारण उनके ध्यान में आने से रह गया। उन्होंने कहा है कि वह इसकी जांच करेंगे। अत: मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार जांच आयोग

***1576. श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **विधि** मंत्री 22 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार जांच आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) : आयोग की सिफारशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

तुलीहाल हवाई अडडे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को क्षति

***1579. श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 8 माच, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को 19 फरवरी, 1966 को तुलिहाल हवाई अड्डे पर हुई क्षति के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पयटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी :) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में चीनी की मात्रा

***1581. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं को विभिन्न मात्रा में चीनी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसकी मात्रा को समान बनाने के लिए सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में उपयोक्ता को मिलने वाली शर्करा का भाव सरकार द्वारा जिन कारखानों से सम्बन्धित क्षेत्रों का शर्करा नियत की जाती है, उनके लिए निर्धारित शर्करा के निकालसी भाव, कारखानों से खपत वाले क्षेत्रों में दूरी, स्थानीय करों आदि को ध्यान में रखकर, निश्चित किया जाता हैं।

ये तथ्य जो कि प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न है, विभिन्न राज्यों में शर्करा के भावों में कमी-बेशी के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

कच्चे माल का आयात

***1582. श्री राम हरख यादव :**
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों तथा कृषि सम्बन्धी औजारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अपेक्षित कच्चे माल तथा उपकरणों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों तथा कृषि के प्रयोग में आने वाले पदार्थों के निर्माण हेतु मुख्य उपकरणों के लिए फालतु पुर्जो का और बड़े पैमाने पर आयात करने का निर्णय किया गया हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि कीटनाशक औषधियों तथा उर्वरकों के लिए कच्ची सामग्री के सम्बन्ध में आयातों को उदारतापूर्वक लाइसैन्स दिये जाये।

एयर इंडिया के विमानों की उड़ानों के दौरान लेन-देन में रुपयों में भूगतान स्वीकार न करना

***1583. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री एयर इंडिया के विमानों की उड़ानों के दौरान लेन-देन में रुपयों में भूगतान स्वीकार न करने के बारे में 29 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक का विनिर्णय सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): अधिसूचना संख्या एफ० ई० आर० ए० 211/63–आर० बी और एफ० ई०आर० ए० 213/63 आर बी० तिथि 21 फरवरी, 1963 और प्रेस नोट तिथि 22 फरवरी, 1963 में से प्रत्येक की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी-देखिये संख्या एल० टी० 6269/66]**

प्रबन्ध अभिकरण करारों की अवधि बढ़ाना

***1584. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **विधि** मंत्री 5 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध अभिकरण करारों को बहुत लम्बी अवधि के लिये बढ़ाये जाने के मामलों की उन्होंने यदि कोई जांच की हैं तो उसके परिणाम क्या हैं ?

3—72 L. S./66

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : जैसा कि लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 952 दिनांक 5-4-66 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों में विधि मंत्री ने बताया है, इन मामलों का परीक्षण पूर्ण होते ही सभा पटल पर एक विवरण रखा जायगा ।

अन्तर्देशीय विमान सेवाएं

***1585. श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अन्तर्देशीय विमान सेवाओं के विस्तार तथा उसमें सुधार करने के लिये अपनी चौथी योजना को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक किये गये कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : कारपोरेशन ने चौथी योजना के प्रथम वर्ष में जिन अतिरिक्त विमानों को प्राप्त करने का विचार किया था वे अभी तक प्राप्त नहीं किये हैं । अतः कारपोरेशन की सेवाओं में 1-4-1966 से, जबसे चौथी योजना आरम्भ हुई है, कोई विस्तार नहीं किया गया है ।

केरल में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास

***1586. श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या, **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुद्रीय उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद ने चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने के सम्बन्ध में कोई बृहद योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां । समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् के अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था और उन्होंने ऐसा कर दिया है ।

(ख) अधिक यन्त्रीकृत नौकाएं और मत्स्य नौकाएं चलाकर, शीत गोदाम, डिब्बाबन्दी तथा फिश मील प्लांट जैसी विधायन सुविधाएं सुलभ कर और मत्स्यहरण बन्दरगाहें, फीडर सड़कें तथा शीतताप परिवहन जैसी अनुषंगी सुविधाएं सुलभ कर मछली का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से यह एक निर्यात संवर्द्धक योजना है ।

(ग) और (घ): रिपोर्ट में चौथी योजनावधि में केरल में मात्स्यकी के विकास के लिये अपेक्षित निधि का अनुमान 31 करोड़ रुपये दिया गया है । यह पूंजी दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये अपेक्षित होगी । उद्योग का विकास के लिये अपेक्षित विभिन्न उपायों के बारे में रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का मसौदा तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है ।

खाद्यान्नों का समाहार

***1587. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों का खाद्यान्नों का, विशेषकर चावल का समाहार करने का काम, उनके घोषित लक्ष्यों से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) खाद्यान्नों के समाहार की कमी के कारण एक लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में इस वर्ष राशन व्यवस्था चालू करने में कहां तक बाधा पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग) : विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की उपज की मात्रा के बारे में अनिश्चित के कारण बहुत से राज्यों में अधिप्राप्ति के ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये । तथापि, इस वर्ष की वास्तविक उपज को देखते हुये अधिप्राप्ति की प्रगति धीमी नहीं कही जा सकती है । अनिवार्य लेवी को लागू करने में कडाई बरती जा रही है और यथासम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्न विशेषत: विभिन्न राज्यों के अधिशेष क्षेत्रों से एकत्रित करने के लिये अन्य सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

यह सच है कि राशन व्यवस्था लागु करने की प्रगति कुछ हद तक अधिप्राप्ति की प्रगति के सम्बध्द है । क्योंकि अधिप्राप्ति करने में कोई विफलता नही हुई है इसलिये यह अंदाज़ा लगाने का प्रश्न ही नही उठता है कि इस विफलता से किस सिमा तक राशन व्यवस्था लागु करने में रूकावट पड़ने की सम्भावना है ।

फार्म ऋण

***1588. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 22 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म ऋण के सम्बन्ध में विवरण देने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त एक समिति बनाने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और इस समिति का यथार्थ गठन तथा निर्देश पद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन

*1589. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मन्त्रालय के प्रशासनिक तंत्र को किसान-प्रधान बनाने के लिये उसका पुनर्गठन करने का काम पूरा हो चुका है;

(ख) ऐसे परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, जिन को कार्यरूप दिया जा चुका है; और

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने विभागों तथा मन्त्रालयों में ऐसा ही किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): इस समय कृषि विभाग प्रशासनिक मशीनरी का पुनर्गठन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विभाग के कार्य में अधिक सफलता प्राप्त करने हेतु तकनीकी अधिकारियों को अधिक अधिकार तथा दायित्व देना है । पुनर्गठन में प्रगति है ।

(ग) ऐसे पुनर्गठन के बारे में राज्य सरकारों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई थी कि राज्यों में भी केन्द्र की भांति कृषि उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विभागों का समन्वय किया जाना चाहिए ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्य की जांच

*1590. **श्री धूलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 22 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

बम्बई पत्तन

*1591. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "न्यूनतम योजना" के अन्तर्गत बम्बई पत्तन को आधुनिक बनाने सम्बन्धी कुछ जरूरी परियोजनाओं को 11 वर्ष तक विचार किये जाने के पश्चात 1959 में त्याग दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : बम्बई डाक तंत्र के नवीनीकरण के लिए बम्बई पत्तन ट्रस्ट कई वर्षो से कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा था। ये प्रस्ताव न्यूनतम योजना (मीनीमम स्कीम) के नाम से प्रसिद्ध हैं। विचाराधीन अवधि में समय समय पर इस में संशोधन किया गया। इस योजना में मुख्यत: इन बातों पर विचार किया गया है—प्रिन्सेज और विक्टोरिया डाकों को जोड़ना, उनमें लाक प्रवेश की व्यवस्था करना जिस से जहाज उन में ज्वार का का विचार न कर के हर समय प्रवेश कर सकें और अलक्जेंडा डाक की भांति गहरे डुबाव वाले जहाज वहां ठहर सकें। इन प्रस्तावों मे एक बड़ी कमी यह थी कि इनका लक्ष्य बम्बई पत्तन के मौजूदा घाटों में वृद्धि करना न था। इन के अन्तर्गत मौजूदा कम गहरे घाटों को बहुत बड़ी लागत लगाकर गहरे डुबाव वाले घाट बनाना था और उन में पत्तन की राजस्व अर्जन क्षमता में सुधार को कोई गुंजाइश न थी। साथ ही ट्रस्टियों ने इस योजना के लिए विशेष रियायत के आधार पर वित्तीय सहायता मांगी जिस के लिए सरकार सहमत न हुई। सरकार की यह राय थी कि कम डुबाव वाले घाटों की तटीय जहाजों और डाक के अपने जलयानों के लिए आवश्यकता होगी और अतिरिक्त घाटों की कम लागत पर व्यवस्था करने के लिए एक योजना तैयार करना वांछनीय है। अन्त में पत्तन ट्रस्ट ने यह राय मान ली और न्यूनतम योजना को त्याग दिया। डाकों के नवीनीकरण की अन्य संभावनाओं की जांच करने के बाद उस ने यह निर्णय किया कि अलेक्जेंड्रा डाक की एक वाह इतना आगे बढ़ाई जाय कि चार अतिरिक्त गहरे डुबाव वाले घाटों की व्यवस्था हो सके। यह भी निर्णय किया गया कि फेरी घाट को उत्तर की ओर ले जाया जाय और अलेक्जेंड्रा डाक हारबर वाल के साथ साथ तीन अतिरिक्त मध्यम गहरे डुबाव के घाटों की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत सरकार ने इस योजना को मंजूर कर लिया था और इस पर काम किया जा रहा है जिस के लिए विदेशी मुद्रा के व्यय का जहां तक सम्बन्ध है वह अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा ऋण रूप में दी जा रही है।

प्रबन्ध अभिकरणों सम्बन्धी समिति

***1592. श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नारायण दास :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या विधि मंत्री 8 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध अभिकरणों सम्बन्धी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) और (ख) : जी हां, महोदय। प्रतिवेदन की प्रतियां 3 मई, 1966 को सभा-पटल पर रखी गई थी।

(ग) समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

यन्त्रो की सहायता से खेती करना

***1593. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त कृषि दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पांच एकड़ से अधिक भूमि के मालिक किसानों को यंत्रों की सहायता से खेती करनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस को कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) प्लान परियोजना समिति ने भारत में "ट्रैक्टर तथा पावर टिलर" विषयक अपनी रिपोर्ट में यंत्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसने एकदम यंत्रीकरण करने की सिफारिश नहीं की है। उसने कहा है कि यह कार्य धीरे धीरे तथा कृषकों की इच्छा से होना चाहिये और ऐसा करते समय देशी मशीनों व उपकरणों की उपलब्धि को भी ध्यान में रखा जाए।

(ख) कृषकों को अधिकाधिक सुधरे उपकरण, पावर टिलर तथा ट्रैक्टर उपलब्ध करने की व्यवस्था की जा रही है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

*1594. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिये संसद के चालू सत्र में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उस की मुख्य रूपरेखा क्या होगी ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) और (ख) : सिफारिशों के परिपालन के लिए, जहां तक कि इनका विधान द्वारा परिपालन अपेक्षित है, निर्वाचन विधि को संशोधित करने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है और वह संसद के आगमी सत्र में पुरःस्थापित कर दिया जाएगा।

(ग) उस विधेयक की मुख्य बात यह होगी कि उस में निर्वाचन याचिकाओं का विचारण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किये जाने के लिए उपबन्ध होगा।

राज्य कृषि ऋण निगम

*1595. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री फिरोडिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य कृषि ऋण निगम स्थापित करने में यदि कोई प्रगति हुई है, तो कितनी;

(ख) इन निगमों के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार इन निगमों में क्या भाग लेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : यह मामला विचाराधीन है।

आसाम में सड़क परिवहन सम्बन्धी वस्तु भाड़ा

*1596. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 8 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम ने सड़क परिवहन संबन्धी वस्तु भाड़े के बारे में आसाम सरकार के सुझाव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में सड़क, रेल तथा नदी मार्गों के सम्बन्ध में वस्तु भाड़ों की दरों में तालमेल करने का निर्णय कर लिया है, और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): आसाम सरकार का किराये की दरों में कमी का प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम ने स्वीकार कर लिया है । 15-11-65 से उन चीजों के किराये की दरों में जिनका निगम सबसे अधिक यातायात करता है कमी कर दी गयी हैं ।

(ग) और (घ) : मामला अभी विचाराधीन हैं ।

प्रगतिशील किसानों को मूल्य की गारन्टी

***1597. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उन्नत तरीके अपनाने के लिये सहमत प्रगतिशील किसानों को मूल्य की गारन्टी के जरिये उत्पादन लागत सुनिश्चित करने के लिये कोई नीति सम्बन्धी निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कृषि मूल्य आयोग अन्य सम्बन्धित कारणों के साथ-साथ कृषि मूल्य नीति तथा मूल्य ढांचे पर परामर्श देगा और न्यूनतम मूल्य को निश्चित करने के लिए प्रगतिशील किसानों की खेती के मूल्य को दृष्टि में रखेगा । प्रगतिशील किसानों के उत्पादन के मूल्य सम्बन्धी उपलब्धीता अपर्याप्त है और उसे इकठ्ठा करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है ।

बिहार के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***1598. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **विधि** मंत्री बिहार के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य के बारे में, कि उन के विरूद्ध न तो राष्ट्रपति और न ही प्रधान मंत्री जांच का आदेश दे सकते हैं, 19 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विचारों का सार बिहार के मुख्य मंत्री को भेज दिया गया है; और

(ख) मुख्य मंत्री ने उस का क्या उत्तर दिया ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) भारत सरकार द्वारा बिहार के मुख्य मंत्री को कोई विचार संसूचित नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विधान सभा के एक सदस्य का उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये चुना जाना

***1599. श्री यशपाल सिंह :**
श्री वसन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 अप्रैल, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विधान सभा के एक सदस्य के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये चुने जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) जी हां, किन्तु "हिन्दुस्तान टाइम्स" की कथित रिपोर्ट में किसी संवैधानिक संकट की बात तो नहीं, किन्तु "अभूतपूर्व संवैधानिक स्थिति" और "जटिल संवैधानिक तथ्यों" की बात कही गयी है ।

(ख) और (ग) : सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि कोई संवैधानिक सकट नहीं है, किन्तु श्री नेक राम शर्मा के निर्वाचन से पैदा हुई स्थिति "अभूतपूर्व संवैधानिक स्थिति" मानी जा सकती है क्योंकि जहां तक सरकार को ज्ञात है अब तक किसी भी राज्य विधान सभा का कोई वर्तमान सदस्य, उस विधान सभा के सदस्यो द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचित नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (घ) के उपबन्धों का उल्लंघन है । किन्तु सरकार की राय है कि निर्वाचन आफिसर द्वारा निर्वाचन-फल घोषित कर दिए जाने के पश्चात उसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति किसी प्राधिकारी में निहित नहीं है । निर्वाचन फल की घोषणा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, की धारा 66 के अधीन उसमें उपबंधित रीति में और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन कर दिये जाने पर, वह घोषणा अन्तिम है और उसके पश्चात निर्वाचन को प्रश्नगत, निर्वाचन याचिका के द्वारा करने के सिवाय नहीं किया जा सकता, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) में उपबंधित है ।

गेहूं की बोरियों का गुम हो जाना

***1600. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं कि कलकत्ता पत्तन से सरकारी गोदामों को भेजे गये आयातित गेहूं की बोरियों की संख्या कभी कभी गेहूं लाने वाले जहाजों की सूचियों में दर्ज बोरियों की संख्या से कम होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या लापता बोरियों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है और और उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) गत पांच वर्षों में इस प्रकार गेहूं की कुल कितनी मात्रा की हानि हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिचूर राज्य परिवहन

5036. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य परिवहन त्रिचुर जिला स्टेशन में आठ बसें काफी समय से बेकार पड़ी हैं तथा राज्य परिवहन निगम को प्रति मास पचास हजार रुपये का नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

केरल के पंचायत कर्मचारी

5037. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के पंचायत कर्मचारियों ने प्रार्थना की है कि उन्हें वे सुविधाएं दी जायें जो पड़ोसी राज्य मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) केरल में पंचायत कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें वही वेतन-मान दिए जाएं जो इसी तरह का काम करने वाले दूसरे सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं ।

(ख) पंचायत के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है । सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें पंचायत कर्मचारियों को भी लागू कर दी गई हैं ।

कृषि-विकास योजनायें

5038. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में चेतुवाकक्काथुरुथी कृषि-योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) इस योजना से कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी नहीं । इस योजना की जांच हो रही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

5039. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : सहकारिता सम्बन्धी राम निवास मिर्धा समिति के अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक, जो देश के सहकारी बैंकिंग ढांचें की शीर्ष संस्था होगी, स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाया जाए। नवम्बर, 1965 में हुए राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन, जिसमें मिर्धा समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था, ने सिफारिश की कि अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ से निवेदन किया जाए कि वह भारत के रिज़र्व बैंक तथा सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के परामर्श से इस प्रस्ताव का अध्ययन करे। इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

महाराष्ट्र और मद्रास में फसल ऋण प्रणाली

5040. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा मद्रास राज्य में जो फसल ऋण प्रणाली चालू है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) अन्य किन-किन राज्यों में, राज्यवार प्रणाली सहित, ऐसी फसल ऋण प्रणाली किसी न किसी रूप में चालू है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6270/66।**]

सहकारी ऋण संस्थाएं

5041. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्यतया विभिन्न राज्यों द्वारा और विशेषतया महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास राज्यों द्वारा विभिन्न स्रोतों से धन आकृष्ट करने के लिये सहकारी ऋण संस्थाओं को क्या सहायता दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। सभी राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाएगा।

गति प्रदान करने वाली (रिवाइटिलाइजेशन) योजनाएं

5042. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में गति प्रदान करने वाली योजनाओं की राज्यवार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं में कुछ न कुछ अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है । सभी राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाएगा ।

सूअर के मांस का कारखाना

5043. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कूथाटुकुलम में सूअर के मांस के कारखाने का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या डेनमार्क से मशीनों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) 1966-67 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) डैनिश क्रेडिट के अन्तर्गत डैनमार्क से मशीनरी तथा उपकरणों के आयात के लिये, 1,60,648 रुपये की विदेशी मुद्रा राज्य सरकार को दी गई है ।

सहकारी क्षेत्र

5044. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री सहकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में, राज्यवार वर्ष 1961-62, 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 के दौरान आय-व्ययक तथा योजना में की गई व्यवस्था पर अलग-अलग प्रकाश डालने वाला एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखेंगे जिसमें पूंजी तथा राजस्व व्यय और विभाग को बनाये रखने के लिए व्यय की गई खर्च की राशि और समितियों को दी गई राज सहायता और अंश, ऋण तथा प्रबन्ध-सहायता के रूप में अन्य सहायता का ब्यौरा तथा विवरण हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है । पूरी जानकारी प्राप्त होने पर एक विवरण यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

अंडों का उत्पादन

5045. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** उप-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित रीजनल पोल्ट्री फार्म में 1965–66 में अंडों का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन अधिक हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसी अवधि में उक्त फार्म से कितने पक्षी सप्लाई किये गये;

(ङ) क्या 1965–66 में इस फार्म को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 3.17 लाख ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण मुर्गियों के चारा विशेषतया मक्का का न मिलना था । बूढ़े तथा उत्पत्ति न करने वाले पक्षियों की भारी छांट दूसरा कारण था ।

(घ) 1,27,809 ।

(ङ) और (च) : भुवनेश्वर में रीजनल पोल्ट्री फार्म सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है । 1965–66 में फार्म पर कुल 1,98,907.19 रुपये खर्च हुए जबकि 28–2–1966 तक 1,25,429.89 रुपये आमदनी हुई । केन्द्र द्वारा फार्म को तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया गया ।

खण्ड विकास अधिकारी

5046 श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्ड विकास अधिकारी का पद समाप्त करने का कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपे गये कार्यों को करने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से मांगी गई जानकारी अभी प्राप्त होनी है ।

नारियल के बागान

5047. श्री वै० तैवर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के बागानों को सधन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में यह कार्यक्रम कितने एकड़ भूमि में क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या पैकेज क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नारियल के बागानों के लिये मध्यमकालीन ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : सूचना इकटठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में खाद्यान्न का स्टाक

5048. श्री डा० कोहोर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आज तक उड़ीसा राज्य से केरल और पश्चिम बंगाल को कितना चावल भेजा गया है ;

(ख) उड़ीसा राज्य में इस समय खाद्यान्न का कितना भंडार है और क्या खाद्यान्न का वर्तमान भंडार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों समेत राज्य की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) चालू वर्ष में अप्रैल के अन्ततक, उड़ीसा से केरल और पश्चिम बंगाल को 79.1 हज़ार मीटरी टन चावल भेजा जा चुका था ।

(ख) उड़ीसा सरकार के पास पहली अप्रैल, 1966 को एक लाख मीटरी टन से भी अधिक चावल और चावल के हिसाब से धान का स्टाक था । केन्द्रीय सरकार के भण्डारों से सीधे ही गेहूं दिया जा रहा है । सूखा से प्रभावित क्षेत्रों सहित उड़ीसा की खाद्यान्नों की आवश्यकताएं पूरी करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की आशा नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sugar Mills in Maharashtra

5049. Shri D. S. Patel : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in Maharashtra State which are running on co-operative basis;

(b) the names of places recommended by the State Government for the purpose of issuing licences during 1965-66; and

(c) the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) At present there are 20 working co-operative sugar factories in Maharashtra State.

(b) No application was recommended by the Government of Maharashtra in 1965-66 but they had recommended earlier applications for the establishment of 20 new co-operative sugar factories at the following places :—

1. Dhoki, District Osmanabad.
2. Kalamber, District Nanded.
3. Sakri, District Dhulia.
4. Shirala Peta, District Sangli.
5. Manjari, District Poona.
6. Kagal, District Kolhapur.
7. Nesari, District Kolhapur.
8. Shirol Taluk, District Kolhapur.
9. Sillod, District Aurangabad.
10. Kardi Dhad, District Buldana.
11. Sindkhed Raja, District Buldana.
12. Shrigonda, District Ahmednagar.
13. Killari, District Osmanabad.
14. Hotgi, District Sholapur.
15. Dongarkada, District Parbhani.
16. Basmathnagar, District Parbhani.
17. Islampur, District Sangli.
18. Kedgaon, District Poona.
19. Sangamner, District Ahmednagar.
20. Shiravade, District Satara.

(c) Letters of intent have been issued in 1965 and 1966 for the establishment of new sugar factories in the first 5 cases. Cases at S. Nos. 6 to 18 have not been found fit due to inadequate cane potential in the respective areas for establishment of new sugar factories. The remaining two cases at S. Nos. 19 and 20 are under consideration.

चूहों की रोक थाम

5050. श्री राम हरख यादव : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चूहों की रोकथाम के लिए कानपुर स्थित विशेष प्रयोगशाला में एक नया उपाय निकालने में सफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा खेतों के चूहों के विषय में अध्ययन करने की एक समन्वित योजना के अन्तर्गत कानपुर स्थित सरकारी एन्टोमालोजिस्ट प्रयोगशाला में (जो योजना की समन्वयकर्त्ता भी है) चूहों के नियंत्रण की एक नई विधि तैयार की है। कैमोस्टेरिलेन्टस की एक गोली खिलाने से चूहा या चूहिया उम्रभर के लिए नपुन्सक हो जाते हैं। कैमोस्टेरिलेन्टस

की गोली में फ्यूराडेन्टेन का अंश 10 तथा कोलचीसाइन का अंश 17 होता है और इसमें 1000 भाग बेस होता है। एक गोली में 0.1 ग्राम फ्युराडेनटेन, 0.07 ग्राम होलचीसाइन तथा 10 ग्राम बेस होता है। इस तकनीक की और आगे परख की जा रही है कि इससे आवश्यक परिणाम निकलते हैं या नहीं ।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह

5051. **श्री राम हरख यादव :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशाखापत्तनम बन्दरगाह के बारे में वर्ष 1964-65 का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) कर्मचारियों को अधिक सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : महत्वपूर्ण तथ्य भारत सरकार के 7 अप्रैल, 1966 के प्रस्ताव (रिजोल्यूशन) में दिये गये है, जिस की एक प्रति सभा-पटल तर रख जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6271/66।]** पत्तन अधिकारण कर्मचारियों की मौजूदा सुविधाओ में इतना सुधार करेगा जितना उसकी वित्तीय परिस्थितियों के अन्तर्गत संभव है।

सधन खेती जिला कार्यक्रम

5052. **श्री वै० तैवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में सधन खेती ज़िला कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में किसानों को खेती करने के समय एक साथ ऋण और उर्वरक नहीं मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने समय पर ऋण तथा उर्वरक दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय सड़क निधि

5053. **श्री वै० तैवर :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधूराम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क निधि में प्रत्येक राज्य सरकार का कितना अंश था;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार को अब तक कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार को शेष धनराशि के कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(घ) धनराशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क निधि में राज्य सरकारों के हिस्सों का अभी तक ठीक हिसाब नहीं लगाया गया है। उनका हिसाब पुनरीक्षित क्रियाविधि के अनुसार लगाया जा रहा है। फिर भी जब तक प्रत्येक राज्य के भाग का पुनरीक्षित क्रियान्विधि से ठीक ठीक हिसाब लगाया जाता है तब तक के लिए राज्य सरकारों की सड़क विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्हें प्रति वर्ष धन राशियां और वे राशियां जो उन के नाम पर जमा हो गयी होती, दी गयी है। प्रत्येक राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में दी गयी धन राशि दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6272/66।**]

आयातित ट्रेक्टरों का मूल्य

5054. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मूल्य कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी; और

(ग) इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। अभी पिछले समय में मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

Private Carriers

5055. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta:
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) the amount of compensation paid or likely to be paid to those private carriers or trucks that offered their services during the recent Indo-Pak conflict;

(b) whether any alternate proposal regarding the same is under consideration; and

(c) if so, the particulars thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The information required is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

(b) No.

(c) Does not arise.

पंचायती राज संस्थाओं के लिये आचार संहिता

5056. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के लिये कोई आचार संहिता बनाई गई है, ताकि शक्तियों और निदेशों का दुरुपयोग न हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के लिये कोई आचार संहिता नहीं बनाई गई है। तथापि, राज्य विधानों में अधिकारों, निदेशों आदि का दुरुपयोग रोकने के लिए बचावों की सामान्यतः पर्याप्त व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि किसी आचार संहिता की व्यवस्था नहीं की गई है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सर्वेक्षण

5057. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि गांवों की जनता में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रति कितनी जागृति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है; और

(ग) इस सर्वेक्षण की क्या उपपत्तियां हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है और आधार-सामग्री की छानबीन की जा रही है। निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हैं।

गाजीपुर अथवा बक्सर में गंगा पर पुल

5058. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन निदेशालय ने बक्सर या गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाने के सम्बन्ध में इस बीच अपनी अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। परिवहन अनुसन्धान निदेशालय इस संबंध में उत्तर प्रदेश से आने वाली सूचना की अभी तक प्रतीक्षा कर रहा है और उस सूचना के प्राप्त होते ही वह निदेशालय अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

वकील सभा परिषद् (बार कौंसिल)

5059. श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकील-सभा परिषद् द्वारा प्रशिक्षण, प्रवेश तथा परीक्षा के बारे में बनाये गये नियमों के कार्यसंचालन का पुर्नविलोकन करने के लिये विधि व्यवसाय से संबंधित वरिष्ठ संसत्सदस्यों की एक समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां। यह समिति अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के कार्यचालन का पुर्नविलोकन उसके सभी पहलूओं में करेगी जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण, प्रवेश तथा परीक्षा सम्बन्धी विषय भी होंगे।

(ख) आशा यह थी कि समिति अपनी रिपोर्ट 31 मई, 1966 तक दे देगी। किन्तु चूंकि सारे मामले की जांच पूरी तरह से करना जरूरी है इसलिये उसे अपनी रिपोर्ट देने में अभी कुछ और समय लग सकता है।

दुर्गापुर में पर्यटन कार्यालय

5060. श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दामोदर घाटी निगम के लिये दुर्गापुर में एक पर्यटन विकास विभाग है; और

(ख) यदि हां, तो देश के पर्यटकों को दामोदर घाटी की ओर आकर्षित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) पर्यटकों के लिए विश्राम गृह निर्माण और मौजूदा विश्राम गृहों में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी निगम को 5 लाख रुपये का **उपदान**

दिया है। पर्यटकों के लिए परिवहन गाड़ियां खरीदने के लिए 1.37 लाख रुपये का एक और उपदान दिया गया था। ये सुविधाएं केवल देशी पर्यटकों के लिए है।

उत्तर प्रदेश में नलकूप

5061. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : 1966-67 के दौरान खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अन्तगत समन्वेषी नलकूप संगठन ने उत्तर प्रदेश में जो 8 समन्वेषी बोर खोदने हैं वे निम्नलिखित हैं :—

1. देहरादून जिला	संख्या 2
2. बिजनोर जिला	संख्या 2
3. राय बरेली जिला	संख्या 2
4. कानपुर जिला	संख्या 1
5. इटावा जिला	संख्या 1
कुल .	संख्या 8

1966–67 के दौरान लघु सिंचाई कार्य के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 279 राज्य नलकुप खोदने हैं।

उत्तर प्रदेश को बागबानी के लिये ऋण

5062. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार को बागबानी के लिये अनुदान और ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) 1966-67 में उस राज्य सरकार को इस कार्य के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : पूछी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों का संभरण

5063. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश को वास्तव में कितनी मात्रा में उर्वरकों का संभरण किया गया;

(ख) क्या 1966-67 में उर्वरकों का अभ्यंश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

उर्वरक की किस्म	नियतन (1965-66)	15-4-66 तक संभरण की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	1,97,286	1,94,285
यूरिया	37,378	22,900
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	15,450	14,219
कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट . . .	1,30,000	1,12,292

(ख) और (ग) : राज्य सरकार को 1966-67 के लिए नियतन सामान्य रीति के अनुसार त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा। 1966-67 की अवधि में उर्वरकों की उपलब्धि में सुधार हो जाने की स्थिति में 1966-67 में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय भण्डार से 1965-66 से अधिक उर्वरक मिल सकेगा।

पश्चिम बंगाल में मछलियों के भाव बढ़ जाना

5064. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **खाद्य कृषि सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मत्स्य निगम द्वारा मछलियों का कम संभरण किये जाने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से कलकत्ता नगर में, मछली के भाव बढ़ा दिये हैं;

(ख) निगम द्वारा मछलियों का अपर्याप्त संभरण किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह निगम किन किन नगरों में मछली का संभरण करता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख) : निगम ने जो मछली सप्लाई की है उससे व्यापारियों द्वारा की गयी सप्लाई में वृद्धि ही होगी। अतः कलकत्ता में मछली की पर्याप्त सप्लाई के प्रश्न का मूल्यांकन समूची स्थिति के संदर्भ में करना है। यह स्थिति मछली की उच्चतम कीमत निर्धारित करने में एक तथ्य रहेगी। निगम का प्रमुख उद्देश्य मछली की सप्लाई बढ़ाना है। तथापि, निगम ने केवल दिसम्बर, 1965 से मछली की बिक्री प्रारम्भ की थी। यह अपनी स्थिति सुदृढ़ बना रहा है और अधिप्राप्ति तथा वितरण दोनों के लिये अपने प्रबन्धों का विस्तार कर रहा है।

(ग) प्रमुख रूप से कलकत्ता, लेकिन दिल्ली को भी निगम से मछली की कुछ सप्लाई प्राप्त हो रही है।

Establishment of Big farms in private sector

5065. **Shri Madhu Limaye :**
Shri S. M. Banerjee :
Shri P. K. Deo :
Shri Narasimha Reddy :
Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the decision by Punjab Government to establish big farms in private sector has been taken after consullations with the Central Government;

(b) if so, the broad outline of the scheme of opening these farms; and

(c) whether such farms in private sector would be established in other States also?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) The Punjab Government has not taken any decision to set up big farms in the private sector in consultation with the Central Government.

(b) Does not arise.

(c) There is no such proposal.

Closure of Flour Mills in Delhi

5066. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many flour mills in Delhi remained closed in December, 1965 and January, 1966;

(b) the number of workers in flour mills rendered unemployed as a result thereof; and

(c) the steps taken to find alternative employments for them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). No roller flour mills in Delhi remained closed in December, 1965 or January, 1966. The small chakkis may, however, have been closed. The exact number of workers of such small chakkis is not known.

(c) Issue of imported wheat from ration shops in Delhi was started from the middle of January. This helped the small chakkis to some extent. From the beginning of March, indigenous wheat is also being issued from ration shops. This has further improved the position of the small chakkis. Coarse grains which are not under ration are also available to these small chakkis for grinding.

विमान चालकों का प्रशिक्षण

5067. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये अपेक्षित संख्या में विमान-चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई लाभदायक योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (क) : जी, हां। इस प्रश्न पर विचार करने और सिफारिशें पेश करने के लिए पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार ने एक आन्तरिक समिति स्थापित की थी। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय अगले दस वर्षों के लिए इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन और एयर इंडिया की विमान चालकों और इंजीनियरों संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। चूंकि विमान चालकों और इंजीनियरों के संगठित प्रशिक्षण की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और वायुसेना के भूतपूर्व कर्मचारियों का उपलब्ध होना अनिश्चित सा रहता है, इसलिए समिति ने यह सिफारिश की है कि उम्मीदवारों को प्रारंभिक अवस्था से प्रशिक्षण देने के लिए, दोनों कारपोरेशनों के सम्मिलित उद्यम के रूप में, एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिशों पर, दोनों कारपोरेशनों के साथ परामर्श करते हुए, विचार किया जा रहा है।

शासपत्रित लेखापालों, लागत तथा उत्पादन कार्य लेखापालों और समवाय सचिवों की संस्था

5068. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शासपत्रित लेखापालों, लागत तथा उत्पादन कार्य लेखापालों और समवाय सचिवों की एक मिश्रित संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) इस प्रकार का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल

5069. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल योजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) परियोजना पूरी कर ली गई हैं और अन्तर्राज्य बस सीमान्त ने 11 अप्रैल, 1966 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है ।

मैसूर राज्य में पत्तनों का विकास

5070. श्री लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण तथा उत्तर कनारा जिलों में मैसूर राज्य के समूचे तट के साथ साथ कितने मुख्य पत्तनों का चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : एक पत्तन, अर्थात् मंगलौर को मैसूर राज्य में सब रितुओं में काम आने योग्य बड़े पत्तन में विकसित किया जा रहा है ।

उड़ीसा के लिये सहायता

5071. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सरकार के लिए कृषि के विकास के हेतु कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्य पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य के लिए कृषि क्षेत्र हेतु 17.22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने अपनी तीसरी योजना की रिपोर्ट में 20.67 करोड़ रुपए का व्यय प्रदर्शित किया है। उड़ीसा सरकार ने अपनी 1966-67 की ड्राफ्ट वार्षिक योजना में उल्लेख किया है कि 1961-62 से 1964-65 के वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र के वास्तविक व्यय तथा 1965-66 का प्रत्याशित व्यय के आधार पर तीसरी योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य में कृषि कार्यक्रमों पर लगभग 22.56 करोड़ रुपए खर्च होंगे ।

भूमि संरक्षण योजनाएं

5072. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में कौन-कौन सी केन्द्रीय भूमि संरक्षण योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या 1966-67 में उस राज्य में कोई नई योजनाएं आरम्भ की जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) उड़ीसा राज्य में नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रह-क्षेत्रों में कोई भूमि संरक्षण की केन्द्रीय योजना चालू नहीं है। फिर भी वहां एक केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत हीराकुड तथा मचकुंड के जलग्रह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण योजनाएं उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हीराकुड योजना के लिए तीसरी योजना खर्च 50 लाख रुपये था और मचकुंड योजना के लिए 33 लाख रुपये थे। इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में है।

(ख) 1966-67 में भूमि संरक्षण उपाय सम्बन्धी केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना के जलग्रह क्षेत्रों में कोई नई योजनाएं उड़ीसा राज्य में चालू किये जाने की सम्भावना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Landless Agriculture Labourers

5073. **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the percentage of landless agricultural labour families in the country and their actual number;

(b) whether Government have got any scheme under which each family of agricultural labourer would be provided with a small plot of land for housing and growing vegetables and a small pucca house; and

(c) if so, by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) According to 1961 Census, agricultural labour constitutes about 31.5 million workers or 24% of the total workers engaged in agricultural pursuits.

(b) and (c). This is one of the recommendations of the All India Seminar on Agriculture Labour convened by the Ministry of Labour and Employment, which is under consideration of the Government of India.

Jute Production

5074. **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the total quantity of jute produced in the country annually and the amount of foreign exchange earned by its export;

(b) the percentage of jute production in Bihar;

(c) the amount being spent by the Central Government on the development of jute producing areas and if no amount is being spent, the reasons therefor; and

(d) the details of development work done in jute-producing areas, and the facilities provided to the jute-producers?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) The total quantity of jute produced in the country during the last two years was :

1964-65 . .	60·21 lakh bales of 180 kg. each.
1965-66	44·85 lakh bales of 180 kg. each.

In view of the shortage of jute in the country, limited quantities of raw jute are allowed for export to East European countries under bilateral trade agreements that are entered into from time to time mainly because of large purchases of jute goods by these countries.

The following figures give an indication of the quantity and value of jute exported from India since 1962-63:—

Year	Quantity (in thousand tonnes)	Value (Rs. in lakhs)
1962-63	11·9	126·5
1963-64	25·1	288·0
1964-65	30·6	348·0
1965-66 (April-Oct)	11·0	157·0

(b) The percentage of jute production in Bihar to the total all-India production has been estimated at 20·3% in 1965-66 as compared with 15·2% in 1964-65.

(c) The Central Government give grants annually to the State Governments for various development schemes, including jute development, under the Five Year Plans. According to the information given in the Annual Plans of the States for 1966-67 the total expenditure on the development of jute and allied fibres during the Third Plan period has been of the order of Rs. 98 lakhs.

(d) All the State Govts. have implemented jute development schemes which aim at :

(i) the adoption of improved cultural practices;

(ii) the adoption of timely plant protection measures;

(iii) use of improved seeds;

(iv) use of improved implements; and

(v) adoption of improved ratting facilities and techniques. In addition, intensive cultivation of jute on the lines of the 'Package' programme has been taken up in selected potential areas.

In order to induce the cultivators to adopt improved methods of jute cultivation, the following facilities have been provided to them.—

Improved seeds.—The subsidy given by the State Govts. is shared equally by the Centre with them.

Fertilisers.—A subsidy of 25% to be shared equally between the Centre and the State Govts. is allowed on phosphatic fertilisers. In addition, in the case of fertilisers mixture, the cost of mixture is subsidised to the extent of Rs. 50 per ton to be shared equally between the Centre and the State. Central Govt. make specific quota of ammonium sulphate to the State Govts. for the use of the jute crop.

Improved Agricultural Implements.—The Central Govt. give a subsidy of 25% on the cost of implements.

Plant Protection.—A subsidy of 25% is allowed by the Centre for pesticides, dusters and sprayers. The Govt. of India also give 100% loan for power operated machines and plant protection equipment.

Short-term loans.—Short-term loans are granted by the Govt. of India to the State Govts. for the purchase and distribution of fertilisers, insecticides and pesticides amongst the growers.

Retting Tanks.—In order to improve the quality of jute produced in the country, the Govt. of India provided 25% subsidy and 75% medium-term loan for proper and adequate retting facilities to the jute growers, under the Third Plan. In the Fourth Plan, the rate of subsidy has been raised to 50% to be shared equally between the Central and State Govts.

Staff in the package areas.—Expenditure on the additional staff in the package areas for jute is being shared equally between the Central and State Govts.

Foliar spray with Urea.—Urea is being supplied free of cost to the cultivators for spray fertilisation of jute crop. The entire cost of Urea is being met by the Central Govt. The cost of power sprayers used for foliar spary is being shared between the Central and State Govts. concerned.

उड़ीसा में मत्स्य पालन अनुसन्धान केन्द्र

5075. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है;

(ख) क्या यह केन्द्र किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो किस राज्य में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसन्धान संस्थान के अधीन कटक में पहले ही एक अनुसन्धान उपकेन्द्र चल रहा है। एक अन्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 1963 में एक स्थान को प्रयोगात्मक मत्स्य फार्म और उपप्रशिक्षण केन्द्र के रूप में प्रयोग करने पर विचार हो रहा था लेकिन भूमि की बहुत ऊंची कीमत होने के कारण यह विचार छोड़ दिया गया था। अन्तर्देशीय मात्स्यकी में प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान का एक उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु हाल ही में एक अन्य स्थान के बारे में विचार किया गया था। तथापि, राज्य सरकार इस स्थान का प्रयोग कर रही है और यह स्थान छोड़ा नहीं जा सकता है। अन्य उपयुक्त स्थान ढुंढने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह प्रशिक्षण केन्द्र अन्तिम रूप में कहां स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजपथों के लिये केन्द्रीय अभिकरण

5076. श्री लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण-कार्य को केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से कराने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में राष्टीय राजपथों के निर्माण कार्य को करने में इस लिए देरी हो गई है क्योंकि सरकार राज्य अभिकरणों पर निर्भर रहती है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण-कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय मुख्य मार्गों और अन्य सड़कों जिन का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, के निर्माण कार्यों को संपादित करने के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) : कुछ परियोजनाओं के काम को ठीक समय सारणी के अनुसार करना सदा संभव नहीं होता है परन्तु यह राज्य लोक निर्माण विभाग पर निर्भर होने के कारण नहीं होता है। प्रगति में देरी होने के कारण, अलग अलग परियोजनाओं के अलग अलग होते हैं और जहां संभव होता है वहां देरी कम करने के लिए उपाय किये जाते हैं।

Sugar Mills in Bihar

5077. Shri Lahtan Chaudhry : Will the Minister of **Food, Agriculture Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills proposed to be set up during the Fourth Five Year Plan;

(b) the number of those, out of them, allocated to Bihar;

(c) whether the Government of Bihar have recommended the names of places for setting up those mills; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shinde): (a) and (b). About 32 new sugar factories might be licensed against the Fourth Plan target. 18 of these have already been licensed in 1965/66 in 10 different States wnich do not include any factory in Bihar. The question of licensing the remaining 14 new sugar factories is under consideration.

(c) and (d). Yes, Sir. The State Government have recommended applications for establishment of 11 new cooperative sugar factories in Bihar in June/July 1965. These applications are under consideration.

चावल का आयात

5078. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 22 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जन्तीना से गेहूं और ब्रिटिश गियाना से चावल खरीदने के प्रस्तावों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : अर्जनटाइना ने फरवरी, 1966 में संकेत दिया था कि अच्छी फसल न होने और संचयन में नुकसान होने के कारण उनके पास बेचने के लिये कोई गेहूं नहीं है। बाद में, मार्च 1966 में भारत में आये अर्जनटाइना के शिष्टमण्डल ने बताया कि वे गेहूं की कुछ मात्रा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे तथापि, अब तक कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

ब्रिटिश गियाना के चावल का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

गन्ने की पेराई

5079. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1966 तक विभिन्न राज्यों में गन्ने की पेराई के बारे में नवीनतम स्थिति क्या थी;

(ख) उत्तर प्रदेश और विहार राज्यों में अब तक कितने एकड़ भूमि का गन्ना पेरना बाकी रहा है; और

(ग) 30 अप्रैल, 1966 तक उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों ने किसानों को गन्ने के मूल्य की कुल कितनी राशि का भुगतान नहीं किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में 30 अप्रैल, 1966 तक पेरे गये गन्ने के बारे में स्थिति अभी उपलब्ध नहीं है। 15 अप्रैल, 1966 तक की स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6273/66।]**

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गन्ने की कीमत की कुल बकाया राशि जोकि शर्करा मिलों ने 15 अप्रैल, 1966 तक काश्तकारों को देनी थी वह उत्तर प्रदेश में 707.70 लाख रुपये और बिहार में 474.78 लाख रुपये थी।

पंजाब को सहायता

5080. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में (एक) पशु-पालन (दो) दुग्ध शालाओं की व्यवस्था (तीन) दूध की सप्लाई तथा (चार) मत्स्य पालन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को वस्तुतः कितनी धनराशि दी है; और

(ख) उक्त अवधि में पंजाब में इन योजनाओं पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : पूछी गई सूचना निम्न प्रकार है :—

कार्यक्रम	1965-66 में कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता			1965-66 में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार पूर्वानुमानित खर्च
	ऋण	रुपये लाखों में अनुदान	कुल	रुपये लाखो में
पशु-पालन, डेरी तथा दुग्ध सम्भरण	13.35	37.97	51.32	116.58
मत्स्य-पालन . . .	..	0.70	0.70	6.44

गन्ने की खेती के लिये उर्वरक

5081. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना विकास परिषद् ने गन्ना उत्पादकों को उर्वरक का शेष अभ्यंश दिये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

Serving of Maida Preparations

5082. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some maida preparations were served in Ashoka Hotel at a press conference held on Monday, the 28th March 1966; and

(b) if so, the action taken against the management of the Hotel responsible for violating the orders of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon): (a) No press conference was held in the Ashoka Hotel on Monday the 28th March 1966.

(b) Does not arise.

Crop Insurance Scheme

5083. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 48 on the 15th February, 1966 and state :

(a) the salient features of the proposed legislation on crop insurance scheme; and

(b) by what time Government propose to introduce the Crop Insurance Bill in Parliament?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Proposed legislation will enable the desiring States to undertake insurance of crops on compulsory basis. Details of the bill are being finalized in consultation with other concerned Ministries.

(b) Crop Insurance Bill is expected to be introduced in the Parliament during 1966.

खाद्यान्न की कमी

5084. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अप्रैल, 1966 के प्रथम पखवाड़े के अन्त तक खाद्यान्न चारा और पेय जल की कमी और बरोजगार की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्यक्रम तथा योजनाएं क्रियान्वित की गई है;

(ख) सहायता कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य में कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) सूखा की शेष अवधि में प्रत्येक राज्य में कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) खाद्यान्न, चारे, पीने के पानी की कमी और बेरोजगारी की हालत को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) राज्यों को केन्द्र से नियत किए जाने वाले गेहूं और मोटे अनाजों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है। खाद्यान्नों की यह मात्रा जनवरी, 1966 के लगभग 6 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर फरवरी में 8.28 लाख मीटरी टन और मार्च 1966 में 10.4 लाख मीटरी टन कर दी गयी है। अप्रैल, 1966 के लिए 9.18 लाख मीटरी टन का नियतन किया गया है। सम्बन्धित राज्यों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सहायता कार्यों के लिए प्रति मास प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न देवें। इसके अतिरिक्त जहां तक कमी से प्रभावित महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपहार रूप में दिए गए गेहूं

में से अब तक प्रत्येक राज्य को 3 हजार मीटरी टन गेहूं नियत किया गया है और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा को प्रत्येक को 5 हजार मीटरी टन गहूं नियत किया गया है। ये अनाज इन राज्यों में बूढ़े, निर्बल, व्यक्तियों को मुफ्त राहत देने के लिए दिया गया है। गुजरात को उनकी प्रार्थना पर अब तक इस उद्देश्य के लिए 1500 मीटरी टन गहूं नियत किया गया है। खाद्यान्नों के नियतनों के अलावा, कमी से प्रभावित इन राज्यों में जनसंख्या के जरूरतमन्द वर्गों में बांटने के लिए दुग्धचूर्ण, बिस्कुट और विटामिन की गोलियां भी नियत की गयी हैं।

(2) जहां तक चारे की उपलब्धि का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे चारे की कमी को पूरा करने के लिए जंगली इलाकों में उपलब्ध घास को संरक्षित करें। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों को अग्रता के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित चारा बैंक योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय सरकार ने भी सूखा से प्रभावित राज्यों में उपलब्ध घास के फालतू स्टाक को ढूंढने में मदद दी है ताकि इसका कमी से प्रभावित राज्यों द्वारा उपयोग किया जा सके। भारत सरकार ने मवेशियों आदि को खिलाने के लिए कुछ मोटे अनाज भी दिए हैं।

(3) राज्य सरकारों ने पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं। वर्क्स कार्यक्रमों में मौजूदा कुओं को गहरा करना, नये कुए खोदना, तालाबों आदि की मरम्मत करना तथा उनका निर्माण करना शामिल हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां पर टैंकरों, लारियों आदि द्वारा पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(4) सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के लिए श्रृंखलाबद्ध राहत कार्य चलाने का निर्णय किया गया है। प्रभावित जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सभी कमी से प्रभावित राज्यों में राहत कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। सूखा से प्रभावित सात राज्यों में अप्रैल, 1966 के मध्य में लगभग 23,500 राहत कार्य शुरू किए गए थे जिनपर लगभग 22 लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। अनुमान है कि इस समय राहत कार्यों पर काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या लगभग 25 लाख है।

(ख) और (ग) : अब तक किया गया खर्च और किये जाने वाले खर्च के अनुमान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अब तक कमी से राहत के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता मंजूर की है :—

राज्य का नाम	ऋण के रूप में मंजूर की गयी राशि	
	1965-66	1966-67
	(लाख रुपयों में)	
मध्य प्रदेश	300	. .
उड़ीसा	45	100
मैसूर	100	200
राजस्थान	100	200
महाराष्ट्र	. .	200

चालू वर्ष में इस सहायता के लिए कुल 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 12 करोड़ रुपये अनुदान और शेष 18 करोड़ रुपये ऋण के रूप में होंगे।

जर्मन पैकेज परियोजनाएं

5085. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जर्मन पैकेज परियोजनाएं कब आरम्भ की गई थीं; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों तथा राज्यों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की सरकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता (उपकरण तथा सामग्री के रूप में) से हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में इन्डो-जर्मन कृषि विकास परियोजना नामक केवल एक परियोजना शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम रबी 1962-63 में शुरू किया गया था।

(ख) जर्मन कार्यक्रम जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में $3\frac{1}{2}$ वर्ष से चालू है, के अन्तर्गत जिले के 3946 गांव तथा दस खण्ड आ गए हैं। खेती वाले क्षेत्र के रूप में जिले के 3.15 लाख एकड़ क्षेत्र में से 1964-65 तक 53,520 कृषक परिवारों द्वारा 1.12 लाख एकड़ भूमि में खेती की गई।

रूस से चीनी का आयात

5086. **श्री उमानाथ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने बच्चों में मुफ्त बांटने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में चीनी देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी की पेशकश की गई है;

(ग) यह पेशकश कब की गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ) : सोवियत दूत ने 3 मार्च, 1966 को भारत के प्रधान मंत्री को सोवियत सरकार के 50,000 मीटरी टन शर्करा और मिठाइयां, 1000 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण, 1000 मीटरी टन वनस्पति तेल और कुछ मात्रा में विटामिन की गोलियां उपहार रूप में देने के प्रस्ताव की सूचना दी थी। क्योंकि भारत स्वयं शर्करा की दृष्टि से अधिशेष देश है, इसी लिए रूस के व्यापार प्रतिनिधि को यह सूचित किया गया कि हमें बाहर से शर्करा और मिठाइयां लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अब पहले पेश की गयी शर्करा और मिठाइयों के बदले में 5,000 मीटरी टन वनस्पति तेल, 1,400 मीटरी टन बच्चों के खाद्य पदार्थ और 1000 मीटरी टन बिस्कुट की अतिरिक्त मात्रा देने का निर्णय किया है।

कृषि सम्बन्धी विनियोजन का कार्यक्रम

5087. श्री पन्नालाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गोकुला नन्द महंती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन के कुछ विशेषज्ञ सभी सोलह राज्यों में 320 लाख एकड़ भूमि में कृषि फर्मों में कृषि संबंधी विनियोजन का एक कार्यक्रम तयार करने में सरकार की सहायता करने के लिए भारत आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Import of Well Digging Machines

5088. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact tnat a decision has been taken to import well digging machines from certain West European Countries for Indore District, Madhya Pradesh;

(b) if so, the number of States for which Government are contemplating to import such machines; and

(c) the time by which these mahcines are likely to be received and the cost thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) to (c). Some voluntary agencies of Netherlands and Switzerland have expressed their willingness to make funds available to assist the drougnt affected areas through the UNICEF. The proposal is at present under consideration. The scheme envisages, among other things, import of boring rigs etc. for installation in the scarcity affected areas of Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat.

किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम

5089. श्री फिरोडिया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के पारस्परिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीकी कृषि नेताओं के कृषि दल की भारतीय कृषि प्रगति के सम्बन्ध में सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

5—72 L. S./66

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता '

इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड

5091. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि बोर्ड ने इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर (पश्चिम बंगाल) के अव्यवस्थित कामकाज के बारे में प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ने भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के बारे में, ऐसे कुप्रबन्ध तथा शेयर-अपकरण के लिये पूरी तरह उत्तरदायी समझा जाता है, विधि के उपबंधों के अनुसार मंजूरी नहीं ली थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को सभी बही-खाते तथा कागजात दिखाये नहीं गये थे;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले को समवाय न्यायाधिकरण को सौंपने का है; और

(ङ) कम्पनी से कागजात को अपने अधिकार में लेने में देरी होने के क्या कारण हैं क्योंकि ऐसा न होने पर उनके नकली बनाये जाने, बदले जाने अथवा नष्ट कर दिये जाने की आशंका बनी रहती है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां। समवाय विधि बोर्ड के अधिकारियों ने इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर (पश्चिम बंगाल) के मामले में प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है।

(ख) भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार से विधि के उपबन्धों के अनुसार मंजूरी ली गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। सरकार का विचार इस मामले को समवाय न्यायाधिकरण को सौंपने का नहीं है। फिर भी असंतुष्ट पार्टी को यह अधिकार है कि वह इस मामले को समवाय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय में ले जाय।

(ङ) शिकायत के बारे में की गई जांच से उस सामग्री का पता नहीं चलता है जिसके आधार पर खोज और/अथवा लेखा पुस्तकों अथवा दस्तावेजों की जब्ती का आदेश दिया जा सके।

कृषि विभाग में सहायकों/अनुभाग अधिकारियों का स्थायीकरण

5092. श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी पद बनाने के सिद्धान्त का उल्लंघन करके अक्तूबर, 1962 से कृषि विभाग में अनुभाग अधिकारियों/सहायकों को स्थायी

नहीं बनाया गया है, हालांकि सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी/सहायक गत पांच वर्षों तथा अधिक अवधि से अपने उन पदों पर लगातार काम कर रहे हैं, हालांकि कृषि विभाग के पुनर्गठन का प्रश्न बहुत बाद में उठा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिणित करने के फार्मूले में प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य बातें भी शामिल हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा कृषि विभाग के पुनर्गठन के कारण अस्थायी पदों के स्थायी पदों में परिणित करने में विलम्ब होना अनिवार्य था। आशा है निकट भविष्य में उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का केन्द्रीकरण

5093. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के कृषि विभाग से भिन्न अन्य विभागों में कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी/सहायक अक्तूबर, 1962 के बाद स्थायी बनाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गृह-कार्य मंत्रालय में सेवा का केन्द्रीकरण करने के बारे में, जैसा कि अक्तूबर, 1962 से पहले था, विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस समय सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

कृषि विभाग में अनुभाग अधिकारी/सहायक

5094. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के उन अनुभाग अधिकारियों/सहायकों की सेवा की सुरक्षा तथा पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिये जो इतने वर्षों से अस्थायी पड़े हैं, अस्थायी व्यक्तियों को फालतू घोषित करने की सरकार की भावी नीति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : गृह-मंत्रालय द्वारा बनाए गए मौजूदा नियम विभिन्न विभागों में जिनमें कृषि विभाग भी शामिल हैं अस्थायी अनुभाग अधिकारियों/सहायकों की सेवा की सुरक्षा तथा पदोन्नति को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करते हैं।

उर्वरकों का प्रयोग

5095. **श्री फिरोडिया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन की योजना के अन्तर्गत भारत में आदर्श फार्म स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Delimitation of Constituencies

5096. **Shri Rameshwaranad :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether any change was contemplated in the delimitation of the constituencies for elections to the Legislative Assembly and Lok Sabha consequent upon the re-adjustment of the areas of Haryana Prant and Punjabi Suba as a result of the division of the Punjab; and

(b) if so, when this delimitation work is likely to be taken up?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhai Raman): (a) and (b) : Government has appointed a Commission for the purpose of determining the actual boundaries of Punjab and Haryana States to be constituted from the present State of Punjab and indicating the boundaries of the hill areas of the present State of Punjab, which are contiguous to the union territory of Himachal Pradesh. The question of any change in the delimitation of the constituencies consequent upon the re-adjustment of areas of Haryana and Punjab States does not arise at present.

जनवरी, 1966 में फ्रांस के निकट एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बारे में जांच

5097. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी, 1966 को फ्रांस के निकट एयर इंडिया बोईंग विमान दुर्घटना के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या जांच-परिणाम निकले हैं; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकन इंटरनेशनल होटल्स के सहयोग से भारत में होटल स्थापित किया जाना

5098. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन,** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकन इंटरनेशनल कांटिनेंटल होटल्स को सरकार के सहयोग से भारत में होटल स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं;

(ग) ये होटल कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) इस समझौते के अन्तर्गत प्रत्येक स्थान पर कितनी होटल क्षमता बनाई जायेगी?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : सरकार ने अभी तक अमेरीका के मेसर्स इन्टरकांटिनेन्टल होटल कारपोरेशन को भारत में होटल स्थापित करने की अनुमति नहीं दी है। इन्डियन होटल कम्पनी और मेसर्स इन्टरकान्टीनेन्टल होटल कारपोरेशन के बीच में सहयोग संबन्धी एक प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और उसकी परीक्षा की जा रही है। इस प्रस्ताव में बंबई में एक मौजूदा होटल के विस्तार और पुनर्नवीकरण करने का तथा मौजूदा होटल के बराबर एक नया होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव है कि इन दोनों होटलों में मौजूदा होटल के 245 कमरों के विपरीत 450 रिहायशी कमरे होंगे।

समवाय सचिव

5099. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गर-सरकारी क्षेत्रों के समवायों के प्रबन्धकों को समवाय सचिवों के पद पर कार्य करने के लिये अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के हेतु सरकार समवाय सचिवों की परीक्षाएं करती है;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 100 व्यक्ति उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी सेवाओं का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) सरकार द्वारा असंविधिक आधार पर एका सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी जो समवाय सचिवों के पदों के लिए व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित अर्हक परीक्षाएं लेता है। फिर भी, संविधि में यह व्यादेश नहीं है कि कम्पनियों के लिए अर्हता-प्राप्त सचिवों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) अभी तक 95 उमीदवारों ने समवाय सचिवों की अन्तिम परीक्षा पास की है। इन में से 50 उमीदवारों को समवाय सचिव की सरकारी सनद प्रदान की गई है। 45 उमीदवार या तो अब व्यावहारिक प्रशिक्षण पा रहे हैं या अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्हता-प्राप्त उमीदवारों में से, 23 गैर-सरकारी क्षेत्र में, 23 सरकारी विभागों में और 4 सरकारी कम्पनियों में नियुक्त हैं।

(ग) अर्हता-प्राप्त उमीदवारों को नौकरी दिलाने के काम की जिम्मेदारी सरकार स्वीकार नहीं करती। फिर भी, सरकार ने उमीदवारों के पूर्ण ब्यौरे सब वाणिज्य मंडलों, सरकारी कम्पनियों और सरकारी व्यापार के कार्यालयों को प्रसारित किए हैं और जिसमें उनसे यह प्रार्थना की गयी है कि वे इन उमीदवारों की योग्यता के अनुसार इनको उपयुक्त नौकरी दिलाने के मामलों पर विचार करें।

समवाय सचिव

5100. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छः महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने वाले अर्हता-प्राप्त समवाय सचिवों को इस अवधि में कोई वजीफा न मिलने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि समवाय विधि बोर्ड द्वारा विभिन्न साधनों से दंड, शुल्क और अर्थदंड द्वारा इकट्ठी की गयी बड़ी रकम का समवाय सचिवों के व्यवसाय को संगठित करने के लिये उपयोग किया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो चार्टर्ड अकाउंटेंटों, लागत और कर्यान्त लेखाकारों जैसे सम्बध्द व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों के समान समवाय सचिव-प्रशिक्षणार्थियों को सरकार द्वारा वजीफा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभीरामन) : (क) भारतीय समवाय सचिव संघ द्वारा भजे गये अभिवेदन की एक प्रतिलिपि द्वारा समवाय विभाग को हाल ही में इस बात का पता चला है ।

(ख) और (ग) : लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं और इस विभाग और प्राक्कलन समिति के मध्य विचारों के आदान-प्रदान सम्बन्धी बातें प्राक्कलन समिति (1965-66) के 86 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) के पृष्ठों 8 से 9 ; 37 से 38 पर देखी जा सकती हैं । फिर भी मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Rajasthan Desert

5101. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of Scientists of Viscons in University recently went to Rajasthan to study the question of turning Rajasthan desert into a fertile area; and

(b) if so, the details of the report submitted by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पश्चिमी घाट नहर

5102. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में स्थित पश्चिमी घाट नहर को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंगलौर तक बढ़ाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नहर का मार्ग-रेखा निर्धारण संबन्धी काम पूरा हो चुका है ; और

(ग) यह निर्माण-कार्य कब से आरम्भ होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना मसूर सरकार से मंगाई गई है और जसे ही वह प्राप्त होगी सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

Seed Farms in Rajasthan

5103. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of seed farms started by the Centre in the Kota Division of Rajasthan from 1960 to 1965;

(b) the total acreage of land acquired therefor;

(c) whether all the farmers whose lands were acquired have been paid compensation;

(d) if so, the amount thereof as also the rate at which that has been paid; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Nil.

(b) to (e). Do not arise.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

5104. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 19 अप्रल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1198 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि जयन्ती शिपिंग कंपनी के काम काज की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति के साथ एक नौवहन विशेषज्ञ तथा भारत के रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि सम्बद्ध किये जाने चाहिये;

(ख) क्या उक्त संकल्प सरकार को भेज दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 4 अप्रैल, 1966 की अपनी बैठक में नेशनल शिपिंग बोड के गर-सरकारी सदस्यों ने बहुमत से प्रस्ताव को पास किया था।

(ख) जी हां।

(ग) जांच समिति को अधिकार दे दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह विशेषज्ञों का सहयोग ले सकती है।

चीनी के कारखानों के लिये लाइसेंस

5105. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सहकारी समितियों को चीनी के कारखानों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) गुजरात राज्य से कितने आवेदन-पत्र आये थे; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 17 नये सहकारी शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिये 1965-66 में आशय पत्र जारी किये गये थे।

(ख) और (ग) : गुजरात राज्य में नये शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिये 11 आवेदन-पत्र (जिन में एक संयुक्त पूंजी का था) प्राप्त हुये थे। 2 सहकारी शर्करा कारखानों की स्थापना के लिये 1965/1966 में आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं। 6 मामले विचाराधीन हैं। गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण शेष तीन मामले उपयुक्त नहीं पाये गये हैं।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाऊन्ट विमान की दुर्घटना

5106. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री पन्ना लाल : **श्री राम हरख यादव :**
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अप्रैल, 1966 को गौहाटी के हवाई अड्डे पर उतरते समय इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउंट विमान का, जो मोहनबाड़ी से कलकत्ता जा रहा था, एक टायर फट गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी नहीं। 22 अप्रैल, 1966 को मोहनबाड़ी-कलकत्ता विमान सेवा पर चलने वाले वाइकाउण्ट विमान का कोई टायर नहीं फटा। लेकिन गोहाटी स्थित एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर ने मार्ग में निरीक्षण करते समय दायीं ओर के भीतरी पहिये के टायर को फ्लैट पाया था। यह टायर बदल दिया गया।

दायीं ओर के बाहरी पहिये का टायर भी, जोकि काम दे सकता था, उपचारी उपायों के तौर पर बदल दिया गया। यह आशंका की जाती है कि विमान के जमीन पर उतरने के बाद किसी अवस्था में दायीं ओर के भीतरी पहिये का टायर पंक्चर हो गया। रनवेज और टैक्सीवेज को पत्थरों और दूसरी नुकीली वस्तुओं से साफ रखने का हर प्रयत्न किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

5107. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्ण स्वायत्त निकाय के रूप में पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पुनर्गठन के क्या कारण हैं; और

(घ) पुनर्गठित निकाय का विवरण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है,। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6274/66।**]

कलकत्ता पत्तन में अनाज गोदाम (साइलो)

5108. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में अनाज गोदाम को फरवरी, 1965 से काम में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा हुआ है और क्या उपचार उपाय किये गये हैं; और

(ग) इस गोदाम को काम में न लाये जाने के कारण खाद्यान्न लाने वाले जहाज़ों से माल उतारने की गति पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : कलकत्ता का साइलो फरवरी, 1966 के मध्य (और 1965 नहीं) से अप्रैल, 1966 के मध्य तक काम में नहीं लाया गया था क्योंकि साइलो की बेल्ट कनवेयर फीडिंग के चुम्बकीय हैड गरारी में बिजली की तारें जल गयी थीं। ब्रिटेन से फालतू गरारी प्राप्त होने तक कलकत्ता के बन्दरगाह आयुक्त ने एलीमेन्ट की मरम्मत कर दी थी और कनवेयर को चलाया गया।

(ग) तथापि, अतिरिक्त घाटों पर अनाज को उतार कर और क्रेन तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग कर खाद्य जहाज़ों से खाद्यान्न उतारने की सामान्य रफ्तार बनी रही।

राष्ट्रमण्डल के देशों के विधि मंत्रियों की बैठक

5109. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या विधि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1966 के अन्तिम सप्ताह में लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय देशों के विधो मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक का क्या प्रयोजन था तथा बैठक में यदि कोई निर्णय किये गये हैं तो क्या; और

(ग) क्या राष्ट्रमण्डल सचिवालय में एक कानूनी अनुभाग, जिसका मुख्यालय लन्दनमें हो, स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) बैठक का प्रयोजन (i) फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण और भरण पोषण आदेशों के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रमंडलीय देशों में समान प्रक्रिया सूत्रित करना, और (ii) राष्ट्रमण्डल सचिवालय में विधिक अनुभाग स्थापित करने और राष्ट्रमंडल/क्षेत्रीय अपील न्यायालय सृजित करने से संबंधित विषयों पर विचारविमर्श करना था।

निम्नलिखित विनिश्चय किये गये :—

(i) फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण और भरण पोषण आदेशों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं के सम्बन्ध में सम्मेलन में सहमत उपबन्धों के अनुरूप विधान अधिनियमित करने की सिफारिश भाग लेने वाली सरकारों से करना;

(ii) राष्ट्रमंडल सचिवालय में छोटे पैमाने पर विधिक अनुभाग स्थापित करने की प्रस्थापना की सिफारिश प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन से करना; और

(iii) राष्ट्रमंडल/क्षेत्रीय अपील न्यायालय से संबंधित प्रस्थापना पर सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रमंडलीय देशों का बहुमत ऐसे न्यायालय के विरुद्ध था किन्तु प्रस्थापना में हितबद्ध देश सम्मेलन से बाहर विचारविनिमय करने का अवसर ले सकते हैं।

(ग) जी हां।

किराये की इमारतों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय

5110. श्री राम हरख यादव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा अन्य स्थानों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय किराये की इमारतों में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कार्यालयों के लिये स्थान की व्यवस्था करने के हेतु पक्की इमारतें बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो ये इमारतें कब बनाई जायेंगी; और

(घ) उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कारपोरेशन के बम्बई स्थित प्रशासनिक कार्यालय, कलकत्ता स्थित प्रशासनिक और बुकिंग कार्यालय और दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय अपनी स्वयं की इमारतों में हैं। विभिन्न स्टेशनों पर शेष प्रशासनिक और बुकिंग कार्यालय किराये की इमारतों में हैं। कारपोरेशन का मद्रास स्थित एयरलाइन्स हाउस अभी बन कर तैयार हुआ है जिसमें जल्दी ही प्रशासनिक कार्यालय ले जाये जायेंगे।

(ख) कारपोरेशन का अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर, कोचीन, बंगलौर, अगरतला, सिलचर और श्रीनगर में स्थायी इमारतें बनाने का विचार है।

(ग) अहमदाबाद में एयरलाइंस हाउस बनाने के लिए टेण्डर मंगाये जा रहे हैं। दूसरे स्थानों में भूमि के उपयुक्त प्लाटों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है।

(घ) विभिन्न स्थानों पर इमारतों को बनाने की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :—

अहमदाबाद	6.50 लाख रुपये
हैदराबाद	3.00 लाख रुपये
नागपुर	3.00 लाख रुपये
कोचीन	3.75 लाख रुपये
बंगलौर	3.75 लाख रुपये
अगरतला	2.00 लाख रुपये
सिलचर	1.65 लाख रुपये
श्रीनगर	3.00 लाख रुपये

पंजाब में चीनी के कारखाने

5111. श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चीनी के कारखानों ने अपने विस्तार के लिए हाल में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख) : जी हां। सरकार को पंजाब में 4 शर्करा कारखानों के अपनी गन्ना पेरने की क्षमता का विस्तार करने के बारे में आवदन पत्र मिले हैं। इन में से तीन कारखानों को अपनी पेरने की क्षमता को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है जबकि चौथे कारखाने का मामला गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण उपयुक्त नहीं समझा गया है। जिन कारखानों को विस्तार करने के लाइसेंस दिये गये है उनमें से एक कारखाने ने और विस्तार के लिये आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर विचार हो रहा है।

मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण

5112. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में एक लाख अथवा अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन नगरों अथवा शहरों में अनौपचारिक रूप से राशन व्यवस्था लागू करने के लिये सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन शहरों अथवा नगरों में अनौपचारिक अथवा कानूनी रूप से राशन व्यवस्था लागू न करने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) मैसूर राज्य में निम्नलिखित 6 शहरों की आबादी एक लाख और इससे अधिक है :—

1. बंगलौर;
2. मैसूर;
3. हुबली धारवार;
4. कोलार स्वर्ण क्षेत्र;
5. मंगलौर; और
6. बेलगांव।

(ख) और (ग) : भारत सरकार राज्य को सप्लाई किये गये खाद्यान्नों की कोई भी मात्रा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये निर्धारित नहीं करती है। कमी वाले राज्यों की उचित आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध मात्राओं का यथासम्भव समान आधार पर वितरण किया जाता है।

बंगलौर और कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में पहले से अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू है। अन्यत्र, आमतौर पर खुले बाजार में खाद्यान्न उपलब्ध हैं और राज्य सरकार ने अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता अभी महसूस नहीं की है।

विदेशी पशुओं का आयात

5113. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि वह अफ्रीकी तथा अमरीकी नस्लों के गैजेल तथा ऐंटीलोप जैसे विदेशी वन्य पशुओं का आयात करके भारत के आखेट निषिद्ध वनों में उनकी नस्ल को बढ़ायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। हाल ही में माननीय सदस्य ने ही सुझाव दिया था।

(ख) भारत सरकार सुझाव पर विचार कर रही है।

आसाम तक नया नदी स्टीमर मार्ग

5114. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 19 अप्रैल 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो पहाड़ी जिले में घोलेश्वरी तथा सारेंग नदियों तथा कलादत्त नदी के जरिये बर्मा होकर आसाम तक एक नया नदी स्टीमर मार्ग बनाने की सम्भाव्यता पर सरकार विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जलसर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) ऐसे प्रस्ताव की शक्यता पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों के रद्द किये जान से हानि

5115. **श्री फिरोडिया :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो महीनों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों के रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : फरवरी, 1966 के माह में कुल 2850 अनुसूचित विमान सेवाओं में से 37 विमान सेवाएं रद्द की गयीं, जोकि लगभग 1.3 प्रतिशत है। मार्च, 1966 के मास की इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है।

इन सेवाओं के रद्द किये जाने के कारण संभवत: होने वाली हानि का अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि यह पता लगाना संभव नहीं है कि कितने यात्रियों ने बाद की उड़ानों से या विशेष उड़ानों में वास्तव में यात्रा नहीं की जिनका कुछ मौकों पर प्रबन्ध किया गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली

5116. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में कितने स्थान (सीट) उपलब्ध थे;

(ख) सब राज्यों के सब छात्रों में ये स्थान किस आधार पर बांटे गये और उनके राज्यवार वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में मैसूर राज्य के छात्रों को कितने स्थान दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अक्तूबर, 1965 को हुए भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के 1965-66 अधिवेशन के दौरान कृषि विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में 54 छात्र एम० एस० सी० में और 76 पी० एच० डी० कोर्सों में दाखिल किये गये।

(ख) 1965-66 में छात्रों का चुनाव अन्य वर्षों की भांति योग्यता के आधार पर ही किया गया। स्थानों का कोई कोटा किसी विशेष राज्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाता।

(ग) मैसुर राज्य से लिये गये छात्र :

	एम० एस० सी०	पी० एच० डी०
1964-65 सत्र	3	5
1965-66 सत्र	1	5

मैसूर में कृषि कार्यक्रम

5117. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर को कृषि कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ख) कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) यदि खर्च में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालया में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : योजना आयोग की तीसरी पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मैसूर राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए 41.05 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी तीसरी योजना रिपोर्ट में 40·40 करोड़ रुपयें का व्यय निर्धारित किया 1966-67 के लिए अपनी ड्राफ्ट एनुअल प्लान में मैसूर सरकार ने संकेत दिया है कि 1961-62 वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में वास्तविक खर्च तथा 1965-66 वर्ष के लिए पूर्वानमानित खर्च के आधार पर मैसूर में तीसरी योजना के दौरान कृषि कार्यक्रमों पर लगभग 54.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(ग) कमी का प्रश्न होता ही नहीं।

कानपुर में हवाई अड्डा

5118. श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कानपुर में एक नया असैनिक हवाई अड्डा बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी, हां। कानपुर में एक असनिक हवाई अड्डा बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कोका कोला की बोतलों की सप्लाई

5119. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक कम्पनी प्रति वर्ष कोका कोला की कितनी बोतलें दिल्ली से बाहर भेजती है;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में चीनी तथा पेय जल दिल्ली से बाहर भेजे जाते हैं; और

(ग) दिल्ली में शीतल पेयों (कोल्ड ड्रिंक्स) की कमी को ध्यान में रखते हुए इन शीतल पेयों (कोल्ड ड्रिंक्स) के दिल्ली के बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

दिल्ली में राशन व्यवस्था

5120. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन व्यवस्था के अन्तर्गत चावल खाने वाला व्यक्ति चावलों के स्थान पर जितनी मात्रा में गेहूं लेना चाहे ले सकता है परन्तु गेहूं खाने वालों को एक महीने में केवल एक अथवा दो ही किलो चावल दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई भी व्यक्ति अपने को चावल अथवा गेहूं खाने वाला घोषित कर सकता है और उसकी पुष्टि के लिए उसे कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था के कारण गेहूं खाने वालों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चावल खाने वाला अपने राशन कार्ड पर मिलने वाले खाद्यान्नों की कुल मात्रा में से जितनी मात्रा में गेहूं चाहे ले सकता है और शेष चावल, लेकिन यह शर्त रहेगी कि वह जितना चावल लेगा वह उसके कार्ड पर मिलने वाले कुल खाद्यान्नों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

गहूं खाने वाला भी अपने कार्ड पर मिलने वाले खाद्यान्नों की मात्रा में से जितनी मात्रा में गेहूं चाहे ले सकता है और शेष चावल, केवल अन्तर यह है कि वह एक महीने में अधिक से अधिक एक किलोग्राम चावल की मात्रा ले सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) गेहूं खाने वालों को उनके राशन कार्डों पर मिलने वाले चावल की मात्रा पर यह थोड़ी सीमा लागू करने से कोई कठिन अनुभव होने की आशा नहीं है।

दिल्ली में राशन में दिया जाने वाला देसी गेहूं

5121. श्री विश्राम प्रसाद : **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन में दिये जाने वाला देसी गेहूं किस अवधि से गोदामों में जमा किया गया था; और

(ख) क्या इसके नमूने की जांच की गई है और इस बात का पता लगा लिया गया है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) दिल्ली में आजकल जो देशी गेहूं दिया जा रहा है वह पंजाब सरकार ने मई, 1965 के बाद अधिप्राप्त किया था।

(ख) इस गेहूं की जांच-पड़ताल प्राप्त करते तथा राशन की दुकानों को देते समय की जाती है और वह मानव उपभोग के लिये बिल्कुल उपयुक्त पाया गया है।

धान और चावल की वसूली के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U.S.Q. NO. 3533 RE: PROCUREMENT OF PADDY AND RICE

(क) भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर, 1965 से फरवरी, 1966 तक की अवधि में मिल मालिकों से मन्नारगड़ी में 265 मीटरी टन और थूंजाबूर क्षेत्र में 70 मीटरी टन चावल खरीदा था। इन क्षेत्रों में उत्पादकों से धान की कोई अधिप्राप्ति नहीं की गयी थी और न ही चावल की खरीदी गई उपर्युक्त मात्रा की कीमत की अदायगी में कोई देरी हुई।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीन द्वारा ताप नाभिकीय विस्फोट

अध्यक्ष महोदय : चीन द्वारा नाभिकीय बम के विस्फोट के बारे में प्राप्त हुई ध्यान दिलाने की सूचना मैंने गृहीत कर ली है। श्री कामत अब उसे पढ़ें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बिजली की कमी के बारे में ध्यान दिलाने की सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आज केवल एक सूचना गृहीत कर सकता हूँ। बिजली की कमी के बारे में ध्यान दिलाने की सूचना मैं कल के लिए गृहीत करूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : ध्यान दिलाने की सूचनाएं गृहीत करते समय कम से कम उन व्यक्तियों को इस बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिये जो उसमें रुचि रखते हों।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी संबंधित माननीय सदस्यों को सूचना दूंगा क्योंकि इसके लिए अभी समय है। माननीय मंत्री ने कुछ समय मांगा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अगर माननीय मंत्रीगण कछ समय मांग रहे हैं तो इस समय ध्यान दिलाने की सुचनाएं लेने का क्या औचित्य है ?

इस विषय में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जानकारी दिये जाने पर हमने ध्यान दिलाने की सूचनाएं दी और हमारी इच्छा थी कि इस पर उसी समय चर्चा की जाएं और सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। सरकार को इसके प्रति अपना विरोध पहले ही प्रकट करना चाहिए था परन्तु इस मामले को ध्यान दिलाने की सूचनाओं द्वारा उठाने की हमें अनुमति नहीं दी गई। अत: यह स्वाभाविक है कि इस पर हम उत्तेजित हों।

हमें पता नहीं कि ध्यान दिलाने वाली हमारी सूचनाओं का क्या हुआ और अब आप श्री कामत से सूचना पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अगर आपने उसे गृहीत कर दिया है और सरकार ने आपको सूचित कर दिया है तो फिर इस बारे में कोई एक समान नियम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम एक से नियम पर ही चल रहे हैं। माननीय सदस्य ने बेकार ही यह शिकायत की है। निश्चय ही सूचनाएं पहले दी जा चुकी थीं और मैंने उन्हें इस लिए अस्वीकार कर दिया कि मेरा विचार था कि उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भी आज प्रातः ही मुझे लिखा है कि अब तो यह मरणोपरान्त परीक्षा के समान होगी। परन्तु मेरा विचार है कि यदि इस पर हम पहली सूचना दिये जाने पर ही विचार करते तो भी हम उसे रोक नहीं सकते थे।

मैंने **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** की सूचना तथा अन्य सूचनाएं गृहीत कर ली हैं और मैं सभी सबंधित माननीय सदस्यों को शीघ्र सूचित करुंगा। माननीय मंत्री ४ बजे म० प० पर वक्तव्य देंगे। इस बीच मैंने इस विषय पर पहली ध्यान दिलाने की सूचनाएं देने वाले सदस्यों के नाम इस सूचना के साथ जोड़ दिये हैं। अब यह सूचना ली जाए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दे :–

"चीन द्वारा ताप-नाभिकीय (थर्मोन्यूक्लियर) बम का विस्फोट तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : 4 बजे म० प० पर वक्तव्य दिया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं आपके इस कथन की प्रशंसा नहीं कर सकता कि यदि यह सूचना पहले ही गृहीत कर ली गई होती तो इससे विस्फोट नहीं रुक गया होता। क्या ऐसे मामले पर हम ध्यान दिलाने की सूचनाएं तभी लेते हैं जब वे किसी बात को रोक सकेंगी या क्या हम इस मामले की ओर सरकार का ध्यान केवल इसलिए दिला रहे हैं जिससे हम इस मामले के प्रति अपना विरोध प्रकट कर सकें ?

श्रीमती सावित्री निगम (बान्दा) : मेरा भी यही विचार है कि यदि आपने हमारी ध्यान दिलाने की सूचना स्वीकार करके उसी समय इस मामले पर चर्चा करने का अवसर दिया होता तो हमने कम से कम इसके विरुद्ध सार्वजनिक भावना पैदा कर दी होती और अपने मित्र देशों को अपनी चर्चा से सूचित कर दिया होता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने चीन पर भी इसका प्रभाव डाला होता।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : 5 बजे म० प० पर तो आधे घंटे की चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर 4-30 बजे म० प० पर वक्तव्य दिया जायेगा।

सदस्य द्वारा हिरासत के लिए आत्म समर्पण
SURRENDER TO CUSTODY BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूँ कि मुझे सेन्ट्रल जेल, हजारीबाग, के अधीक्षक से दिनांक 8 मई, 1966 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :–

"लोक-सभा के सदस्य श्री बीरेन दत्त को आज प्रातःकाल से इस जेल में रखा गया।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम यह समझें कि श्री बीरेन दत्त को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत जेल में रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें फिर से पढ़ूंगा और सदस्य उनके बारे में जो चाहे करें।

मुझे सैन्ट्रल जेल, हजारी बाग, के अधीक्षक से दिनांक 12 अप्रैल, 1966 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :–

"मैं सूचना देता हूँ कि लोक सभा के सदस्य श्री बीरेन दत्त को 15 दिन के लिए पैरोल पर 11 अप्रैल, 1966 को 8-20 म० प० पर इस जेल से रिहा कर दिया है।"

रिहाई की तारीख से वह पैरोल पर थे। पहली सूचना हमें यह प्राप्त हुई थी। अब, दूसरा संदेश यह है :–

"लोक-सभा के सदस्य श्री बीरेन दत्त को आज प्रातःकाल से इस जेल में रखा गया है।"

वह उसके बाद वापस चले गये हैं। यह संदेश दिनांक 8 मई, 1966 का है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : 24 persons (Sanyasis) who were arrested by Government, are not being released and are dying inspite of the Prime Minister's assurance to Sanyasis for their release no action is being taken in this regard.

Mr. Speaker : At present we cannot discuss upon it. I have not allowed you to speak. Whatever you speak, it would not be recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1964-65 के वित्त लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बलिराम भगत) : मैं केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1964-65 के वित्त लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6264/66।**]

6—72 L. S./66

काण्डला पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 29 फरवरी, 1964 से 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के लिए काण्डला पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 6266/66।]**

चीनी नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1966

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 458 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6266/66।]**

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौवनवां प्रतिवेदन

श्री रा० रा० मुरारका (झुंझनू) : मैं वित्त (योजना आयोग सहित), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार (कृषि विभाग) तथा गृह-कार्य (अन्डमान प्रशासन से सम्बद्ध), उद्योग, लोहा तथा इस्पात, खान तथा धातु, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास (पुनर्वास विभाग) मंत्रालयों, समाज कल्याण विभाग, सम्भरण तथा तकनीकी विकास, परिवहन तथा उड्डयन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), 1963-64, लेखा-परिक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1965 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1965 और वित्त लेखे, 1963-64 के बारे में लोक-लेखा समिति का चौवनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस वर्ष के लिए गठित नई लोक लेखा समिति का यह पहला प्रतिवेदन है। जब 1966-67 के लिए ये संसदीय समितियाँ गठित की गई थीं तब बहुत से सदस्यों को यह आशा बंधी हुई थी की लोक-सभा चल रही श्रेष्ठ परम्पराओं को निभाते हुए इन संसदीय समितियों में से किसी एक को सभापति विरोधी दलों के किसी सदस्य को बनाया जाये। परन्तु मुझे कहना पड रहा है कि आपने इसको ठीक नहीं समझा। यदि इस बारे में आप अपना दृष्टिकोण तथा प्रतिक्रिया बतायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता) : मैं भी यह कहूँगा कि वास्तव में हमें इस पर खेद है कि कुछ प्रथाओं को जिसकी उपयोगिता को इस सभा ने हरेक स्वीकार करता रहा है, आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही नहीं की जाती है। श्री कामत ने लोक लेखा समिति की कहानी पहले ही बता दी है। इस प्रकार की बात प्रत्येक वर्ष की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के मामले में मैं यह जानकर स्तंभित रह गया कि इस समिति में सभापति के स्थान पर फिर से एक कांग्रेसी सदस्य को बैठाया गया जब कि विरोधी दल का एक महत्वपूर्ण अनुभवी सदस्य इसके योग्य था। यह आपको विवेक पर निर्भर करता है और उस पर हम आपत्ति करने को स्थिति में नहीं हैं। संसदीय प्रणाली को या तो सही भावना से चलाने का प्रयत्न करें या फिर से तिलांजलि दे दें तो अच्छा रहेगा।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि विरोधी दल के सदस्यों की मांगों पर जो कि अनुचित नहीं है तथा जो कि संसदीय प्रणाली के अनुरुप हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। गत वर्ष उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खादी आयोग और भारत सेवक समाज के बारे मे समिति ने बहुत अच्छे प्रतिवेदन प्रस्तुतत किये हैं। क्या अध्यक्ष किसी मामले में अपनी मति के अनुसार कार्य कर सकते है? कई बार तो विरोधी पक्ष के लोगों को भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय को विरोधी पक्ष के नेताओं को समय समय बुलाना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। ऐसा करना एक स्वस्थ संसदीय परम्परा होगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा निवेदन यह है कि एक इस प्रकार की समिति होनी चाहिए तो सदन के कार्यो के बारे में अध्यक्ष महोदय को परामर्श दे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आपकी देखरेख में यह कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। इसके साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में विरोधी पक्ष के लोगों को भी मान्यता देनी चाहिए। इससे संसदीय कार्यों में विरोधी पक्ष के लोगों का विश्वास बढ़ेगा। कई राज्य विधान मंडलों में इस प्रकार का उपक्रम चल रहा है। वहां ऐसी समितियां है जिनके अध्यक्ष विरोधी पक्ष के लोग है। अत: मेरा अनुरोध यह है कि मेरे सुझाव पर विचार किया जाय।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : श्री रंगा और श्री मुकर्जी के सुझावों से मैं सहमत हूँ। यहां पर विरोधी पक्ष काफी प्रभावशाली है। समितियों के कार्य में केवल पदासीन दल के लोगों को ही नहीं लिया जाना चाहिए विरोधी पक्ष को भी इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। केवल सभी पदों पर सत्तारूढ़ दल का ही कबजा नहीं होना चाहिए। हमें समाजवादी समाज के निर्माण में विश्वास होना चाहिए। एक यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी स्थिति खराब नहीं है। यहां के विरोधी पक्ष बहुत ही जिम्मेदार है। संसार की सब से महत्वपूर्ण लोकतन्त्रीय प्रणाली, हमारे यहां चल रही है। हमें अपनी लोकतंत्रीय व्यवस्था को प्रतिक्रिया वादी रूप नहीं देना चाहिये। हमारा लोकतंत्र बहुत ही प्रगतिशील होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने खर्च किया है उन्ही लोगों को लेखा परीक्षण का काम नहीं दिया जाना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : As a matter of principle, I fully support Shri Ranga and Prof. Mukherjee. But at the same time I want to place before the House my ever practical experiences. I have been a member of Public Accounts Committee last year. I found that the Chairman of the Committee was discharging his duties very seriously and impartially. I was very much impressed and in this connection wrote a letter to the Prime Minister the decision taken by the Committee regarding Bharat Sewak Samaj depicts great courage and confidence to deal the matter efficiently. I want to urge upon the House that the decision of the Committee should not remain in Cold storage for 5 or 6 years and should be timely implemented.

Charges levelled against the joint secretary and the secretary by the Committee are very serious. I urge that the decision of the Committee should be promptly implemented.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारे पक्षों की बात सुन ली है, निस्सन्देह मैं इस बात को हमेशा समक्ष रखूंगा इस सम्बन्ध में अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं।

व्यापारियों को विदेशी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा के दिये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RELEASE OF FOREIGN EXCHANGE TO BUSINESSMEN FOR TRAVEL ABROAD

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं वित्त मंत्री की ओर से वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पुस्तकालय में रख दिया गया है, उसका वहां परीक्षण किया जा सकता है।

भारतीय अधिनियमों के अनुवाद के बारे मे अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

CORRECTIONS OF ANSWER TO A SUPPLEMENTARY S. Q. NO. 1334 RE: TRANSLATION OF INDIAN ACTS

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : 26 अप्रैल 1966 को श्री सिद्धेश्वर प्रसाद द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 1334 पर पूछे गय अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मैंने कहा था कि हमारे पास काम करने वाले सदस्य कुछ समय काम करते हैं। अब हमने उस प्रणाली को हटा दिया। स्थिति यह है कि कुछ समय के लिए भी, आयोग के अल्पकालीन अधिकारी अथवा गर सरकारी व्यक्ति जिन्हें कि राज्यों ने मनोनीत किया है, काम करते रहेंगे।

यह भूल कुछ असावधानी से हो गई।

सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में (श्री सरजू पाँडेय)

HEALTH OF MEMBER (SHRI SARJOO PANDEY)

अध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पांड के स्वास्थ्य के बारे में श्री शुक्ल व्यक्तव्य देंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री सरजू पांडे ने अपना अनशन छोड़ दिया है और इस दिशा में और कुछ नहीं बनाना है। वह बहुत कमजोर हो गये हैं।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

नारियल जटा बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मै श्री मनुभाई शाह की ओर से, यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिनांक 12 दिसंबर, 1957 के एस० आर० ओ० संख्या 3983 द्वारा संशोधित रूप में नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) (ई) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाने वाली आगामी अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिनांक 12 दिसम्बर, 1957 के एस० आर० ओ० संख्या 3983 द्वारा संशोधित रूप में नारियल जटा उद्योग नियम 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (इ) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाने वाली आगामी अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपनेमें से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

केरल आय-व्ययक 1966-67
KERALA BUDGET, 1966-67

सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा केरल आय व्ययक 1966-67, और अनुदान की मांगोंपर मतदान और आगे चर्चा आरंभ करेगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : केरल को विद्युत तथा विद्युत निर्माण की क्षमता से वंचित कर दिया गया है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जब जब भी इस बारे में कोई योजना बनाई गयीं तब तब पड़ौसी राज्यों की कुछ छोटी छोटी शिकायतों पर कोई न कोई झगड़ा खड़ा कर दिया जाता था। और उसके परिणाम स्वरूप केन्द्रीय जल तथा विद्युत् उद्योग उन प्रस्ताव को समाप्त कर देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्युत की कमी के कारण राज्य का विकास रुक गया। केरल में विद्युत उत्पादन की क्षमता का केवल 9 प्रतिशत उद्योगों ने उपयोग किया गया है। सम्भावना यही है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी यह कमी बनी रहेंगी प्रशासन की नीति इस दिशा में बहुत ही कमजोर रही है। अतः हम इस बात पर जोर देते रहे है कि राज्य में उष्णतापीय संयंत्र स्थापित किया जाय।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यदि 100 मेगावाट का तापीय संयंत्र उस राज्य में नहीं लगाया जाता तो औद्योगिक उत्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती रहेगी। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य है बिजली की कटौती के कारण जबरन छुट्टी से बेरोजगारी और बढ़ेगी। राज्य योजना समिति ने भी यही सिफारिश की थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार केवल 30 मेगावाट का संयंत्र लगाना चाहती है। यह संयंत्र केरल की आवश्यकता के लिये बिल्कुल ही अपर्याप्त है। इससे समस्या हल नही होती तीसरी योजना के अन्त में केरल में 8.45 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। चौथी योजना में इनमें एक लाख व्यक्तियों की वृद्धि और हो जायेगी। राज्य योजना समिति ने ऐसी योजना बनाई है जिससे बेरोजगारी में वृद्धि न हो। परन्तु योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त राशि नहीं दी है। दूसरी और तीसरी योजना की अवधि में देश में औद्योगिककरण के लिये खर्च किये गये 1325 करोड़ रूपये में से केरल राज्य को केवल 25 करोड़ रुपये दिये गये हैं, इस से पता चलता है कि केरल से कितनी उपेक्षा की गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि केरल में पी० डब्ल्यू० डी० के निर्माण कार्योंसमेत हर ओर से विकासशील तथा पूंजीगत व्यय में कटौती की गई है वहां पर न हो कोई स्कूल बनेगा और न सड़के ही बनेगी। इसका अर्थ यह है कि वहां पर सामाजिक सेवाओं में भी सुधार नहीं

7—72 L.S./66

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

होगा माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि 11 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर देने से राज्य में शिक्षा का समूचा ढांचा अस्त व्यस्त हो गया है केरल से बाहर जाने वाला मेट्रिक का प्रमाण-पत्रप्राप्त कोई भी व्यक्ति भारत में किसी उच्च कालेज में दाखिल नहीं हो सकता और न किसी अन्य राज्य में ही उन्हें नौकरी मिल सकती। केरल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 48 अथवा 49 जुनियर कालिज स्थापित किये गये हैं। उनमें से किसी को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

जहां तक बचत का सम्बन्ध है हमने कभी ऐसी बचत के आन्दोलन के बारे में नहीं सुना जिसके अन्तर्गत श्रम विभाग संघ सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों तथा त्रिपक्षीय सम्मेलनों में किसी को भेजने से इन्कार कर दे। केरल सरकार ने मितव्ययता के कारण भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति आदि में भी भाग नहीं लिया है। श्रमिकों के साथ व्यवहार न्याय के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। विशेष रूप से बागान श्रमिकों को कम वेतन मिलता है और सरकार उनके लिए न्यूनतम मजूरी के मामले पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। बागान तथा अन्य उद्योगों में बोनस के मामले में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

प्रशासन का कृषि के प्रति रवैया बहुत खेदजनक है। बुवाई के मौसम में कोई बीज, खाद तथा ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। केरल के किसानों को एक ओर कठिनाई भी है। भूतपूर्व सरकारों ने उनसे उनको दिया गया ऋण वसूल करने का कभी कष्ट नहीं किया। परिणाम यह है कि ऋण इकट्ठा होता गया। अब राष्ट्रपति के शासन में अधिकारी इसे वसूल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। यदि राजस्व वसूली कार्यवाहियों के अन्तर्गत पांच अथवा छ: प्रकार के ऋण को वसूल किया जाता है तो शायद किसानो से उनकी सभी वस्तुएं लेने के पश्चात भी पूरी वसूली नहीं हो सकेगी। परिणाम यह होगा कि वे उतना उत्पादन भी नहीं कर सकेंगे जितना वे अब कर रहे हैं। चूंकि केरल के किसान अधिकांशत: वणिज्यिक फसलें उठाते हैं जिनसे विदेशीय मुद्रा का अर्जन होता है तो पूरे देश को हानि होगी।

यद्यपि केरल इस दिशा में कमी वाला क्षेत्र है परन्तु प्रयास किया जाना चाहिए कि वहां जितना भी हो सके उत्पादन हो। आत्मनिर्भरता तो प्राप्त नहीं हो सकती, और हमें आशा है कि शेष भारत हमारा ध्यान रखेगा, हमें दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं समझा जाना चाहिये। सारे भारत को 15 आऊंस मिलता है तो हमें 10 और 5 आऊंस नहीं मिलना चाहिए। जब सारे भारत में 9 आऊंस था तो हमें 6 आऊंस मिलता था। स्थिती इस दिशा में सुधारी जानी चाहिये। अन्त में मेरा निवेदन यह है कि यह बजट बड़ा ही अव्यवहारिक है, इससे लोगों को कोई लाभ पहुंचने की आशा है।

श्री अ० ब० राघवन (बडागरा) : केरल भारत संघ का सब से छोटा राज्य है। यह देश का 1.2 प्रतिशत है और 3.8 प्रतिशत लोगों को इसे आभरण करना पड़ता है। देश की जलक्षमता का 5 प्रतिशत भाग भी यहां है। पहाड़सागर, जल और पर्यटकों के सब आकर्षण होते हुए यह राज्य पिछड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार इस राज्य का अपेक्षित विकास करने में असफल रही है। सभी प्रकार की अच्छी सम्भावनाओं के बावजूद तीन योजनाओं के काल में इस राज्य का उचित विकास नहीं हो पाया। और अब कहा नहीं जा सकता कि चौथी योजना में क्या होगा।

केरल राज्य के त्रावणकोर-कोचीन प्रदेश की तुलना में मालाबार प्रदेश बहुत ही पिछडा हुआ है। यह प्रदेश परिवाह, शिक्षा तथा उद्योग में पिछड़ा हुआ है। अत: इस असमानता को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की राज्य की आर्थिक नीति होनी चाहिये। हाल ही में सरकार ने कुछ हाई तथा प्राथमिकता स्कूलों की मंजूरी दी है। परन्तु इनमें अधिकतर त्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र में ही बनाये जायेंगे। राज्य में विद्यमान विभेद को इस प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। इस बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी प्रकार मानसून में मालाबार के कई क्षेत्रों में नहीं पहुंच जा सकता। राज्यपाल के शासन को इन पहाड़ी क्षेत्रों में एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से मिलने के लिये कुछ सड़के बनानी चाहिये।

मावूर में बिड़ला रेयन फैक्टरी की गन्दगी से पड़ौस में विषम समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे नदी का पानी खराब हो जाता है और नदी के दूसरी ओर रहने वाले लोगों को पीने का पानी मिलता है। केवल इतना ही नहीं जो लोग मछली इत्यादि पकड़ कर अपना गुजारा करते थे उनके लिये भी कठिनाई हो रही है क्योंकि पानी में मिलावट के कारण हजारों मछलियां मर जाती हैं। केरल के लोक सेवा विभाग को बिड़ला रेयन फैक्ट्री को चेतावनी देनी चाहिये कि वह अपनी गन्दगी नदी में न बहायें। भविष्य निधि से अग्रिम धन देने के बारे में केरल सरकार का एक प्रस्ताव था। इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

मालाबार क्षेत्र में अधिकांश कालिजों में पर्याप्त अध्यापक नहीं है जिसके परिणामस्वरुप विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। कम से कम अगले शिक्षा वर्ष में इस बात के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये कि सभी कालिजों में पर्याप्त अध्यापक हों। मालाबार के निजी जंगलों में वृक्ष अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। हमें बताया गया था कि सरकार निजी जंगलों के अर्जन के लिए कार्यवाही कर रही है, परन्तु आयाव्ययक में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं किये गये है। यदि ऐसी अनिश्चितता जारी रही तो सरकार के जंगल लेने के निर्णय तक केरल के मालाबार क्षेत्र में कोई निजी जंगल नहीं रहेंगे।

भूमि सुधार अधिनियम के बावजूद मध्यवर्ती लोगों को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को देखना चाहिये कि विधेयक के सभी उपबन्ध यथासम्भव शीघ्र लागू किये जाये। केरल के अराजपत्रित अफसर शीघ्र ही हड़ताल करेंगे। उनकी मांग बहुत उचित है। उनके लिए निर्वाह करना कठिन हो रहा है। उनकी मांग केवल यही है कि उनके वेतन मद्रास के निकटवर्ती राज्य के समान हों। केरल के सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। उनकी उचित मांग पूरी की जानी चाहिये। एक बात को बड़ी गम्भीरता से समझ लेना चाहिये कि राज्य के समक्ष बड़े ही गम्भीर प्रश्न है। राज्य के भीतर ही क्षेत्रीय विषमतायें चल रही है। इन्हें भी दूर किया जाना चाहिये। आशा करनी चाहिये कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी इन शब्दों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रविन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : मैं बजट प्रस्थापनाओं का समर्थन करता हूं। मुझ इस बात का अहसास है कि इस बजट बनाने वाले ने राज्य की सभी आवश्यकताओं और समस्याओं को अपने समक्ष रखा है। इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले में राजस्व अधिक प्राप्त होगा। गत वर्ष यह राशि 103.1 करोड़ थी और अब इस में 20.7 करोड़ की वृद्धि हो गई है। यह प्रथम बार है कि राजस्व की राशि 100 करोड़ से ऊपर हो जायेगी और मजा यह है कि कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाये गये हैं, जो कर मंत्री महोदय प्रस्तावित कर रहे हैं वे इसके अन्तर्गत नहीं होते।

इस बारे में मुझे यह भी निवेदन करना है कि वित्त मंत्री ने राज्य बिजली बोर्ड को दिये गये ऋणों से 4.9 करोड़ रुपये ब्याज लिया है। गत वर्ष के प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय को देखते हुए ये आकडे गलत है। खर्च का जहां तक सम्बन्ध है उसका अनुमान 99.3 करोड़ रुपया है। गत वर्ष से लगभग 15.8 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अन्तर्गत अधिक राशि प्रशासन सेवाओं पर खर्च होगी। इसको लोगों की स्थिति सुधारने सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च नहीं होगा। राज्य का पुँजीगत व्यय 16.8 करोड़ रुपये से कम होकर 11 करोड़ रुपये रह गया है। राज्य योजना के अन्तर्गत 41.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

गत तीन वर्षों के लेखें देखने पर यह पता चलता है कि कुल मिला कर 17 करोड़ की बचत हुई है। गत वर्ष बचत 7.6 प्रतिशत थी। परन्तु यह बचत शिक्षा, चिकित्सा, सेवा तथा उद्योगों आदि से की गई थी। जिन कार्यों के लिए यह अनुदान दिये गये थे उनको पूरी क्षमता से चालू न करने के कारण बहुत सी अत्यावश्यक सेवाओं के अनुदान खर्च नहीं किये गये हैं। 57.7 प्रतिशत की बचत होगी। शिक्षा पर 95 प्रतिशत खर्च हो जायेगा। डाक्टरी सेवाओं पर

[श्री रविन्द्र वर्मा]

55 प्रतिशत खर्च होगा। इस संदर्भ में मेरा यह भी कहना है कि करों का काफी अंश बिना वसूली के पड़ा है। 67 करोड़ में से 10.37 करोड़ रुपये वसूल नहीं हुए। इसका अर्थ 16 प्रतिशत वसूली नहीं हुई है।

अब मैं मुख्य समस्या की ओर आता हूं। और यह समस्या बेरोजगारी की है। केरल में केवल 38 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं। इसके मुकाबले में अन्य राज्यों में अधिकांश लोग कृषि का कार्य करते हैं। आम लोगों में निराशा और असन्तोष की भावना साफ दिखाई दे रही है। केरल में 14 प्रतिशत श्रमिक भी बेरोजगार है। 40 प्रतिशत लोग नैमित्तिक है। चौथी योजना के अन्तर्गत 9 लाख लोग बेकार रह जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जब तक वहां पर अच्छी तरह आयोजित औद्योगिक योजना नहीं बनाई जाती तब तक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी तथा अल्प-बेरोजगारी की समस्या को सुलझा सकना नितान्त असंभव होगा।

केरल में बरोजगारी की समस्या कुछ पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना से, जिनसे कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, हल नहीं होगी। सहायक उद्योगों तथा भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिए क्रमबद्ध योजना बनाई जानी चाहिये जिस से अधिक औद्योगीकरण हो सके। सोच समझ कर बनाई गई इस प्रकार की किसी नीति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। केरल में यह भावना पैदा हो रही है कि उस राज्य के विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा है। केरल में सब से कम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास हुआ है। वहां विकास 1.3 प्रतिशत है जबकि अधिकतम 20.23 प्रतिशत है। पिछले 15 वर्षों से उन कई परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया है जो उस राज्य के लिए बनाई गई थीं। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कहा है कि एक ऐसी परियोजना पर लाखों रुपये बर्बाद कर दिये गये हैं, जिसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है। और फीर भी केरल के लोगों को कहा गया है कि फाइटो-रसायनिक संयंत्र स्थापित किया जायेगा। कोचीन पोत-निर्माण कारखाने के मामले पर पहली योजना के समय विचार किया गया था। परियोजना का प्रतिवेदन प्राप्त करने में 15 वर्षों से भी अधिक समय लग गया है। सूक्ष्म उपकरण कारखाना अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। चैकोस्लोवाकिया की सहायता से कोचीन के निकट प्लेटों तथा बर्तनों का भारी कारखाना स्थापित किया जाना था। अब वह कहीं विशाखापट्टनम के निकट स्थापित किया जा रहा है क्योंकि केरल एक करोड़ रुपये के मूल्य की भूमि मुफ्त नहीं दे सका है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को राज्यों से मुफ्त भूमि नहीं मांगनी चाहिये। इससे अनुचित प्रतियोगिता होती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो क्षेत्र धन दे सकते हैं, उनमें ही सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें लगाई जाती हैं। समृद्ध क्षेत्र और समृद्ध हो जाते हैं तथा प्रादेशिक असमानतायें बनी रहती हैं।

केरल निर्धन तथा पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां पूंजी निर्माण उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि उद्योगपति यह कह सकें कि उनके पास विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी है और वे अपने राज्य में उद्योग स्थापित कर सकें। इसलिए जब तक औद्योगिक लाइसेंस नीति ऐसी न हो जिससे असमानता दूर करने के विचार से पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाई जा सके तब तक उन्नत राज्य और उन्नति करते रहेंगे। ऐसे लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं जिन्हें बाद में अपने औद्योगिक संस्थान केरल से हटाकर किसी अन्य राज्य में ले जाने की अनुमति दी गई।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध, प्रशासन आदि की जांच करने के लिए कहा है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने बेकारी की समस्या के हल के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। उसने कहा है कि राज्य में महत्वपूर्ण कच्चा माल है, परिवहन की अच्छी सुविधायें हैं और वहां शिक्षित और बुद्धिमान श्रमिक हैं, परन्तु राज्य में उद्योग के विकास के लिए कोई औद्योगिक नीति नहीं है।

प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि केरल के उद्योगों के सामने मुख्य समस्याओं में से एक बिजली की कमी है। परन्तु वहां की उत्पादन क्षमता तृतीय योजना के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत पीछे है। बिजली की कमी से करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। वर्ष 1965-66 में कुल 10 करोड़ रुपये से भी अधिक हानि होगी जबकि वहां पर 100 मेगावाट का एक ताप बिजली घर लगाने के लिए 11 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह बात स्पष्ट है कि सरकार थोड़े धन की बचत करने के लिए अधिक धन की हानि उठा रही है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन से कर्मचारियों के कई वर्गों को बहुत लाभ होगा। कई अराजपत्रित कर्मचारियों के तर्कों तथा मांगों में काफी बल है। यदि उनकी मांगों को बिना सोचे समझे रद्द कर दिया जायेगा तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।

बेदखलियों सम्बन्धी समिति ने केरल के लोगों की बहुत सेवा की है। मैं समिति के सदस्यों तथा उसके सभापति को ऐसा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, जो एक ऐसी दस्तावेज़ होगा जिसके आधार पर सरकार बेदखलियों के मामले में अपनी नीति बना सकेगी, बधाई देता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अनुचित परिस्थितियों के कारण इस सभा को केरल के प्रशासन का दायित्व सम्भालना पड़ा है। केरल के विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि वह भारतीय राजनीति की दुविधा और निराशा प्रतिबिम्बित करता है। यदि हम इस दुविधा को ठीक प्रकार से नहीं सुलझा सके तो इस से भारतीय लोकतन्त्र को खतरा हो जायेगा। केरल को सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहिये। भारत सरकार ऐसी कोई निश्चयात्मक कार्यवाही नहीं कर सकी है जिससे केरल की जनता के विचारों और जीवन पर प्रभाव पड़ता। मैं इस समय अन्य राज्यों के दावों का वर्णन करना आवश्यक नहीं समझता परन्तु यह समझा जाना चाहिये कि भारत सरकार तथा उसकी नीतियों में उन राज्य के साथ, जिनको केन्द्रीय सरकार में प्रभावी राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उपेक्षा का जो रवैया अपनाया है, उसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जब केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में किसी राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं होता तो उस राज्य को सदा हानि उठानी पडती है। भारत सरकार को ऐसी स्थिति समाप्त कर देनी चाहिये।

केरल की समस्या साम्यवादियों की समस्या नहीं है। यह एक बड़ी समस्या है। यदि कांग्रेस दल तथा संसद इस समस्या को हल करना चाहती है तो उसे इस समस्या का महत्व अध्ययन करना चाहिये। केरल में साम्यवादियों के कारण कुछ समस्यायें हैं। इन समस्याओं को सुलझाने में सरकार की असफलता वर्तमान स्थिति के लिए ज़िम्मेवार है।

केरल में अन्य किसी राज्य की तुलना में राष्ट्रपति का शासन अधिक बार लागू किया गया है। मैं समझता हूं कि केरल के अनुभव से हमें यह पता चलता है कि विधान मण्डलों और संसद के लिए चुनाव पृथक पृथक समय पर कराने चाहिये। राज्य विधान मण्डलों के लिए चुनाव के समय निर्वाचितों के सामने आने वाले प्रश्न संसद के चुनाव के समय पैदा होने वाले प्रश्नों से भिन्न होते है।

सरकार को न केवल संसाधन उपलब्ध रखने चाहिये बल्कि उनके उपयोग के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिये। केरल के लिए निर्धारित धन का बहुत कम उपयोग किया गया है। मंत्री महोदय को इस के कारण बताने चाहिये। मंत्री महोदय यह भी बतायें कि केरल में विकास की प्रगति इतनी धीमी क्यों है तथा वहां नई औद्योगिक परियोजनायें चालू क्यों नहीं की गई हैं।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : केरल के आय व्ययक से ऐसा पता लगता है कि यह किसी राज्य का आय-व्ययक नहीं बल्कि किसी कम्पनी के लेखे हैं। वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है परन्तु केरल की समस्याओं के हल करने के लिए आय व्ययक में कोई संकेत नहीं है।

[श्री मणियंगाडन]

केरल सघन जनसंख्या वाला राज्य है। वहां बेकारी बहुत अधिक है। योजनाओं को बनाने तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए राज्य के साधनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान और ऋण के लिए कसौटी समझा जाता है। यदि केरल के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त लागू किया जाये तो वह सदाही पिछडा हुआ रहेगा जबकि दूसरे राज्य आगे बढ़ जायेंगे। ऐसी बात नहीं होनी देनी चाहिये। इस प्रकार का असन्तुलन समाप्त किया जाना चाहिये।

केरल में खाद्यान्न की बहुत कमी है। खाद्यान्न की उपलब्धि के मामले में एक राज्य अथवा दूसरे राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। हमें भी उतना ही खाद्य प्राप्त करने का अधिकार है जितना देश के किसी दूसरे भाग में किसी नागरिक को है।

भारत के अन्य राज्यों में सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है परन्तु केरल में उसका शत प्रतिशत लाभ उठाया गया है। केरल में कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनायें हैं। उनपर काम शुरू किया जाना चाहिये। यदि कल्लड़ा परियोजना चालू कर दी जाये तो केरल में खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। अच्छे बीजों आदि के बारे में भी अन्य परियोजनायें हैं। यदि यह सभी योजनायें सफलता से क्रियान्वित कर दी जायें तो केरल में खाद्य समस्या हल हो जायेगी। विरोधी सदस्य सरकार को धमकी दे रहे हैं कि दूसरा बन्द शुरू किया जायेगा। मैं नहीं जानता कि दूसरा क्या कारण है। आन्दोलनों से समस्यायें हल नहीं हो सकती। केरल के लोग दूसरे बन्द का समर्थन नहीं करते।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कहा है कि केरल के लिए 100 मेगवाट का एक तापीय संयत्र आवश्यक है। केरल में बिजली का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस पर उचित रुप से विचार किया जाना चाहिये। आशा है कि सरकार गम्भीरता से इस मामले पर विचार करेगी और 30 मेगावाट का तापीय संयंत्र बनाने का निर्णय बदल दिया जाया चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ईडिरी परियोजना के साथ साथ इडामालायार योजना भी तुरन्त शुरू की जानी चाहिये। सरकार को उस परियोजना को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिये।

रबड़ बोर्ड ने रबड़ बागान में वृद्धि की एक योजना की सिफारिश की है। यह योजना केरल बागान निगम की है। बागान में वृद्धि की जानी चाहिये। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को बागान के मालिकों को मलाबार के गैर-सरकारी जंगलो की भूमि को पारस्परिक बातचीत द्वारा निश्चित मूल्य पर खरीदने और उनमें रबड़, काफी तथा अन्य वस्तुएं लगाने की अनुमति देनी चाहिये। इस प्रकार देश की समृद्धि में वृद्धि होगी और यह राष्ट्रीय हित में होगा।

बहुत दिनों से केरल के लोग वहां पर कोई गवेषणालय अथवा संस्था स्थापित करने के लिये मांग कर रहे हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि जब कभी ऐसी किसी संस्था स्थापित करने के बारे में सोचा जायगा तो केरल के बारे में विचार किया जायेगा। अब सरकार का सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है। मेरा विचार है कि इस संस्था के लिए केरल सबसे उपयुक्त स्थान हैं इसलिये इसको केरल में ही स्थापित किया जाना चाहिये।

केरल के मालाबार क्षेत्र में सड़को, पुलों तथा दूसरी संचार व्यवस्थाओं की बहुत कमी है। केरल में संचार सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए केरल को अधिक धन दिया जाना चाहिये। बहुत से कार्य धन के अभाव के कारण पूरे नहीं हो रहे हैं।

श्री वारियर (त्रिचूर) : केन्द्रीय सरकार ने केरल के लोगों की मांग तथा आवश्यकताओं पर कभी भी उचित ध्यान नहीं दिया है। दर्भाग्य की बात है कि जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो वहां पर लोकप्रिय सरकार नहीं थी जोकि केन्द्र से अपने भाग की मांग कर सकती। इसलिये केरल को सदा घाटा रहा है।

केरल की उपेक्षा की जा रही है। सिंचाई तथा विद्युत मंत्री डा० राव स्वयं इस बात को मानते है कि केरल में 100 मैगावाट के तापोय बिजलीघर की आवश्यकता है। परन्तु फिर भी वहां पर केवल 30 मैगावाट का ही तापीय बिजली घर स्थापित किया जा रहा है। जबकि दूसरे राज्य में बड़े बड़े तापोय बिजली घर स्थापित किये जा रहे हैं।

हमें बताया गया था कि मैसूर राज्य केरल को बिजली देगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। नोवेली तापोय बिजली घर एक केन्द्रोय परियोजना है परन्तु जब केरल में बिजली की कमी थी तब भी केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य को बिजली सप्लाई करने के लिये नहीं कहा है। इस प्रकार केरल के साथ विभेद किया जा रहा है।

हमें यह बताया गया है कि कोचीन के तेल शोधक कारखाने के निकट उवरक कारखाना लगाया जायेगा जबकि वहां पर पेट्रो-कैमिकल कारखाने लगाना अधिक उचित है। हमें यह बताया जाना चाहिये कि केरल में पेट्रो कैमिकल कारखाने क्यों नहीं लगाये जाते। दूसरे राज्यों में ऐसे कारखाने लगाना किस प्रकार लाभदायक है ?

बताया यह गया था कि एरणाकुलम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाईन एक बड़ी रेलवे लाईन बनाई जायेगी परन्तु इसको एक मिटर गेज लाइन बनाया गया है। मालूम नहीं एकदम यह निर्णय किस प्रकार बदल गया है। ऐसी बहुतसी बातें है परन्तु मैं उन सबका को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि पहले हो बहुत से सदस्यों ने उनका उल्लेख कर दिया है। अब केरल की स्थिति के लिये केन्द्रीय सरकारही जिम्मेवार है। इसलिये हम चाहते है कि अनिश्चितता को इस स्थिति को समाप्त किया जाये और ऐसा आधार बनाया जाना चाहिये जिससे केरल का औद्योगिक विकास हो सके। परन्तु भविष्य के बजट से भी ऐसी कोई आशा दिखाई नहीं देती है। केवल साधारण चोजों को ही व्यवस्था की गई है। ऐसा केवल इस कारण ही है क्योंकि वहांपर कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। वर्तमान प्रशासन ने ऐसे निर्णय लेने में बहुत शोघ्रता दिखाई है क्योंकि वे सब वहां के लोगों के हितों के विरुद्ध हैं। स्कूलों, कालेजो तथा दूसरी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में आरक्षण के प्रश्न पर सरकार ने इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिये था।

मत्स्य निगम के ब्यौरे में मैं नहीं जानना चाहता हूं परन्तु यदि सरकार यह आश्वासन दे कि मत्स्य विभाग के वर्तमान निदेशक को सेवा निवृत्ति के पश्चात मत्स्य निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया जायेगा तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। पता नहीं सरकार ने वहां के लोगों तथा इन उद्योग में काम करने वाले लोगों के परामर्श के बिना यह निगम स्थापित करने के बारे में इतनी जल्दी क्यों की है।

पिछले दिन त्रिचूर में एक कपड़ा मिल जल गई थी जिसमें 2,000 मजदूर कार्य करते थे। ऐसे मामलों में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि राज्य सरकार ऐसे मामलों में सदा विलम्ब करती है।

सरकार की वसूली सम्बन्धी नीति से छोटे जमाखोरों को सदा परेशानी हुई है जबकि बडे बड़े जमीदारों से प्रभावशाली ढंग से वसूली नहीं की जाती है। लगान मूल्य चार रुपये है जबकि खेती पर वास्तव में पांच रुपये लागत आती है। इस प्रकार किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि वे धान की बजाय किसी अन्य चोज की खेती करेंगे क्योंकि यदि धान का बाजार में मूल्य 6 रुपये है तो लागत पांच रुपये है। अब सरकार उनको कह रही है कि उनको अनाज की बजाय अन्य वस्तुएं नहीं उगानी चाहिये।

जब तक मालाबार के वनों को सरकार अपने नियंत्रण में नहीं लेती तब तक रबड़ बोर्ड की चौथी योजना सफल नहीं होगी। इस बारे में सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिये था परन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिये।

[श्री वारियर]

केरल में पुलिस छोटे छोटे झगड़ों में भी हस्तक्षेप कर रही है और लोगों पर ज्यादती कर रही हैं। पुलिस की ज्यादती को समाप्त किया जाना चाहिये ।

केरल के महासचिव ने केरल की राजधानी के बारे में एक संपादकीय लिखा है जोकि आपत्तिजनक है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये । कोचीन निगम के बारे में भी सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिये ।

करूवन्नूर बेसिन परियोजना, जिसका कुछ भाग बनकर तैयार हो चुका है, को तुरन्त पूरा किया जाना चाहिये ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : पिछले कई वर्षों से केरल में कोई स्थायी सरकार नहीं है। मैं केवल बिजली की कमी के बारे में ही कहूंगा। केरल में बिजली की सप्लाई में लगभग 80 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। जहां कहीं भी बिजली की मूलभूत कमी है सरकार ने ठीक आयोजन नहीं किया है जिसके फलस्वरूप वहां पर काफी असंतुलन है। तीसरी योजना के अन्त तक केरल की बिजली उत्पन्न करने की कुल 197 मैगावाट की क्षमता थी।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

दूसरे राज्यों की तुलना में यह पर्याप्त नहीं है। केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई जैसा कि अन्य राज्यों में की गई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई निवेली लिग्नाईट तथा परमाणु शक्ति केन्द्रों जैसी सरकारी क्षेत्र की योजनायों से दक्षिणी राज्यों को विद्युत का लाभ मिलना चाहिये। कम से कम केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत का समान तथा न्यायोचित वितरण होना चाहिये। दक्षिणी ग्रिड के बन जाने पर इसमें सम्मिलित सभी राज्यों में विद्युत का न्यायपूर्वक वितरण होना चाहिये ।

केरल में अनाज की कमी है। परन्तु बहुतसी वाणिज्यक फसलों का उत्पादन कर रहा है जिससे सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। केरल में कृषि का मुख्य साधन कुऐं तथा सिंचाई की छोटी योजनाएं हैं जिनके लिये बिजली बहुत महत्व रखती है परन्तु बिजली की वहां बहुत कमी है।

सरकार की वसूली तथा वितरण की निती त्रुटिपूर्ण है। यदि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा दिये जाये तो इससे बहुत से दोष ठीक हो जायेंगे। आंन्ध्र प्रदेश के किसान खाद्य निगम को अनाज देने के लिये तैयार है। क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने से किसान भी प्रसन्न होंगे क्योंकि उनको अच्छे तथा उत्साह-वर्धक मूल्य मिलेंगे। मद्रास, केरल, मैसूर तथा आंन्ध्र प्रदेश का एक ही क्षेत्र होना चाहिये। सरकार को गेहूं क्षेत्रों की तरह चावल के क्षेत्रों पर भी पुन: विचार करना चाहिये। यदि क्षेत्रों को बढाकर दिया जाता है तो मेरा विचार नहीं कि चावल की कमी होगी।

1961 से यही कहा जा रहा है कि कोचीन शिपयार्ड के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है आज ही मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रतिवेदन मिल गया है। सरकार को इस कोचीन शिपयार्ड के बारे में तुरन्त निर्णय लेना चाहिये। आशा है सरकार केरल के लोगों की उचित सहायता करेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : At present the Central Government is running the Kerala administration on the advice of Bureaucratic officers. If this sort of thing is allowed to continue then we cannot hope for a popular Government. President's rule in Kerala must be done away with immediately.

This is wrong that such a sereious situation had developed in Kerala where it was not possible for the popular Government to function. Actually the Central Government made it impossible for the popular Government to function by way of assisting the leaders of the Party who got the maximum number elected in the Assembly.

During the last General elections the S.S.P. got 10 per cent votes. But it is regretted that not a single member has been taken in the Advisory Committee from this Party.

Popular administration should be set up at the district and other levels like those of Centre and state levels. Even at the district and below levels real power should be in the hands of representatives duly elected by people.

Power cut in Kerala has adversely affected the industrial production. Government has not made any long term scheme for the generating electricity in Kerala. Kerala Government submitted many proposals for producing electricity from coal and oil but Central Government have not considered them sympathetically unless all those schemes are given careful consideration, we cannot raise our industrial and agricultural production.

The relations between the administration and the labourers are worst in the public sector undertakings even those of which are prevailing in the private sector.

It is unfortunate that industrial empire is spreading in our country. In private sector we have Dalmia Nagar, Tata Nagar etc. The whole area in those places is owned by one capitalist. The people who live there do not have any right to form their municipality. The same condition persists in public sector *e. g.*, Bhilai, Rourkela and Durgapur. There is no civic life for the inhabitants there. We decry Fasism and Stalinism but the way in which government has drawn the structure of its public undertaking is very dangerous.

I would request the government to safeguard the political rights of the people working in public undertakings in Kerala. They should be given right to become members of political parties.

The labour laws should be implemented more in public sector. The public sector should be an ideal for the private sector. The government itself breaks all codes of conduct.

Since there is no popular Government in Kerala, the voice of the people does not reach the government. The public importance of Cochin is increasing as refinery and ship-building factory is under construction there. The viscounts which fly from Bombay cannot land there. The Cochin airport should be broadened and lengthened.

I want to know the reason as to why there is no broad gauge line from Bombay to Trivandrum or to Cape Comorin. Will government go on ignoring the demands of the people of Kerala because mostly it is the President's rule there?

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : In Kerala there are 11 ports. Nine of them are minor ports, one is intermediary port and one is a major port. There is only one shipyard in the whole country which is located at Vizakhapatnam. Efforts are being made that one shipyard may be established at Cochin. Ten years have passed and yet no definite scheme could be made about the Cochin shipyard.

So may members have stressed for the development of Kerala. Kerala can develop if industry develops there Kerala grows coconut, tapioca and cashewnuts. Amongst the maritime states, Kerala gives us greatest foreign exchange. Cashewnut of Kerala is considered best in the world.

It is alleged that Kerala does not produce much rice. If they produce rice, they will not be able to produce the above items which earn for us foreign exchange. Therefore rice should be made available to Kerala.

It is most painful that there is no popular government in Kerala although 80 per cent of the people are literate in that state. People of Kerala are rulling the whole of India as offices have poeple from Kerala and yet they cannot put their own house in order. Hence the President's rule is there. There is need for industrial establishment in Kerala as there is no big industry in India. A few public undertaking should also be established in Kerala.

The greatest problem of Kerala is educated unemployment and due to this there is dissatisfaction.

If the experiment of democracy continues there as at present, it will be like France where no government stayed in office for more than 6 months. Nobody is happy to have President's rule there. But when popular government fails, the President's rule has to be imposed. Kerala is a beautiful land and there should be a beautiful democratic rule which can be ideal for the whole country.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : सारे केरल राज्य की सरकार ने उपेक्षा की हुई है विशेषकर उत्तरी केरल जिसे मलाबार कहते हैं।

अंग्रेजों के समय से एक रेलवे लाईन शोरानूर से नीलाम्बूर तक बनाई थी ताकि इनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो सके। उसके पश्चात उस क्षेत्र में कोई लाईन नहीं बनी। वहां के लोग एक नयी लाईन नीलाम्बूर-शोरनूर के बीच तथा केरल के पश्चिमी घाट पर बनवाना चाहते हैं और उसके लिये 35 साल से आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु कोई सुनवाई उनकी अब तक नहीं हुई। यह मामला संसद में भी उठाया गया परन्तु सरकार पर इसका कोई प्रभाव न हुआ।

मछली पकड़ने का उद्योग केरल में बहुत पुराना है और यह सारे देश में महत्वपूर्ण है। देश की मच्छली पकड़ने का उद्योग मलाबार में है परन्तु वहां के मच्छली पकड़ने वाले सारे देश में ग़रीब है। उनकी औसत आय प्रति व्यक्ति 85 रुपया प्रति वर्ष अथवा 23 पैसे प्रति दिन है। फिर भी वहा मच्छली उद्योग के विकास के लिये कुछ नहीं किया जा रहा।

केरल के लोग यह मांग कर रहे हैं कि कालीकट में जो कि केरल का सब से बड़ा नगर है, एक हवाई अड्डा होना चाहिये। परन्तु हमें तो ऐसा दिखाई देता है कि शीघ्र वहा कोई हवाई अड्डा नहीं बनेगा। यह नगर वाणिज्य का भी केन्द्र है।

केन्द्र ने प्रत्येक मामले में केरल की उपेक्षा की है। शिक्षा के मामले में तो वह सब से अग्रेसर है। इस शिक्षा का उन्हें लाभ होना चाहिये था, परन्तु इसके कारण पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी फैल गई है।

खाद्य समस्या भी वहां बहुत विकट है। अन्य राज्यों में तो प्रति व्यक्ति 18 या 19 औंस चावल मिलता है परन्तु वहां यह केवल 11 औंस है। अब तो केरल केन्द्रीय सरकार के अधीन है इस लिये वहां भी उतना ही चावल मिलना चाहिये जितना अन्य राज्यों में मिलता है। एक बार तो यह भी मात्रा घटा कर 4 औंस प्रति व्यक्ति कर दी थी जिससे कारण "केरल बन्द" हुआ और तब यह मात्रा 6 औंस की गई। केरल के लोग केवल चावल खाने के अभ्यस्त हैं, इस लिये उन्हें केवल चावल ही दिया जाना चाहिये। यह भी कहा जाता है कि चावल बाजार में मिलता है। परन्तु जिन व्यक्तियों की आय केवल 23 पैसे प्रति दिन हो वह एक रुपया पौंड का चावल कैसे खरीद सकता है? वह न तो भूखे मर सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं।

सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस से केरल उद्योग अथवा कृषि में तरक्की कर सके।

इन बातों की ओर ध्यान देते हुए केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि केरल में शीघ्र अति शीघ्र लोक तान्त्रिक राज्य स्थापित करे। कुछ मित्र कहते हैं कि वहां लोगों को आन्दोलन नहीं करना चाहिये परन्तु सरकार उन्हें ऐसा करने पर विवश कर रही है।

श्री इम्बीची बावा (पोन्नाणि): अध्यक्ष महोदय, सरकार भारत रक्षा नियम में मुझे भी पकड़ना चाहती थी परन्तु मैं इनकी पुलिस को 16 मास तक चकमा देता रहा।

कांग्रेस राज्य ने 16 वर्ष में कोई सफलता प्राप्त की है तो वह यह है कि इन्होंने जनता का लोकतन्त्र से विश्वास समाप्त कर दिया हैं। यह विश्वास हमारे संविधान ने दिया है। यदि इस कार्य में यह पूरी तरह सफल न हो सके हो उसका कारण मजदूरों की इनके विरुद्ध टक्कर है। यह सरकार अभी तक भारत रक्षा नियम डंडे से कायम किये हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत रक्षा नियम केवल कांग्रेस राज्य को बचाये रखने के लिये है।

दूसरी बात मैं देश में बिगड़ती खाद्य समस्या का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे देश के कुछ भाग तो अकाल ग्रस्त हैं और अन्य स्थानों पर अच्छा अकाल है। सरकार की इस दिशा में कठोर नीति से शंका पैदा होती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार या तो लोगों से इतनी दूर है कि उनकी स्थिति का पता ही नहीं है और या फिर वह जनता से बदला ले रही है कि उन्होंने बायें बाजू के दलों की "बन्द" आदि के बारे में बात क्यों मानी। प्रधान मंत्री ने तो यह भी कह दिया कि बायें बाजू के दल निर्वाचन के समय यह समस्याएं पैदा कर रहे हैं।

खाद्य समस्या तो सरकार की उत्पन्न की हुई समस्या है। राज्य सरकारों की नीति जमाखोरों तथा बड़े बड़े जमींदारों के हक में है और उसी कारण यह खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम् गत वर्ष भाषा के प्रश्न पर तो इतने बेचैन हो उठे परन्तु खाद्य के मामले में अब चुप हैं। ऐसे ही उनके सहयोगी श्री गोविन्द मैनन जब तक यहां एक सदस्य थे तब तो कहते थे कि केरल में प्रति व्यक्ति 8 औंस राशन मिलना चाहिये परन्तु समझ में नहीं आता कि मंत्री बनने के बाद उन्हें क्या हो गया है।

हमारे राज्य का यह दुर्भाग्य रहा है कि वहां एक दल का सब से घटिया दर्जे का राज्य रहा है। वह या तो कांग्रस दल का, प्रत्यक्ष राज्य का अथवा राष्ट्रपति का शासन था। सरकार केरल में वहां के विधेयकों को जिला विकास परिषद के सदस्य भी नहीं मनोनीत करती हैं। यह तो साफ पक्षपात है।

[श्री इम्बीची बावा]

सरकार वहां के छोटे कृषकों को तंग कर रही है कि उन्होंने कर नहीं दिये। परन्तु कुटानाद के जमींदारों के साथ ऐसा करने पर कुछ नहीं किया जा रहा।

केरल में 27 मई को फिर "बन्द" लागू किया जायेगा। बात यह है कि वहां का श्रमिक वर्ग के सबर की हद समाप्त हो चकी है। जनता की हालत रोजाना खराब होती जा रही है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह इस प्रकार के मूर्खता के पग न उठाये। उसे चाहिये कि वहां के गैर गजेटिड सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी करे।

सरकार क्विलोन में पुलिस द्वारा की गई ज्यादातियों की भी छानबीन नहीं कर रही है। सरकार इस जिम्मेदारी से क्यों बच रही है ?

हमारे राज्य में छोटी बन्दरगाहों की दिशा सुधारी नहीं गई है। इनमें से पोनानी बन्दरगाह की स्थिति का तो मुझे स्वयं ज्ञान है। यह बहुत पुरानी बन्दरगाह है परन्तु अब बहुत कम जहाज इस पर आते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि छोटी बन्दरगाहों की स्थिति जांचने के बारे में एक समिति नियक्त की जावे।

राष्ट्रीय राजपथों की स्थिति भी असंतोषजनक है। टीपू सुल्तान सड़क के बारे में मैं ने कहा था कि इसे सुधारा जाये परन्तु श्री थामस ने मुझे बताया कि आपतकालीन स्थिति के कारण काम नहीं किया जा सका।

पोन्नाणि जल संभरण योजना तुरन्त मंजूर की जानी चाहिये। केरल सरकार उस मंजूरी का इन्तजार कर रही है। इस लिए मेरा सुझाव है कि वह मंजूरी तुरन्त दी जाय और काम शुरु किया जाये।

पोन्नानि तालुक में कानोली नहर पर पालापट्टी के स्थान पर सड़क का एक पुल अविलम्ब बनाया जाना चाहिये। मछली उद्योग के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है।

पश्चिमी तट सड़क के विकास पर पहले ही काफी धन लगाया गया है। परन्तु बहुत से पुलों के अभाव में इस सड़क का ठीक उपयोग नहां हो सकता।

अन्त में मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह इन समस्याओं को शीघ्र दूर करे। यदि सरकार ने दमन की नीति अपनाई तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए
SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : केरल को अधिकतम समर्थन तथा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये जिससे कि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन जाये। सरकार को इस राज्य को पर्याप्त धन देना चाहिये जिससे कि इस राज्य में न केवल भारत से ही बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आ सकें। आज तक सरकार ने इसे पर्याप्त अर्थ सहायता नहीं दी है। केरल का सौन्दर्य बड़ा प्रसिद्ध है और यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन बन सकता है।

कोचीन शिपयार्ड ओर कोचीन तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में आसाधारण विलम्ब हुआ है। लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये इस प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। पिछले कुछ समयसे अलवाय फैक्टरी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

शिक्षा के लिये निर्धारित किये गये धन में से काफी धन केरल के अध्यापकों के वेतनों को देश के दूसरे भागों के अध्यापकों के वेतन-स्तर पर लाने के लिये रखा जाना चाहिये।

केरल में रोजगार इतना नहीं है जितना होना चाहिये। राज्य में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। केरल में उद्योगों के विकास के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये। वहां मछली उद्योग के विकास के लिये कम धन दिया गया है। केरल में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने चाहिये ताकि लोगों को वहां से विदेशों में रोजगार की तलाश में जाने की अवश्यकता न रहे। केरल एक ऐसा राज्य है जो हमारे लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इस राज्य के विकास के लिये अधिकतम धनराशि दी जानी चाहिये।

केरल में हरिजन कल्याण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इस समय केवल केरल में ही नहीं अपितु सारे देश में हरिजन कल्याण की आवश्यकता है। केवल दो-चार हरिजन अधिकारी नियुक्त किये जाने से यह समस्या दूर नहीं होगी। इसके लिए एक एकीकृत योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक अभाव की स्थिति का सम्बन्ध है, हमें नई अकाल संहिता बनानी चाहिये और कमी वाले क्षेत्रों को उचित सहायता दी जानी चाहिये। यदि लोग सहायता कार्यों में शामिल होते हैं तो उनको अन्य लोगों के समान ही मजूरी दी जानी चाहिये। केरल के नये राज्यपाल ने यह कहा है कि केरल की जनता भूख से पीड़ित है। मुझे आशा है कि केरल की खाद्य समस्या सदैव के लिये दूर की जायेगी।

कहा गया है कि केरल के लोग नाराज हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि वहां बहुत से राजनैतिक दल है और यह दल जनता की भावनाओं से खेलते रहते हैं।

केरल का आय-व्ययक इस प्रकार बनाया जाना चाहिये जिससे कि उस राज्य का विकास हो ओर उत्पादन बड़े तथा इस क्षेत्र का पर्यटन-केन्द्र के रूप में भी विकास हो।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना---जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

चीन द्वारा ताप-नाभिकीय विस्फोट

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा करेंगे।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 9 मई को चीन ने पश्चिमी चीन पर किसी स्थान पर तीसरा परमाणु परीक्षण किया। जैसा कि सभा को विदित है कि पहले दो चीनी परमाणु विस्फोट 16 अक्तूबर, 1964 तथा 14 मई, 1965 को किये थे। चीन का यह तीसरा परमाणु परीक्षण समूचे संसार द्वारा व्यक्त की गई इन इच्छाओं का स्पष्ट उल्लंघन था कि परमाणु परीक्षण बन्द कर दिये जायें और परमाणु बमों का फैलाव रोका जाये।

अभी तक सरकार को विस्फोट के बारे में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं है। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी के समाचार के अनुसार इस परमाणु विस्फोट में तापीय-नाभिकीय पदार्थ शामिल हैं। परन्तु उस विस्फोट के ठीक स्वरूप तथा उसकी तीव्रता की जांच की जा रही है और इन ब्यौरों पर प्रकाश डालने के लिये हमारे वैज्ञानिकों का कुछ सप्ताह लगेंगे।

[श्री स्वर्ण सिंह]

सरकार चीनी सरकार की इस कार्यवाही की घोर निन्दा करती है कि उसने इन परीक्षणों के बारे में जिद करके विश्व शान्ति को खतरे में डाला है क्योंकि इस विस्फोट के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

जनवादी चीन द्वारा पहली बार परमाणु विस्फोट किया गया था तो हमने सशस्त्र सेनाओं के तीन अध्यक्षों तथा परमाणु शक्ति विशेषज्ञों के साथ परामर्श द्वारा स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन किया था। उस समय इस बात की जानकारी थी कि और विस्फोट किये जायेंगे। इसलिये, केवल इस बात से कि चीन ने तीसरा विस्फोट किया है, हमारे पहले निष्कर्षों पर प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु हम नीति पर लगातार पुनर्विचार करते रहते हैं।

कुछ सीमा तक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि जिसपर भारत ने हस्ताक्षर किये थे, परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। तब से प्रगति धीमी है। सरकार का अभी भी यह विचार है कि हमें अपने परमाणु शस्त्र बनाने के बजाय निशस्त्रीकरण के प्रयत्न का पूरा समर्थन करना चाहिये। यह विश्व शान्ति और हमारी सुरक्षा के हित में है। इस दौरान हम परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्वक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और जैसा कि सभा को जानकारी है, विश्व यह बात मानता है कि हमारा देश ऐसे देशों में से एक है जो अल्पावधि में ही परमाणु शक्ति बन सकता है।

मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा इस बारे में हमारी नीति के लिये सबसे बड़ा पथप्रदर्शक होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के इस सुझाव पर आमल कर रही है कि चीन के विरूद्ध हम आणविक संरक्षण प्राप्त करेंगे और क्या सरकार इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड, रूस तथा अमरीका और एशिया तथा अफ्रीका के देशों से बात-चीत कर रही है?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक इस तथाकथित संरक्षण का सम्बन्ध है जबतक कि रूस तथा अमरीका आदि मुख्य अणु-शक्तियां इस बारे में आश्वासन नहीं देती, इंग्लेण्ड द्वारा दिये गये आश्वासन से कोई लाभ नहीं होगा। यह मामला बार बार चर्चा का विषय बना है परन्तु इस पर सीधी बातचीत नहीं हुई है। सोवियत संघ ने सुझाव दिया था परन्तु इस समय इस से आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : चीन द्वारा किया गया आणविक विस्फोट मास्को संधि की घोर अवहेलना है और इससे इस देश की सुरक्षा को खतरा है। क्या हम विशेषकर प्रधान मंत्री से कह सकते हैं कि इस भय को दूर करें? हमारी सुरक्षा तथा प्रादेशिक अखण्डता को खतरे की दृष्टि से क्या उन्होंने अपनी विदेश-यात्रा के दौरान दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों से बातचीत की और क्या उन्हें यह बताया कि चीन के खतरे से बचने के लिये हमें अपना अणु बम बनाना पड़ेगा अथवा किसी अन्य देश से लेना पड़ेगा?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमारी नीती निराशा की नहीं परन्तु आशावान नीति है। हम अपनी परमाणु शक्ति बना रहे हैं। हम इसका प्रयोग शान्ति के कार्यों के लिये कर रहे हैं परन्तु इस दौरान हम अपनी तकनीकी जानकारी तथा अन्य क्षमता का विकास कर रहे हैं। इसके साथ-साथ यह विचार गलत है कि चीन परमाणु शक्ति के साथ हमारे देश पर बिना रोक-टोक आक्रमण कर सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : अमरीका सरकार ने यह कहा है कि चीन के इस नये आणविक विस्फोट से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गम्भोर परिणाम निकलेंगे। इस विस्फोट से हमारी प्रभुसत्ता को खतरा हो गया है। चीन में भारी विकास हुआ है। आज उन्होंने अणु बम भी बना लिया है। क्या इस देश को तथा अन्य पड़ौसी देशों को, जो भारत को महत्वपूर्ण देश समझते हैं, आश्वासन देने के लिय इस सम्बन्ध में पुन: विचार किया जायेगा?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री तथा मैंने अभी कहा कि हम इस सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी तथा क्षमता बढ़ा रहे हैं। परन्तु शान्ति के कार्यों के लिये इसका प्रयोग करने की हमारी नीति जारी है। आणविक अस्त्रों का फैलाव रोका जाना चाहिये अन्यथा सारे विश्व के विनाश का डर है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : आणविक संरक्षण की बात असफल रही है। इस दृष्टि से क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस देश को तकनीकी दृष्टि से चीन के स्तर पर लाना चाहती है? यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो चीन से खतरा बना रहेगा। भारत सरकार नैतिक बातों पर ही कब तक बल देती रहेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : हम नैतिक बातों को बहुत महत्व देते हैं। और देते रहेंगे। यदि हम ऐसा न करें तो यह सारे संसार के लिये बुरा होगा।

परमाणु शक्ति के बारे में प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश में इसका विकास किया जा रहा है। क्या हम इस मामले में चीन के मुकाबलों में पहुँच सकेंगे कि नहीं। परन्तु हम इस दिशा में जितना विकास कर सकते है उतना विकास करने का प्रयास करेंगे अवश्य। इस मामले पर हम तो कोई सम्मेलन नहीं बुला रहे परन्तु काहिरा में जब कुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था तो यह मामला विचाराधीन आया था। सम्मेलन ने यह घोषणा की थी कि परमाणु प्रयोगों पर रोक लगाई जाय। बांडुंग में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें चीन भी शामिल था। वह भी यह स्पष्ट घोषणा की गयी थी कि अशांति कार्यों के लिए अणुशक्ति का प्रयोग नहीं होगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस दिशा में हम कब तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे? क्योंकि हो सकता है कि न बढ़ाने वाली बात न चल सके।

श्री स्वर्ण सिंह : अब यह मामला केवल हम तक ही तो सीमित नहीं है, हमें दूसरे देशों का भी तो सहयोग प्राप्त करना है। वैसे हमने अपनी प्रतिरक्षा की दिशा में प्रत्येक प्रकार के पग उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने अखण्डता को हर कीमत पर कायम रखना है। इस दिशा में उत्साह हीन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि हम इस दिशा में सफल होना चाहते है तो उसका एक ही साधन है। अणुशक्ति वाले राष्ट्रों पर दबाव डाला जाय कि वे यह आश्वासन दे कि वे उन राष्ट्रों का बचाव करेंगी जिन के पास अणु शक्ति नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : The nuclear power today is the harbinger of Peace and not the demon of destruction. In order to preserve peace and safeguard our independence, we must be prepared in every way. A few years back when the attention of the Government of India was drawn towards this menace, it was stated, it will take about 10 years for the China to became nuclear power. We are also spending large amount of money on our nuclear energy establishments, we must get information regarding these explosions through our own resources.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह कहा है कि इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे है कि उपलब्ध सामग्री प्राप्त की जाय। उनकी कुछ जांच हो जाने पर हम सदन को इस बारे में सूचना देंगे। मेरा निवेदन है कि चीन बम्ब छोड़ने वाला है यह सूचना तो संसार भर के अखबारों में प्रकाशित हो गयी थी। इस पर बात यह है कि मामला विज्ञान का नहीं। यह तो गुप्त चर्चा का विषय है। यह जानकारी हमें मिल गई थी कि चीन बम्ब का विस्फोट कर रहा है। इस दिशा में मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि हम अणु शक्ति के विकास का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : जब प्रथम चीन का परमाणु बम्ब फटा था, तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री ने परमाणु छत्तरी की बात की थी और रूस और अमरीका को इसके लिए आश्वासन देने को कहा था। परन्तु वह बात तो समाप्त हो गई है। परन्तु चीन का खतरा बढ़ रहा है। क्या प्रधान मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकती कि चीन की ओर से पैदा हुए परमाणु खतरे के लिए कुछ किया जा रहा है और इसके विरुद्ध संसार का जनमत निर्माण किया जा रहा है ?

श्रीमती इदिरा गांधी : मैंने व्यक्तिगत रूप में इस दिशा मे कुछ नहीं किया। वैसे संयुक्त निशस्त्रीकरण आयोग तथा 18 राष्ट्रों की निशस्त्रीकरण समिति के द्वारा यह काम हो रहा है।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether in this connection the power of veto has been given to the big five nations in the United Nations Organization and the smaller powers such as India will remain always away from such privilege. I also want to know that Russia has raised any voice against it and sent her protest to the Chinese Government.

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र में एसी कोई बात नहीं है। वहां सब के अधिकार समान है। किसी को कोई वीटों के अधिकार नहीं है। 100 राष्ट्र ऐसे है जिन्हें वीटों का कोई अधिकार नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि उनके अधिकार समान नहीं। वीटों के अधिकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। जहां तक रूस का प्रश्न है, पता नहीं इस विस्फोट के बारे में उसने चीन को सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा है कि नहीं।

Shri Kishan Patnaik : Most of China's industrial progress depends upon the nuclear energy, whether Government have been able to compare it with the development of India in the direction industry?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में योजना मंत्री उसका मेरे से अधिक सुझाव रूप में इसका उत्तर दे सकेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : चीन के मिसाइल्स विकास कार्यक्रम की स्थिति क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें यह जानकारी है कि चीनी इसका विकास कर रहा है प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर प्रधान मंत्री ने दे दिया है।

श्री कृ० चं० पन्त : लोगों की प्रवृत्ति निशस्त्रीकरण की ओर बढ़े इसके बारे में भारत सरकार का मत क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बहुत ही कठिन कार्य है। इस दिशा में काफी गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी तक वह स्थिति निर्माण नहीं हुई कि यह कहा जा सके कि निकट भविष्य में यह सम्भव हो गया है। अत: जेनेवा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रयास हो रहे है उन्हें जारी रहना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से भी हमें इस दिशा में अपना विकास कार्य जारी रखना चाहिए।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : मैं यह जानना चाहती हूं कि चीनी अणु शक्ति के आधार पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को आतंकित कर रहा है, क्या इसका कारण यह नहीं कि भारत बार बार गांधी जी की अहिंसावादी नोति की घोषणा करता रहता है? और क्या इसी कारण से हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में कुछ न करने में पीछे रहे हैं? यद्यपि वे इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या इस स्थिति में, जो आज है, भी सरकार की यही घोषित नीति है?

श्री स्वर्णसिंह : मेरे विचार में इसका कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं।

Shri Jogindra Jha (Madhubani) : With the use of atomic bomb the war will not remain within local limits, it will assume the shape of the world war. I want to know from the Government whether they will declare that no atom bomb will be manufactured in any circumstances?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कर्मचारियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा

EMPLOYEES OF INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला उच्च न्यायालय में है, अतः इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री काशीनाथ पांडे (हाटा) : उच्च न्यायालय के सामने मामला दूसरी कोटि का है। मामला महत्वपूर्ण है और 30,000 कर्मचारियों की नौकरी का प्रश्न है ....

उपाध्यक्ष महोदय : मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है।

श्री काशीनाथ पांडे : बिलकुल नहीं है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह मामला न्यायालय के समक्ष है।

श्री काशीनाथ पांडे : मेरा कहना यह मामला उच्च न्यायालय में नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों का मामला अदालत में नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न एक न एक रूप में न्यायालय के समक्ष है, अतः हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। यह मामला न्यायाधीन है। हमें कोई अवैध बात यहां नहीं करनी चाहिए। नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री काशीनाथ पांडे : जो मामला उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उस पर तो चर्चा हो सकती है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : सारे मामले का आधार कर्मचारियों से विवाद है और यह सारा मामला न्यायाधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मामला न्यायाधीन है। मेरी निर्णय यह है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अब सभा स्थगित होती है। कल ग्यारह बजे पुनः बैठक होगी।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 11 मई, 1966/21 वैशाख 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

Tye Lok Sabha then adjourned till eleven of the lock on Wednesday, the 11th May, 1966/ *Vaisakha* 21, 1888 (*Saka*).

6244
भा० स० मु० ना०—वि० 6—72 लोक सभा/66—17-10-67—565.